राजस्थान विधान सभा

उन्तीसवीं बैठक, दिनाँक २१ अप्रेल, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर १८ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ९२८

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Civil Supplies be pleased to state:—

(a) Whether rules relating to unification of pay scales are applicable to Supply Department also ?

(b) If not, why not ?

श्री भोगीलाल पंडया (रसद मंत्री)—(क) एकीकृत वेतनदार नागरिक रसद विभाग के कर्मचारियों पर लागू होती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मोहब्बतसिंह—नागरिक रसद विभाग पर यह लागू होगा तो क्या कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा ?

श्री भोगीलाल पंडया—जी हां, दिया जाएगा । इसकी कार्यवाही की जा रही है और लगभग मिलने ही वाला है ।

श्री मोहब्बतसिंह—अभी तक क्यों नहीं मिला ?

श्री भोगीलाल पंडया—इसकी कार्यवाही होनी बाकी थी; अब कार्यवाही हो चुकी है इसलिए अब मिलेगा ।

प्रश्न संख्या ९२९

श्री महादेव प्रसाद—क्या मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या झुंझुनू शहर में एक पॉवर हाउस लगाने की योजना कई वर्षों से सरकार विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी आवश्यकता नहीं है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—यह विचाराधीन अवश्य है लेकिन छोटा पॉवर हाउस नहीं चलता।

आवश्यकता अवश्य है।

श्री महादेव प्रसाद—क्या भविष्य में इस पर कोई कार्यवाही करने की संभावना है?

श्री भोलानाथ—संभावना है, इस पर विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या ६३०

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी जाने वाली कच्ची सड़क पर एक पुलिया है जो बिल्कुल टूटी पड़ी है, केवल मिट्टी के टीले पर से मोटर जाती है?

(२) यह कब से टूटी पड़ी है?

(३) इसके ठीक होने की आशा कब तक की जा सकती है?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(१) बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी की कच्ची सडक पर बादिला और कापरेण ग्राम के बीच की पुलिया पिछले वर्ष की अत्याधिक वर्षा के कारण टूट गई थी। कोई दुर्घटना नहीं हो इसलिये यातायात की सुविधा की दृष्टि से यहां उप-मार्ग वना दिया गया था।

(२) इसके टूटने पर ठेकेदार को, जिसको कि इस सड़क की मरम्मत करने का काम सौंपा गया था, इस जगह को पहिले ठीक करने की हिदायत कर दी गई थी। इसकी मरम्मत हो चुकी है।

(३) उपर्युक्त जवाब की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

महाराज श्री केसरीसिंह—मैं यह कहता हूं कि इस पुलिये की कतई मरम्मत नहीं हुई है, आप कैसे फरमाते हैं कि इस पुलिये की मरम्मत हो गई है? जिस पुलिये की मरम्मत का आप जिक्र कर रहे हैं वह कोई दूसरा पुलिया होगा।

एक सदस्य—आपकी निगाह में दूसरा होगा, मगर इनकी निगाह में तो वही है।

श्री भोलानाथ—आपने लिखा है कि बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी जाने वाली कच्ची सड़क पर एक पुलिया है। दो तीन पुलिये होंगे उसमें से किसी की मरम्मत हुई होगी।

महाराज श्री केसरीसिंह—एक ही पुलिया है और वह टूटा हुआ है। आपने ग्राम सडक की मरम्मत कराई होगी पुलिये की नहीं।

Page No.3

श्री भोलानाथ--ग्राम सडक से ही हमारा संबंध है ।

महाराज श्री केसरीसिंह--जो सवाल सदन में पूछा गया है उसका जवाब नहीं मिला है ।

श्री भोलानाथ--ग्रापने बूंदी रोड स्टेशन से लाखेरी जाने वाली कच्ची सडक पर के पुलिया का पूछा है, उसका ही तो जवाब है ।

महाराज श्री केसरीसिंह--वह नहीं बनाया गया है ; वह टूटा हुग्रा है ।

श्री हिम्मतसिंह--यह गलत जवाब हमको क्यों मिलता है ?

श्री भोलानाथ--मेरे पास तो यही लिखा हुग्रा ग्राया है ।

एक सदस्य--क्या मिनिस्टर लोग नीचे से लिखा हुग्रा जो जवाब ग्राता है वही देते हैं ?

श्री भोलानाथ--हमारे पास तो वही एजेन्सी है ।

श्री केसरीसिंह--क्या सरकार इस बात का पता लगाएगी कि गलत जवाब क्यों भेजा गया ?

श्री भोलानाथ--सरकार इस बात का पता लगाएगी कि यह गलत जवाब क्यों भेजा गया ग्रौर जिसने गलत जवाब भेजा है उसके खिलाफ एक्शन लेगी ।

महाराज श्री केसरीसिंह--क्या सरकार हमको भी बतलाने की कृपा करेगी कि गलत जवाब भेजने वाले के प्रति सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री भोलानाथ--ग्रापकी इच्छा हुई तो ग्रापको जवाब मिलेगा ।

श्री ग्रध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६३१

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Minister for Civil Supplies be pleased to answer :—

(a) When did the Government give contract last for cartage of food-grain for Jaipur, Sawai Madhopur and Tonk respectively ?

(b) At what rates were these contracts given ?

(c) Was their any other tender for a lesser amount on behalf of any Syndicate comprising all the contractors ?

(d) Why was that tender not accepted ?

(e) When did the date for that tender expire ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(f) Is it a fact that the Government have granted extension twice to the same firms without inviting fresh tenders ?

(g) Is it a fact that other people are prepared to undertake this work at a lesser rate ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(१) जयपुर, सवाई माधोपुर व टोंक में अनाज ढोने के ठेके नवम्बर सन् १९५१ में दिये गये ।

(२) टोंक व सवाई माधोपुर के ठेके २॥, ३ व ५ पाई प्रति माइल ए,बी,सी, रास्ते के थे और जयपुर जिले के लिये सरकार द्वारा निर्धारित रेट ३, ३॥, व ५ पाई प्रति मन के थे ।

(३) हां, ट्रक कांट्रक्टर एसोसियेशन नामक संस्था ने भी टोंक, सवाई माधोपुर व जयपुर के लिये टेन्डर दिये थे ।

(४) वह संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी, न उसने सिक्योरिटी ही जमा कराई, न उसने बैंक गारन्टी दी और न उसने एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर ही किये इसलिये उन्हें ठेका नहीं दिया गया ।

(५) इन ठेकों की अवधि ३१ अक्तूबर, सन् १९५२ तक की थी ।

(६) हां, इन फर्मों को थोड़े थोड़े समय के लिये काम करते रहने को आज्ञा दे दी गई है ।

(७) जैसा कि ठेके देने के बाद प्राय: होता है लोग उससे कम में काम करने को तैयार हो जाते हैं । इसी प्रकार अब भी दूसरे ठेकेदारों ने इन ठेकों की कम से कम रेट पर काम करने की इच्छा प्रकट की है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब ठेका दिया गया था तो उनसे सिक्योरिटी मनी डिपोजिट (security money deposit) करायी थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, जब ठेका दिया गया था तब करायी गयी थी ।

श्री एच. के. व्यास—क्या उनके लिये सिक्योरिटी मनी को रिड्यस (reduce) नहीं किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे खयाल से नहीं किया गया ।

श्री एच.के. व्यास—क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करके सूचित करेंगे कि सिक्योरिटी मनी २० हजार से रिड्यस करके ५ हजार की गयी थी ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं थोडी सी जानकारी इस संबंध में प्राप्त करके आपको बतलाऊंगा । मगर जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जितनी शर्तें थीं उनमें से एक भी शर्त का उसने पालन नहीं किया । हो सकता है कि दूसरों को २० हजार की सिक्योरिटी के बजाय ५ हजार कर दी गई हो । मैं इसको मालूम करूंगा ।

Page No.5

श्री एच. के. व्यास--क्या यह सच नहीं है कि जिस फर्म को ठेका दिया गया उसको विशेष सुविधायें दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जी नहीं। जैसा आप कहते हैं कि सिक्योरिटी २० हजार के बजाय ५ हजार की रखी गई इसकी तो जांच की जाएगी । मेरे ख्याल से कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई ।

श्री एच. के. व्यास--क्या यह सच नहीं है कि सिन्डीकेट (syndicate) की बात सिक्योरिटी मनी की असुविधा से रुकी थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--माननीय सदस्य ने यदि मेरा उत्तर पूरी तरह से सुना होता तो उन्हें मालूम होता कि मैंने यह कहा था कि जो संस्थायें रजिस्टर्ड नहीं थीं, जिन्होंने सिक्योरिटी की रकम जमा नहीं कराई थी, जिन्होंने बैंक गारन्टी नहीं दी थी और जिन्होंने एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे उनको कान्ट्रेक्ट नहीं दिये गए। जिन्होंने शर्तों को पूरा किया उन्हें ही कान्ट्रेक्ट दिये गए।

श्री हरिकृष्ण व्यास--समय की पूर्ति उनके द्वारा भी नहीं की गई तो उन्हीं फर्मों को एक्स्टेन्शन क्यों दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--उन्हें इसलिए दिया गया था कि जिन व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र आये थे उन लोगों ने पहले सरकार की शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं किया था और उससे सरकार को काफी नुकसान हुआ था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--फिर तो टेन्डर्स क्यों नहीं इन्वाइट (invite) किए गए ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--मैंने सुना है कि सवाई माधोपुर में टेन्डर्स मांगे गए थे। जब टेन्डर्स का समय आता है तो लोग वहां पहुंचते नहीं हैं और समय पर टेन्डर्स भेजते नहीं हैं और फिर इधर उधर से कोशिश करते हैं कि पहले के टेन्डर्स से हम कम लेंगे और कमी दामों पर काम करेंगे, किन्तु वास्तव में वे वैसा करते नहीं हैं। गवर्नमेन्ट की यह इच्छा रहती है कि इस प्रकार बीच के लोग फायदा न उठावें और जो छोटे २ मोटर वाले हैं सब संगठित रूप में होकर, एसोसियेशन्स के रूप में सरकार के पास आवें ताकि उससे सब लोगों को फायदा हो सकता है। वे नियमों का भी पालन कर सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह निश्चित तौर पर....

श्री अध्यक्ष--आर्डर ! आर्डर !

प्रश्न संख्या ६३२

श्री संतोषसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) पंचवर्षीय योजना में बिलाड़ा तहसील की कौन कौनसी पक्की सडकें मय कोलतार के बनाने के वास्ते ली हैं ।

[श्री संतोष सिंह]

(ख) इनकी कुल लम्बाई कितने माइल्स की है और इनको बनाने का कार्य कौनसे वर्ष में प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) पंचवर्षीय योजना में बिलाड़ा तहसील की दो पक्की सड़कें रखी गई हैं, एक जोधपुर से निभाज तक, बिलाडा और जैतारण होती हुई ; यह ४० मील लम्बी है और इस पर ८ लाख रुपया खर्च होगा। दूसरी पीपाड़ सिटी से जोधपुर बिलाड़ा रोड को मिलाने के लिये, जिसकी लम्बाई ३० मील और खर्चा ६०,०००) रुपया होगा।

(ख) कोलतार की कोई सड़क नहीं है। पहली सड़क का काम इसी वर्ष में प्रारम्भ हो सकता है बशर्ते रुपया भारत सरकार से मिल जावे और दूसरी सड़क का सन् १९५५-५६ में होगा।

श्री संतोष सिंह—अगर भारत सरकार से रुपया नहीं मिलेगा तो क्या यह सडक नहीं बनेगी ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—नहीं बनेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री माधोलाल।

प्रश्न संख्या ६३२

श्री माधोलाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड में अभी तक वाटर वर्क्स क्यों नहीं बनवाया गया ?

(२) गर्मी के मौसम में वहां पानी क्या भाव बिकता है ?

(३) वहां के महाराज ने इसके लिए कितनी रकम स्वीकृत कर रखी थी ?

(४) इसके कितनी बार एस्टीमेट हो चुके हैं और वाटर वर्क्स बनाए जाने के कितनी बार आश्वासन भी बार बार सरकार की ओर से प्राप्त होते रहते हैं ? सरकार कृपया इस संबंध का निश्चित आश्वासन व स्पष्टीकरण दे ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(१) परीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि समीपवर्ती स्थानीय कुओं में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त जल नहीं है, लगभग पांच मील दूरी से जल उपलब्ध हो सकता है, किन्तु नल आदि के मूल्य को देखते हुए इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये अधिक द्रव्य की आवश्यकता थी और जो निश्चित द्रव्य इस कार्य के लिए उपलब्ध था वह अपर्याप्त था।

(२) लगभग तीन लाख रुपया ही स्वीकृत था।

(३) इसका उत्तर भाग (१) के अन्तर्गत आ जाता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—आइटम नम्बर २ का जवाब तो दिया ही नहीं गया है ।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—मैंने सुना नहीं ।

श्री चन्दनमल वैद—ये (श्री कंवरलाल जेलिया की ओर इशारा करते हुए) ऐसा कह रहे हैं कि आइटम नम्बर २ का तो जवाब मिला ही नहीं है जिसमें यह पूछा गया है कि वहां पानी क्या भाव बिकता है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):—भाव तो घटता बढ़ता रहता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कमसे कम यह सही है कि इस स्टेट में पानी का भाव हुआ करता है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—इसमें पांच-छ वर्ष की देर बताई जाती है किन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट अभी क्या सोचती है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—अभी तो ऐसा है कि इरिगेशन डिपार्टमेन्ट में कुछ पया बताया गया है और उनसे कहा जारहा है कि वे वाटर वर्क्स के लिये कुछ दे दें और यदि रुपया मिल गया तो यह योजना पूरी हो सकती है । झगड़ा झालरापाटन और झालावाड़ के बीच में है । अगर अलग अलग योजना बना दी जाय तो उसमें २०-२५ लाख रुपया चाहिये ।

श्री कंवरलाल जेलिया—बदलने का क्या मतलब है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—इरिगेशन की जो रकम है अगर वह वाटर वर्क्स में आ जाय तो दोनों मिला कर छः लाख की रकम हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६३४

राव श्री केसरीसिंह—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) भीलवाड़ा जिले में जानवरों के इलाज के कितने अस्पताल हैं ?

(२) क्या सरकार जनता की इस असुविधा से अवगत है कि कई ग्रामीणों को ऐसे अस्पताल तक पहुंचने में ४०-५० मील की यात्रा करनी पड़ती है ?

(३) क्या सरकार उनकी सुविधा के लिये डाक्टरों के द्विमासिक दौरे के लिए प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—भीलवाडा जिले में पशु चिकित्सालय निम्न-लिखित स्थानों पर हैं :—

१. भीलवाड़ा
२. गंगापुर

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

३. श्रासीन्द
४. शाहपुरा
५. जहाजपुरा
६. हुर्डा ।

(२) सरकार को इस बात का पता है कि भीलवाड़ा जिले में अस्पतालों की कमी होने से जनता को असुविधा रही है ।

(३) जनता की सुविधा के लिये हरएक अस्पताल में एक एक स्टॉकमेन रखा हुआ है जिसका काम महिने में कम से कम १५ दिन गांवों का दौरा करना होता है । खास बिमारी की सूचना मिलने पर डाक्टर भी दौरे पर जाते हैं ।

श्री कस्तूरचन्द—क्या उनके दौरा करने की सूचना आपको मिल चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—यहां से उन्हें हिदायत दी हुई है । उनसे सूचना प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

श्री कस्तूरचन्द—क्या सब ही के लिये हिदायतें जारी हैं कि उन्हें दौरा करना चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जी हां ।

एक सदस्य—वे वहां गये या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—वे वहां जाते ही हैं । अगर नहीं जाते हैं तो आप मुझे बतलाइयेगा ताकि मैं उचित कार्यवाही कर सकूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलावेंगे कि हिदायतें जारी करने के बाद वे यह जांच करते हैं कि उनकी हिदायतों का अमल होता है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जरूर करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६३५

महाराज श्री केसरीसिंह (कापरेन)—Will the Minister for P.W.D. be pleased to state :—

(a) When did the work of repairing the Murrom Roads of Bundi District start?

(b) Who took the contract ?

Page No.9

[महाराज श्री केसरी सिंह]

(c) Has the work been completed or not ?

श्री **भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)**--(अ) बूंदी जिले की कच्ची सडकों की मरम्मत नवम्बर १९५२ में शुरू हुई।

(ब) ठकेदार श्री पूनमचन्द भाटी को ठेका दिया गया।

(स) कार्य फरवरी १९५३ में पूरा हो चुका है।

महाराज श्री **केसरीसिंह**--क्या इस सड़क का काम भी पूरी तरह से होगया है ?

श्री **भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)**--ऐसी ही सूचना है।

महाराज श्री **केसरीसिंह**--क्या सरकार यह बतायगी कि काम ठीक तरह से हुआ है ? यह ठीक भी हुआ है या जिस तरह से किया करते हैं उसी प्रकार किया गया है ?

श्री **भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)**--टैक्निकल बातें तो इन्जीनियर लोग ही जानते हैं। यदि आपको इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो मैं उसकी जांच करवा सकता हूं।

महाराज श्री **केसरीसिंह**--मेरी यह शिकायत है कि एक ट्रेक्टर (रोड रोलर्स) इधर से आया और एक ट्रैक्टर उधर निकल गया। इसी तरह से सड़क ठीक होती है क्या ?

श्री **भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)**--आप लिखकर मुझे दीजियेगा, मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री **मानसिंह (जमुआ रामगढ़)**--पी. डब्ल्यू. डी. के ओवरसियर्स को इस काम में क्या कमीशन मिला ?

श्री **अध्यक्ष**--नेक्स्ट। Are you interested in this commission ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या ६३६

महाराज श्री **केसरीसिंह (कापरेन)**--Will the Minister for P.W.D. be pleased to state :--

(a) How many bungalows in the Civil Lines in Bundi got water for watering gardens and also for domestic use, originally?

(b) How many new connections were given after the creation of Rajasthan ?

(c) How many bungalows have been disconnected? If so, why ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--(अ) सन् १९४६ से पूर्व जब पंप बागात डिपार्टमेन्ट के संरक्षण में था तब तीन बंगलों को इससे पानी दिया जाता था। सन् १९४६ में पंप पी. डब्ल्यू. डी में आने पर दो बंगलों को और पानी दिया जाने लगा।

(ब) नहीं।

(स) एक स्वयं बंगले के मालिक की प्रार्थना पर एक बंगले को पानी देना बन्द किया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह--आपने यह कहा कि बंगले के मालिक की प्रार्थना पर पानी देना बन्द कर दिया गया, क्या यह ठीक है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--यह ठीक है क्योंकि रेट के अनुसार पैसा देने से इन्कार किया गया और बंगले के मालिक के स्वयं के प्रार्थना पर पानी देना बन्द कर दिया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह--कहने पर भी इन्कार कर दिया गया था क्योंकि यह प्राइवेट बंगला है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--मेरे पास तो यह सूचना है कि रेट का पूरा पैसा नहीं देने की वजह से पानी बन्द कर दिया गया था।

महाराज श्री केसरीसिंह--क्या सरकार के पास इस प्रकार की सूचना है कि पैसा देने पर भी बगीचे को सुखा दिया जाय ?

श्री जसवन्तसिंह--माननीय अध्यक्षजी, अभी माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया था कि पैसा न देने से और उनकी प्रार्थना पर बंगले को पानी देना बन्द कर दिया गया था, तो मेरा कहना यह है कि फिर रिक्वेस्ट का सवाल कहां रह जाता है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--वे कह रहे थे कि चूंकि इतना पैसा नहीं दे सकते इसलिये पानी देना बन्द कर दिया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह--क्या बंगले का पानी चालू करने का सरकार का विचार है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--डिपार्टमेन्ट को वाजिब मालूम होगा तो वह आज्ञा दे देगी।

महाराज श्री केसरीसिंह--वाजिब के क्या मायने है ? यह पूछना चाहता हूं कि पानी मीलेगी या नहीं ?

एक सदस्य--बंगले का मालिक कौन है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--श्री केसरीसिंहजी।

Page No.11

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६३७

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local-Self Government be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that the Public Service Commission, Rajasthan, invited applications for 4 Inspectors and 8 Assistant Inspectors in the Village Panchayat Department in February, 1952 ?

(b) Is it a fact that the applying candidates were interviewed on 14th July, 1952 ?

(c) Has the Public Service Commission forwarded its conclusions to the Government ?

(d) What action has the Government taken on it ?

(e) Is it a fact that under intervention of the Public Service Commission the pay of the existing Inspectors has been stopped ?

(f) What is the reason for so much delay in announcing Government's decision in this case ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(अ) हां ।

(आ) हां ।

(इ) हां ।

(ई) सहायक निरीक्षकों तथा सहायक इन्सपेक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी किये जा रहे हैं और निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(उ) पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है ।

(ऊ) शासन सम्बन्धी कारणों से ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पब्लिक सर्विस कमीशन की इस सम्बन्ध में सिफारिशें सरकार के पास कब पहुंच गईं ?

श्री रामकरण जोशी—सिफारिशें पहुंच चुकी थीं, इसके बारे में जवाब दे चुका हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब पहुंच गई थी ?

श्री रामकरण जोशी—निश्चित तारीख बताने के लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लगभग कितने महीने हुए ?

श्री रामकरण जोशी--दो-तीन महीने ।

श्री हरिकृष्ण व्यास-क्या यह सही नहीं है कि सरकार को छ-सात महीने पहले सिफारिशें मिल गई थीं ?

श्री रामकरण जोशी--मैंने कहा कि ऐसी बातें जानने के लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो सरकार को इतने दिनों बाद विचार करने की क्या जरूरत पड़ गई ?

श्री रामकरण जोशी--मैंने निवेदन किया कि शासन सम्बन्धी कारणों से उन्हें नहीं रखा गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो क्या यह समझा जावे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशें शासन सम्बन्धी दृष्टिकोण को नजर में रखे बिना ही की जाती हैं ?

श्री रामकरण जोशी--मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करदूं कि यह मामला पी. एस. सी. के पास वापस विचारार्थ भेजे जाने की बात है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास-मेरा प्रश्न यह है कि पी. एस. सी. की सिफारिशें क्या शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखे बगैर ही की जाती हैं, ऐसा सरकार का खयाल है ?

श्री रामकरण जोशी--यह बात नहीं है । पंचायतों के बारे में सरकार को नया दृष्टिकोण अपनाने की बात थी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो फिर पी. एस. सी. की सिफारिशें मान लेने में सरकार को इतनी कठिनाई क्यों मालूम हो रही है ?

श्री रामकरण जोशी--मन्जूर करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं है पर वापिस पी. एस. सी. के पास ही विचारार्थ भेजने का सरकार का इरादा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि कुछ सम्बन्धित व्यक्तियों में दिलचस्पी होने से यह सब कुछ हो रहा है ?

श्री रामकरण जोशी--यह बिल्कुल झूठ है ।

श्री अध्यक्ष--नक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६३८

श्री हनुवन्तसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) पोकरण-जैसलमेर सड़क पंच वर्षीय योजना में पक्की बनने को है ?

Page No.13

[श्री हनुवन्तसिंह]

(२) अगर उत्तर "हां" में है, तो काम शुरू कब तक होगा ?

(३) अगर उत्तर "ना" में है, तो क्या कारण है ?

श्री **भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)**–इसका उत्तर कल तारीख २०-४-५३ को श्री केसरीसिंह के प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं। पोकरण-जैसलमेर सड़क का बाकी हिस्सा जल्दी ही कराने का सरकार का इरादा है। अभी तो जोधपुर से पोकरण जाने वाली सडक को पक्का बनाया जा रहा है। इसके बाद पोकरण से जैसलमेर का नम्बर है।

श्री **हनुवन्तसिंह**—पोकरण से जैसलमेर का हिस्सा कब शुरू कर दिया जावेगा ?

श्री **भोलानाथ**—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जोधपुर से तो आगे बढ़ ही रहे हैं, पोकरण की तरफ।

श्री **हनुवन्तसिंह**—पोकरण से जैसलमेर भी फिर सरकार साथ साथ क्यों नहीं बढ़ती है ?

श्री **भोलानाथ**—इसके लिये बहुत पैसा चाहिये। धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जा सकता है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—तो क्या यह समझा जावे कि सरकार जोधपुर से पोकरण और पोकरण से जैसलमेर को एक ही समझ रही है ?

श्री **भोलानाथ**—दो अलग अलग हिस्से हैं; पर पहले तो इस सड़क को डिविजनल हैड क्वार्टर (Divisional Head Quarter) से जोड़ना पड़ेगा।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट। श्री बी. एन. जोशी।

प्रश्न संख्या ६३६

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६४०

श्री **मोहब्बतसिंह**—Will the Minister for Food be pleased to state :—

(a) How much sugar was imported in Rajasthan from U. P. after the 25th January, 1950 upto date.

(b) What is the total amount paid as Sales Tax by the Government thereon ?

(c) How much has been recovered from the mills as refund of Sales Tax ?

(d) What steps are being taken by the Government for the recovery of the balance Sales Tax amount ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)**—(ए) जनवरी सन् ५० से अब तक जयपुर नगर के ठेकेदारों ने यू. पी. की चीनी की मीलों से ५३,०१९ बोरी निर्यात की।

(बी) निम्नांकित रुपया चीनी के ठेकेदारों द्वारा जयपुर नगर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट का सेल्स टैक्स के रूप में दिया गया, न कि सरकार द्वारा। यह सेल्स टैक्स केवल १९५० में ही दिया गया था बाद में यह सेल्स टैक्स राजस्थान के ठेकेदारों द्वारा नहीं लिया गया और जो सन् ५० में ले लिया गया था उसको भी वापिस करने का सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का आर्डर हो गया।

३४,३८७ रुपया ४ आने ० पाई।

(सी) जयपुर नगर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के चीनी के ठेकेदारों द्वारा सेल्स टैक्स के रूप म जो रुपया दिया गया था उसमें से अभी तक निम्नांकित रुपया वसूल हो पाया है।

१२,९६५ रुपया १२ आने ३ पाई।

(डी) बाकी रुपया वापिस करने के लिये सेल्स टैक्स ऑफीसरों तथा सुगर मिलों को अनकों बार लिखा गया और लिखा जा रहा है। उनका कहना है कि यह रुपया ठेकेदारों को लौटायगें क्योंकि यह रुपया सेल्स टैक्स के रूप में उन्होंने ही मिलों को पेमेन्ट किया था। डिपार्टमेन्ट का कहना है कि ठेकेदारों ने यह सेल्स टैक्स जनता से रिटेल सेल में वसूल कर लिया था इसलिये यह रुपया सरकार को ही वापिस लौटाना चाहिये। इस विषय में यू. पी. सरकार के सेल्स टैक्स ऑफिसरों से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

उपर्युक्त उत्तर केवल जयपुर नगर तथा जयपुर डिस्ट्रिक्ट का दिया है। अन्य स्थानों से उत्तर इतने कम समय में प्राप्त नहीं किये जा सकते। प्राप्त किये जाने पर बाद में दिये जा सकेंगे।

श्री **मोहब्बतसिंह**—जो व्यापारी शक्कर लेकर आया और उसका सेल्स टैक्स दिया इसके बाद जो बाकी बचा तो वह तो सेल्स टैक्स देकर ही बचा है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—यह मैं प्रश्न के उत्तर में पहिले ही बता चुका हूं।

श्री **सन्तोषसिंह**—यह जो सेल्स टैक्स वापिस मिलेगा तो उसके लिये यह एक्स्ट्रा ही प्रोफिट रहेगा ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—गवर्नमेन्ट इसके सदुपयोग पर विचार करेगी।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट। श्री बी. एन. जोशी प्रश्न संख्या ९४१।

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री **छीतरसिंह**— प्रश्न संख्या ९४२।

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.15

[श्री छीतरसिंह]

नेक्स्ट । श्री कानसिंह, प्रश्न संख्या ९४३ ।

प्रश्न संख्या ९४३

श्री कानसिंह--Will the Revenue Minister be pleased to state :—

(a) If concentration camps were opened for famine stricken people, and

(b) If so, the names of the places where they were opened ?

(c) The number of persons receiving shelter at each such camp ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--No concentration camps have been opened as famine conditions do not exist in any part of Rajasthan; only scarcity conditions exist which do not require opening of concentration camps.

श्री कानसिंह--क्या यह कहतसाली घोषित नहीं की गई, सरकार ऐसा मानती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--कहतसाली नहीं बल्कि स्केयरसिटी इलाके घोषित किये गये थे और इसी के अनुसार कहीं कहीं काम चालू किये गये थे । कन्सेन्ट्रेशन जैसे कोई कैम्प नहीं खोले गये ।

श्री जसवन्तसिंह--जो ये कन्सेन्ट्रेशन कैम्प की बात कही जा रही है तो ये कैम्प क्या सोवियट रशिया (Soviet Russia) जैसे हैं या कैसे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इसका जवाब तो प्रश्नकर्ता स्वयं अगर चाहें तो दे सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--कॉन्सेन्ट्रेशन कैम्प के बजाय तो रिलीफ सेन्टर अगर सरकार खोले तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--सरकरा तो ऐसा ही सोचती है, पर कॉन्सेन्ट्रेशन कैम्प भी होने चाहियें एसा प्रश्नकर्ता सोचते हैं ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ९४४

श्री मोहब्बतसिंह--Will the Minister in Charge, P. W. D. be pleased to state :—

If the Sirohi-Kalandri-Ramsun road is contemplated to be taken up in Five Year Plan ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—इस सड़क की योजना विचाराधीन है ।

श्री मोहब्बतसिंह--प्रश्न का उत्तर सन्तोषजनक नहीं मिलता है ? यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री भोलानाथ--पैसा आसानी से नहीं मिलता है। अगर पैसा मिल जावे तो जल्दी ही प्रारम्भ किया जा सकता है यह काम।

श्री मोहब्बतसिंह--तो फिर उसकी नपाई कैसे शुरू कर दी गई है ?

श्री भोलानाथ--जनता की बार बार की प्रार्थना पर इतना तो..........

श्री अध्यक्ष--ये चाहते हैं तो नपाई बन्द कर दी जावे।

(विराम)

नेक्स्ट। श्री हनुवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या ६४५

श्री हनुवन्तसिंह--क्या मंत्री लोक कर्म विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:--

(अ) क्या सरकार बोर्डर के महत्व रखने वाली सडकें बनाने के बारे में कुछ सोच रही है ?

(आ) क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिये सुझाव दिये गये हैं ?

(इ) अब बोर्डर डिफेन्स जब राजस्थान के पास है तो ऐसी हालत में क्या इन रोड्स को सेन्टर बनवायेगी ?

(ई) अगर केन्द्रीय सरकार को इस विषय में सूचित नहीं किया है तो क्या राजस्थान सरकार बनायेगी ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--(अ) अवश्य, किन्तु केवल उन्हीं सडकों के लिये जो कि इन्टर्नल सिक्योरिटी (Internal security) के लिये आवश्यक हैं।

(आ) नहीं।

(इ) बोर्डर डिफेन्स सम्बन्धी सडकों के बनाने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है।

(ई) उक्त (इ) के अन्तर्गत दिये गये उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय में केन्द्रीय सरकार को सूचित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हनुवन्तसिंह--(अ) का उत्तर "अवश्य" में दिया है, तो मेरा निवेदन है कि कौनसी वे सडकें हैं जिनको सरकार महत्व की सडकें समझती है ?

श्री भोलानाथ--जो इन्टर्नल सिक्योरिटी के लिये प्रिकॉशनरी तौर पर जरूरी समझी जाती हैं।

Page No.17

श्री हनुवन्तसिंह--इन सडकों को सेन्ट्रल सरकार को ले लेना चाहिये।

श्री भोलानाथ--हम भी यही चाहते हैं कि ये सडकें जरूर केन्द्रीय सरकार ले ले।

श्री हनुवंतसिंह--आप पूछते ही नहीं हैं उस सरकार को तो वह कैसे ले लेगी?

श्री भोलानाथ--कोशिश हम बराबर कर रहे हैं, पर वे भी जिम्मेदारी लेने से हिचकिचाते हैं।

श्री हनुवन्तसिंह--आपने कोई लिखा-पढ़ी की है?

श्री भोलानाथ--इसके बारे में लिखा-पढी चल रही है, आपने दूसरी के बारे में जिक्र किया है।

श्री हनुवन्तसिंह--में तो सारे बोर्डर के बारे म पूछता हूं।

श्री भोलानाथ--ये सडकें करीब-करीब जितनी हैं डिफेन्स की हैं और यह भारत सरकार के विचाराधीन है। अभी फिलहाल एक ही सडक है बीकानेर-अबोहर। इस एक के बारे में भी सरकार का सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है। इसलिये कहा नहीं जा सकता कि भारत सरकार कब क्या करेगी? पर बोर्डर की डिफेन्स लाइन के बारे में तय करने का काम उन्हीं का है। हम तो केवल सुझाव देते हैं।

श्री जसवन्तसिंह--क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर क्या हो रहा है, जिसका कि उन्होंने अभी जिक्र किया बीकानेर-अबोहर की सडक का?

श्री भोलानाथ--भारत सरकार ने माना है कि इसको वह बनायेगी। पर वे राजस्थान सरकार से ४० प्रतिशत हिस्सा, जोकि ४० लाख के करीब होता है, मांगते हैं।

श्री जसवन्तसिंह--आपका बजट बैलेन्स है फिर क्यों नहीं दे देते हैं?

श्री भोलानाथ--चालीस लाख बहुत होते हैं।

श्री जसवन्तसिंह--तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक नहीं देंगे तो यह सड़क नहीं बनेगी।

श्री भोलानाथ--यह बात नहीं है, हम दे सकते हैं उतना देंगे।

श्री कानसिंह--और कौनसी सड़क को सरकार ने बोर्डर सड़क रिकमेन्ड (recommend) किया है? क्या पोकरन-जैसलमेर की सड़क को बोर्डर सड़क रिकमन्ड किया है?

श्री भोलानाथ--यह तो राजस्थान सरकार ही देख रही है।

श्री कानसिंह--इन सडकों में से बहुतों पर आर. ए. सी. की मोटरें और बड़े बड़े ट्रक्स आदि दौडते रहते हैं और ज्यादातर वे ही काम में लेते हैं और उन्हें खराब करते हैं।

श्री भोलानाथ--सुनाई नहीं देता, आप क्या कह रहे हैं?

श्री हिम्मतसिंह—उनका कहना है कि आर.ए.सी. की मोटर वेहिकल्स के काम ये सडकें आ रही हैं। इसलिये ये सडकें बनाना कितना जरूरी है, इस बिना पर सेन्टर को क्यों नहीं कहा जाता ?

श्री भोलानाथ—इसीलिये हम कहते हैं कि ज्यादा सडकें डिफेन्स डिपार्टमेन्ट के काम की हैं और वही बिगाड़ रहा है ; इसलिये भारत सरकार को ही इन्हें बनाने के लिये जोर डाल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट । श्री कपिलदेव । प्रश्न संख्या ९४६.

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ९४७

श्री रघुराजसिंह—Will the Minister for P.W.D. be pleased to state :—

(a) What works pertaining to Kotah District, specially new roads, have been included in the Five Year Plan ?

(b) Is it true that the Central Government have given Rs. 10 lacs as grant-in-aid to Rajasthan Government for metalling or making main roads ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—यह रुपया फेमीन रोड बनाने के लिये मिला है ।

प्रश्न संख्या ९४८

श्री रघुराजसिंह—Will the Minister for P.W.D. be pleased to state :—

In view of the aid of Rs. 10 lacs received from the Central Government will the work of metalling the Shahabad Kasbathana main road be taken in hand in 1953-54 ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—इसका उत्तर भी ऊपर के प्रश्न के उत्तर में आ जाता है।

श्री रघुराजसिंह—क्या यह रोड इम्पोर्टेंट नहीं समझी जाती है ? जो दस लाख रुपया मिला है उन रुपयों से यह रोड बनाई जायगी ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—दस लाख रुपया जो मिला है वह फेमिन के लिये मिला है । यदि आप उन रुपयों से रोड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिये आप रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से प्रार्थना कीजिये । वे उचित समझेंगे तो यह रोड भी शामिल कर लेंगे ।

श्री जसवन्तसिंह—फेमिन के लिये जो रुपया मिला है वह किन किन क्षेत्रों में लगाया गया है या लगाया जारहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (अकाल मंत्री)—७ लाख रुपया बीकानेर डिविजन के लिये और ३ लाख रुपया जोधपुर डिविजन के लिये है ।

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या यह सिर्फ कागजों में ही है या कार्य रूप में लाने की भी कोशिश हो रही है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—इसमें से तीन लाख रुपया खर्च भी हो चुका है।

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन तीन लाख रुपयों से बीकानेर डिविजन में कौन कौनसी सड़कों का निर्माण हुआ है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—यह प्रश्न दूसरा खड़ा हो गया, फिर भी मैं निवेदन कर दूं कि तारानगर से सावा होती हुई नोहर रोड बनाई जा रही है, वह इसी रुपये से बनाई जा रही है। इसके अलावा रावतसर से चूरू की तरफ भी रोड बन रही है।

श्री **अध्यक्ष**—Is it not a deviation from the main question ?

श्री **जसवन्तसिंह**—On a point of Order, Sir.

यदि आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर को देखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरे सवाल खड़े होजाते हैं जो जवाब से ताल्लुक नहीं रखते, वे बहस तलब हो जाते हैं इसलिये इनका जवाब अनिवार्य हो जाता है।

श्री **रघुराजसिंह**—१० लाख रुपये से क्या कामलीघाट आदि रोडों को बनाया जायगा ?

श्री **भोलानाथ**—जरूर सोचा जायगा।

श्री **रघुराजसिंह**—कब तक ?

श्री **भोलानाथ**—जब इन दस लाख रुपयों से अलावा दस लाख रुपये और मिलेंगे। तब सोचा जा सकता है।

श्री **हिम्मतसिंह (अटरू)**—कितने घंटेकी समाधी लगेगी तब आप सोच पायेंगे।

श्री **अध्यक्ष**—Order : Next.

प्रश्न संख्या ६४६

श्री **कानसिंह**—Will the Revenue Minister be pleased to state :—

(a) The number of Famine Depots in each district of Bikaner Division and the places where they have been opened ?

(b) The selling rates of each variety of fodder at such depots ?

(c) If any subsidy has been given for the purpose and the amount spent thereon in each district of the Bikaner Division ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—

(a) There is no fodder scarcity in Bikaner Division except in the tehsils of Nohar, Bhadra and Hanumangarh of Ganganagar District.

(b) The question does not arise.

(c) Movement of fodder from surplus areas to the deficit areas in Bikaner Division has been arranged under concessional freight rates and according to the Railway Traffic Rules Government contribute 2/3 of the total Railway freight and the consignee i. e. consumer is required to pay only 1/3 of the total freight. For this purpose a sum of Rs. 2.50 lakhs has been provided in the budget. The expenditure will be incurred on receipt of debit note from the railway administration.

Subsidy has also been granted to same Gowshalas.

प्रश्न संख्या ६५०

श्री रघुराजसिंह—Will the Minister for P.W.D. be pleased to state :—

In view of the assurance given by the Minister while replying to Question No. 286 on 3rd November, 1952, will the work of making a fair weather road from Ramgarh to Baran, viz Seoni and Koela be included in 1953-54 budget ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—पिछली बार प्रश्न संख्या २८६ के जवाब में ३ नवम्बर १९५२ को फेअर वैदर रोड्स (Fair weather roads) बनाने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

श्री रघुराजसिंह—क्या आपने इस विषय में मिनिट्स देखने की कोशिश की ?

श्री भोलानाथ—मिनिट्स को देख कर ही तो जवाब दिया गया है।

श्री रघुराजसिंह—क्या मिनिट्स में भी कोई तब्दीली कर दी जाती है ?

श्री भोलानाथ—आप वैरीफाई कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—Next

प्रश्न संख्या ६५१

श्री रघुराजसिंह—Will the Minister for Transport be pleased to state :—

(a) Is it a fact that the bus service Baran-Kasbathana and Shivpuri Kasbathana (in Madhya Bharat) do not meet at a common point ?

[श्रीरघुराजसिंह]

(b) If so, does the Government know that the passengers have to suffer great inconvenience and hardships by being left about four miles apart ?

(c) Will the Government take immediate steps to ameliorate the hardships of passengers by introducing either a through Bus service from Baran to Shivpuri via Thana or else by making the two services meet at a common point ?

श्री **भोलानाथ (यातायात मंत्री)**— (क) मध्यभारत के अधिकारियों द्वारा बसों के आवागमन का समय तथा मार्ग परिवर्तन कर देने के फलस्वरूप मोटर मालिकों ने कस्बा थाना होकर शाहाबाद से मार्ग पर मोटरें चलाना बन्द कर दिया है। इससे पहले बसें शाहाबाद और कस्बा थाना में मिला करती थी।

(ख) जी हां।

(ग) मध्यभारत के अधिकारियों को इस संबंध में लिखा गया है।

श्री **रघुराजसिंह**--जनता की सुविधा को देखते हुए जब कि मध्यभारत सरकार बसें नहीं चला रही है तो राजस्थान सरकार द्वारा अपने बोर्डर पर बसें क्यों नहीं चलाई जाती हैं ?

श्री **भोलानाथ**—इस तरह से स्टेट ट्राफिक (Inter state traffic) शुरू करने की बात हो तब तो ठीक है लेकिन दो चार मील अन्दर जाने की बात हो तो यह किया जा सकता है।

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—क्या यह बात सही है कि इस प्रकार की कार्यवाही चलते एक साल से ज्यादा अरसा हो गया है ?

श्री **भोलानाथ**—मैं इस समय तारीख, समय तो नहीं बता सकता।

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—समय तो बता दिया जाय कि एक साल से कम हुआ है या ज्यादा ?

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री **रघुराजसिंह**—क्या यह राजस्थान सरकार का फर्ज नहीं है कि जब मध्यभारत सरकार बसें नहीं चलाती हैं तो राजस्थान सरकार द्वारा बसें चालू न की जाय ?

श्री **भोलानाथ**—मध्य भारत सरकार पर बराबर जोर डाला जा रहा है कि वह जल्दी से जल्दी इस बात का निर्णय कर ले, लेकिन रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के काम में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है और न सरकार इस प्रकार की कोई कार्यवाही भी कर सकती है। रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी और राजस्थान की रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी और मध्य भारत की आर. टी. ए. मिल कर फैसला करती है। सरकार जोर देकर फैसला नहीं करवा सकती। उसकी मीटिंग होगी तब एजेन्डा तैयार होगा। उसमें इस विषय को भी सम्मिलित किया जायगा।

Page No.22

श्री रघुराजसिंह—क्या रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी यदि फैसला देरी से करती है तो क्या उस पर गवर्नमेन्ट का नियन्त्रण नहीं है ?

श्री भोलानाथ—क्या नियन्त्रण के मायने यह है कि उनके डेटूडे कार्य में दखल दिया जाय ?

प्रश्न संख्या ६५२

श्री कानसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state :—

(a) The number of test works which were opened in each district of the Bikaner Division during the current year so as to ascertain the likely number of famine-stricken in search of employment ?

(b) The names of such test works opened and the results of the statistical data collected ?

(c) The recommendations made as a consequence of the condition brought to light by these test works, so as to effectively combat the scourge of famine ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—

(a) It was not considered necessary to open test works.

(b) The question does not arise.

(c) The question does not arise.

प्रश्न संख्या ६५३

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या निर्माण मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :—

(१) क्या शाहपुरा मोटर यूनियन को तोड़ कर टुकड़ों में विभाजित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) यदि ऐसा किया गया है तो क्या जनता के ऐतराज पर, या किन्हीं और कारणों से ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—(१) शाहपुरा मोटर यूनियन को रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी, जयपुर, द्वारा न तो तोड़ा गया है और न टुकड़ों में ही विभाजित किया गया है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—शाहपुरा मोटर यूनियन के लिये जो कहा गया है कि वह तोड़ा नहीं गया है परन्तु जब ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के जो मेम्बर हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने बतलाया कि शाहपुरा मोटर यूनियन को तोड़ दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर और भी सप्लीमेन्ट्री होंगे।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—यूनियन प्राईवेट मोटर वालों का एक इन्तजाम था। यूनियन के नाम कोई मोटर का परमिट सेन्क्शन नहीं था। शाहपुरा मोटर यूनियन में ५५ सदस्य थे जो अपनी अपनी गाडियां अपने अपने नम्बर से चलाते थे। यूनियन के नाम कोई परमिट नही है। यूनियन के मेम्बर ७ रूटों पर बारी बारी से गाड़ियां चलाते हैं। यह व्यवस्था सरकार और जनता के लिये अच्छी सिद्ध नहीं हुई। अतः प्रत्येक रूट पर एक या एक से अधिक मेम्बरों को नये परमिट दिये जानेकी व्यवस्था की जा रही है।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—सरकार के लिये अच्छी सिद्ध नहीं हो, लेकिन मोटर यूनियन वाले अलग अलग रूटों पर टर्न बाई टर्न (turn by turn) मोटर चलाते थे। तो सरकार के पास इस बात की कितनी शिकायतें आई कि जनता को इस से असुविधा है?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—जनता को कोई शिकायत नहीं है। जनता बडी खुश हो रही है कि यूनियन वाले जो गड़बड़ करते थे, जो एक तरह से मोनोपोली (monopoly) जमाये हुए थे वह अब तोड दी गई है।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)—मेरा प्रश्न शायद मन्त्रीजी ने समझा नहीं इसलिये, अध्यक्ष महोदय, दुबारा दोहरा दूं। मेरा प्रश्न यह है कि जनता की सरकार के पास कितनी शिकायतें आज से पहले आई थीं कि यूनियन वाले गड़बड़ करते हैं। मेरा प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष—यूनियन वाले गड़बड़ करते हैं, ऐसी कितनी ही शिकायतें सरकार के पास आई हैं।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—गडबड करते हैं इसलिये यह तय किया गया कि अलग-अलग रूटों पर एक से अधिक परमिट दिये जायं। उन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से वह व्यवस्था करली थी; उसको न तोडा गया है, न टुकडे किये गये हैं।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)—अध्यक्षमहोदय, मेरा प्रश्न यह है कि शिकायतें कितनी आई थीं?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—शिकायतें आई।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—कितनी आई थीं?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—आप अलग से प्रश्न कीजिये तो बता दिया जायगा।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दी जाय कि इस जरिये से मैं एक एक्स्प्लेनेटरी बात कह दूं कि यह बिल्कुल सरासर गलत चीज है कि शिकायतें थीं। यूनियन को तोड़ने का यह कारण है कि सरकार यूनियन के अन्दर कुछ आदमियों की मोटरें चालू करवाना चाहती

[श्री मानसिंह]

थी जिसको यूनियन वालों ने मन्जूर नहीं किया और उन्होंने हाई कोर्ट में इसके लिये रिट दाखिल कर दिया। सरकार महज इस कारण से यूनियन को खतम करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष—No statement please. You can ask questions.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)—क्या सरकार इस बात पर दुबारा विचार करेगी, जनता की सुविधा के खातिर ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—बिल्कुल नहीं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—क्या सरकार को मालूम है कि इस बारे में यूनियन की तरफ से हाई कोर्ट में रिटें दी गई हैं ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—बहुत सी रिटें उन्होंने पेश की हैं। मैं नहीं कह सकता हूं कि इस बारे में भी कोई रिट है।

श्री जसवन्तसिंह—अगर जनता यह कहे कि यूनियन के लिये दुबारा विचार किया जाय तो क्या सरकार विचार करने को तैयार है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—यूनियन के नाम कोई परमिट ही नहीं है। यूनियन वाले अपनी गैर कानूनी व्यवस्था बैठाये हुए थे और वे गाड़ियों को इधर उधर भेजते थे। उनके बाकायदा आर. टी. ए. से कोई टाईमिंग्ज वगैरह फिक्स नहीं थे। वह कोई रिकॉगनाइज्ड बोडी (recognized body) थी ही नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय मन्त्रीजी ने यह बताया कि जो परमिट दिये गये हैं उनके परमिट की गाड़ियां चालू रहेंगी और परमिट दे दिये हैं तो भी गाड़ियां नहीं चलाई गई।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—आर. टी. ए. समझते हैं कि कितनी गाड़ियां चालू की जानी चाहियें। वे टाइम देते हैं। अगर उस पर गाड़ियां नहीं लगाते हैं तो वह दूसरों को दे देते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जितनी गाड़ियों के परमिट दिये गये हैं, वे पूरी नहीं चल रही हैं। नये जो परमिट दिये जायेंगे तो कितनी गाड़ियां चलेंगी ?

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next.

प्रश्न संख्या ६५४

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Public Works be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that Bundi Electric Supply Company Ltd., Bundi, has given a notice that the Power House is running in loss and that the Government should take it over on paying compensation ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(b) Is it a fact that two more businesses viz., Cinema and Motor Service are also run by the same concern ?

(c) Is it a fact that 75% of the shares of the Company are owned by the Government ?

(d) Does the Government propose to take it over and to run it in the interest of the public ?

श्री **भोलानाथ (निर्माण मन्त्री)**—(अ) यह सच है कि बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा पॉवर हाउस में नुकसान होने की शिकायत कर बन्द करने का नोटिस दिया गया है।

(ब) बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, सिनेमा व ट्रान्सपोर्ट भी चला रही है।

(स) अधिकांश शेयर्स सरकार की सम्पत्ति थे।

(द) बूंदी पॉवर हाउस को सरकार के आधीन लेने का प्रश्न लम्बे अर्से से विचाराधीन है पर पैसे की कमी के कारण यह कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या यह सही है कि बिजली की रेट्स बढ़ाने के कारण ही यह झगड़ा उत्पन्न हुआ है ?

श्री **भोलानाथ (निर्माण मन्त्री)**—रेट बढ़ाने के लिये उन्होंने प्रार्थना की थी। इसके लिये रेटिंग कमेटी (Rating Committee) बैठाई गई है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—तो क्या यह समझा जाय कि बन्द करने का नोटिस रेटिंग कमेटी के काम को रोकने का एक जरिया मात्र है ?

श्री **भोलानाथ (निर्माण मन्त्री)**—उन्होंने नोटिस देने का इरादा किया है। रेटिंग कमेटी ने कार्यवाही बन्द नहीं की है। कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—इस बीच में जो बिजली की सप्लाई बन्द करने का नोटिस दिया गया वह क्या रेटिंग कमेटी के काम को सबोटेज (sabotage) करने का प्रयत्न नहीं है ?

श्री **अध्यक्ष**—This is an information.

प्रश्न संख्या ६५५

श्री **कानसिंह**—Will the Revenue Minister be pleased to state the amount of money distributed to each village Tehsilwise from the 'Sadul Water Supply' Fund" in the Bikaner Division ?

Page No.26

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)**–Tehsilwise information regarding the money distributed from the Sadulgarh Water Supply Fund is given below. Details regarding the money spent in each Tehsil is being collected and will be placed on the table of the House when received :—

Name of the District.	*Name of the Tehsil.*	*Amount spent*
1. Ganganagar.	1. Suratgarh.	5,000/-
	2. Hanumangarh.	3,000/-
	3. Nohar.	4,000/-
	4. Bhadra.	2,000/-
	Total	14,000/-
2. Churu.	1. Churu City.	8,000/-
	2. Churu.	8,000/-
	3. Rajgarh.	6,810/-
	4. Taranagar.	Nil.
	5. Ratangarh.	46,500/-
	6. Town Sardarshahar.	3,100/-
	7. Sujangarh.	25,000/-
	8. Dungargarh.	10,500/-
	Total	1,05,010/-
3. Bikaner.	1. Bikaner.	74,800/-
	2. Nokha.	51,000/-
	3. Mogra.	64,000/-
	4. Lunkaransar.	86,600/-
	Total.	2,76,400/-

श्री **चन्दनमल वैद**—बीकानेर जिले में ज्यादा रकम खर्च करन का क्या कारण ह ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)**—बोर्ड जो बनाये गये हैं उन्होंने बांटे हैं।

श्री **चन्दनमल वैद**—बोर्ड के चेयरमेन कौन हैं ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)**—श्री जसवन्तसिंह।

श्री **चन्दनमल वैद**—क्या आप नोखा, मगरा और बीकानेर तहसील से चुन कर आये हैं ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)**—इसका पता मुझे नहीं। शायद आप ज्यादा जानते होंगे।

प्रश्न संख्या ६५६

श्री कानसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state:-

(a) The number of cheap grain shops opened in each district of the Bikaner Division and the names of places at which these were opened.

(b) If any subsidy has been given for the purpose, and the amount so given for each district in Bikaner Division.

श्री भोगीलाल पंड्या (नागरिक रसद मन्त्री)—(अ) बीकानेर डिविजन में सस्ते अनाज की ८४ दुकानें हैं जिनमें चूरु में ६१, बीकानेर में १३ और गंगानगर जिले में १० दुकानें हैं। चूरु जिले में निम्नलिखित स्थानों पर दुकानें हैं:—

राजगढ़	७
नरवासी	१
बेरासर	१
सांख	१
सिधिमुख	१
हडियाल	१
तारानगर	६
बयां	१
बुचावास	१
सहवा	२
सातन	१
सुजानगढ़	९
बीदासर	३
छापर	३
रतनगढ	९
मोलीसर	१
राजलदेसर	३
सरदारशहर	४
दुलरनसर	१
पुलरासर	१
खनजूरा	१
घरसीसर	१
रनसीसर	१
	६१

Page No.28

[श्री भोगीलाल पंड्या]

गंगानगर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर सस्ते अनाज की दुकानें हैं:--

भादरा	रावतसर
नोहर	ललना
फेंफना	रामगढ़
हनुमानगढ़	सूरतगढ़
जबरासर	विजयनगर

बीकानेर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर सस्ते अनाज की दुकानें हैं:—

उदयरावसर	नयासर
देशनोक	नोखामन्डी
सुरपारा	श्री कोलायतजी
गजनेर	लूनकरनसर
महाजन	श्री डूंगरगढ़
सुडसर	पुगल

(ब) सस्ते अनाज की दुकानों पर अनाज दिया जाता है। वह सबसिडाइज्ड (subsidised) भाव पर ही दिया जाता है। इस डिवीजीन के लिये सप्लाई विभाग द्वारा विशेष सबसिडी नहीं दी गई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गंगानगर जिले में की ९ तहसीलों में सिर्फ १० दुकानें खोलना ही काफी समझा गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—जी हां, जितनी मांग की है उतनी ही खोली गई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—और इसके अलावा दूसरी तहसीलों से कोई मांग नहीं आई।

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—इसके अलावा कलेक्टर्स को अधिकार दिया गया है कि जहां कहीं की मांग आये वहां खोल दी जायं।

प्रश्न संख्या ६५७

श्री कानसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(a) The fund sanctioned for famine relief measures for each district in Bikaner Division.

(b) Kind and number of works, as famine relief measures, completed so far in each district of the Bikaner Division, and the amount spent on each of them.

Page No.29

[श्री कानसिंह]

(c) Number of persons employed on each work.

(d) Duration of the period of each relief work from commencement to completion.

(e) Number of relief camps started in each district of the Bikaner Division giving their location with reference to works for which opened and the period of duration of each camp.

(f) Amount of gratuititious relief granted to dependents of persons working on relief works.

(g) Names of relief camps where hutting arrangements were made protection of the workers against the inclemencies of weather ?

(h) Numbers and names of camps where medical relief was provided ?

(i) The scale of famine wages paid to the labourers, under each category, in the relief camps ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--

(a) The fund sanctioned for famine relief measures for each district in Bikaner Division are these :—

Name of District.	Funds Sanctioned.
	Rs.
(1) Bikaner	1,68,500
(2) Ganganagar	2,29,500
(3) Churu	1,69,000
Total ..	6,07,000

(b) The required information is as under :—

Name of district. 1	Kind of Relief measures. 2	No. of works. 3	Works Completed. 4	Estimated amount spent. 5
Bikaner	Relief Works	52	31	1,32,000
	Gratuitous relief			7,000
	Cattle conservation			3,500
	Taccavi Loans.			10,000
				1,52,500

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

1	2	3	4	5
Churu	Relief Works	129	54	1,46,000
	Gratuitous relief			8,000
	Cattle conservation			5,000
	Taccavi Loans			10,000
				1,69,000
Ganganager	Relief Works	89	61	1,68,000
	Gratuitous relief			9,000
	Cattle conservation			8,000
	Taccavi Loans.			10,000
			Total	1,95,000/-

(c) Number of Persons employed on each work is not readily available. Total No. of persons employed district-wise is given below:—

Bikaner	48,549	Persons.
Churu	96,323	,,
Ganganager	1,41,327	,,

(d) The information is not readily available.

(e) Relief Camps exist at:—

(1) Taranagar and (2) Sahwa on the Taranager Sahwa road.
(3) Rawat-sar on Rawatsar Pallu road.
(4) Sardarshaher (5) Sankhu (6) Bhadra (7) Lunkaransar
(8) Kolayat (9) Nohar.

These Camps were started in the first week of March, 1953 (except Nohar, last week of March.)

(f) This type of classification has not been maintained.

(g) Sirkies have been provided at Taranager and Sahwa-Camps. Arrangement have been made to provide Sirkies at each camp.

(h) A sum of Rs. 500/- have been placed at the disposal of Collectors to appoint compunders. The Director of Medical and Health Services has been asked to provide medicines. Most of the camps are at present near the towns having medical dispensaries. Steps are being taken to open medical camps whenever necessary.

(f) The labour is paid as under:—

(1) Diggers. 12 as. per day.

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(2) Carriers. 10 as. per day.

(3) Children above 13 years. 8as. per day.

प्रश्न संख्या १४७

श्री गुरुदयाल सिंह बन्धु--क्या अनूपगढ़ तहसील के बारानी इलाके में कुछ रुपये खर्च किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इसकी सूचना नोटिस मिलने पर दे सकता हूं।

श्री मोहब्बतसिंह--मेरा एक निवेदन है। वह यह है कि मैंने एक प्रश्न जिसका सम्बन्ध राजस्थान के भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीजी से था भेजा था और वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसका सम्बन्ध बीकानेर की महिला अध्यापिकाओं से था। उसका उत्तर आज तक नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष--You can enquire from the office. It is not the place for making enquiry.

श्री संतोषसिंह--मैंने एक शोर्ट नोटिस प्रश्न पेश किया था उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--It will come. You will enquire from the office.

(विराम)

राजस्थान आवश्यक सेवा (संधारण) विधेयक, १९५२

When we considered the Essential Services (Maintenance) Bill, 1952, it was agreed that the Bill will be circulated for eliciting public opinion, but no date was specified as to by which date public opinion will be received, So we can fix up the date now with the leave of the House. We can say that three months will be sufficient from the date of its publication in the Rajasthan Gazette. I take it as the leave of the House.

श्री एच. के. व्यास--It should be at least six months.

श्री मथुरादास माथुर--(आक्षेपपूर्वक)--It should be five years.

श्री अध्यक्ष--Your view point is quite clear to the House.

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२ (क्रम में)

We should proceed with the discussion on Clause 65 of the Rajasthan Panchayat Bill. I think all the amendments were moved and now it is for the Minister-in-charge to reply.

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, इस धारा पर बहस मुबाहसा होनेपर भी सदन के सभी सदस्यों ने इस धारा के महत्व को स्वीकार किया है। खास तौर से श्री एच. के. व्यास ने भी इस धारा को स्वीकार किया है, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण में यह बतलाया कि वे पंचायतों को लोगों की अपनी संस्था नहीं रखना चाहते और उन्होंने यह बतलाया कि जमीन का किराया देनेवाले काश्तकार पंचायतों को टैक्स देने में असमर्थ होंगे और वे जमीन के मालिक भी इससे नहीं होते। मुझे तो इसमें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। किसी भी गवर्नमेन्ट के रहते हुए कोई भी व्यक्ति, जो जमीन काम में लाता है ऐसा नहीं है जो रेन्ट न देता हो और जमीन का रेन्ट देनेवाले को जमीन का मालिक नहीं समझना भूल है, वह उसी की मिल्कियत है। वह उसमें काश्त कर सकता है, उसकी पैदावार ले सकता है। वही आमदनी लेता है और वह उसी की मिल्कियत है। पंचायत का टैक्स इस वास्ते है कि इससे यह मालूम हो जाय कि फलां आदमी की कितनी हद तक पंचायत की मदद करने की हैसियत है। उसकी हैसियत के मुताबिक जितना पंचायत मुकर्रर करेगी उतना ही उसे पंचायत को देना पड़ेगा। पंचायत को मदद करने वाला अपनी खुद की मदद करता है।

किसी सज्जन ने कहा था कि सब क्लॉज (१) (ए) हटाना चाहिये। जो लोग पंचायतों के हिमायती अपने आपको समझते हैं वे ही लोग पंचायतों को जो अधिक अधिकार ग्राम शासन को चलाने के लिये मिल रहे हैं उनका विरोध करते हैं और पंचायतों के मूल पर ही आघात करते हैं और ऐसे लोग पंचायतों को उनका काम चलाने के लिये टैक्स देना पसन्द नहीं करते चाहे इससे पंचायतों का काम भले ही बिगड़ जाय। उनकी कोरी सहानुभूति में कोई तथ्य नहीं है। वे लोग इस टैक्स का मुकाबला सरकारी टैक्स से करते हैं और कहते हैं कि एग्रिकल्चरल इनकमटैक्स लगनेवाला है और सेल्स टैक्स भी लगने वाला है, तो फिर यह टैक्स क्यों लगाया जाता है? ऐसी बातें करने वालों ने यह नहीं सोचा कि इसका उपयोग क्या होगा और इसको लगाने वाले कौन हैं और वे किस गरज से लगाते हैं वे तो केवल यही सोचने लगे कि लाल रंग है इसलिये चमकना ही चाहिये, वे लाल रंग की चमक से ही डर गये और समझने लगे कि लाल रंग है इसलिये जरूर चमकना चाहिये। यह टैक्स पंचायतों को चलाने के लिये और उनके आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिये लगाया जाता है। यदि पन्चायतों को मजबूत करेंगे तो राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता में से सवा करोड़ जनता को स्वशासन के अधिकार दिलावेंगे। इसलिये मेरा खयाल है कि पंचायतों को अधिकार दिलाने में खिलाफत करने की ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें।

इस पर जो कुछ बहस हुई है उसके बाद में जो मन्जूर करना चाहता हूं वह निवेदन करता हूं:—

श्री एच. के. व्यास का सबसे पहला एमेन्डमेन्ट कि "In sub clause (1) line 4 retain the words decided to be deleted by the Slect Committee" स्वीकार करता हूं और चाहता हूं कि यह रहना चाहिये। आगे उनका एमेन्डमेन्ट है "Delete part (a) of sub clause (1)" मुझे नामन्जूर है। एमेन्डमेन्ट "In part (d), delete the words collings and professions" भी मुझे नामन्जूर है। अमेन्डमेन्ट 'Delete part (f) of sub clause (1) मुझे

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(2) Carriers. 10 as. per day.
(3) Children above 13 years. 8as. per day.

प्रश्न संख्या १४७

श्री गुरुदयाल सिंह बन्धु—क्या अनूपगढ़ तहसील के बारानी इलाके में कुछ रुपये खर्च किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी सूचना नोटिस मिलने पर दे सकता हूं।

श्री मोहब्बतसिंह—मेरा एक निवेदन है। वह यह है कि मैंने एक प्रश्न जिसका सम्बन्ध राजस्थान के भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीजी से था भेजा था और वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसका सम्बन्ध बीकानेर की महिला अध्यापिकाओं से था। उसका उत्तर आज तक नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—You can enquire from the office. It is not the place for making enquiry.

श्री संतोषसिंह—मैंने एक शोर्ट नोटिस प्रश्न पेश किया था उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—It will come. You will enquire from the office.

(विराम)

राजस्थान आवश्यक सेवा (संधारण) विधेयक, १९५२

When we considered the Essential Services (Maintenance) Bill,1952, it was agreed that the Bill will be circulated for eliciting public opinion, but no date was specified as to by which date public opinion will be received, So we can fix up the date now with the leave of the House. We can say that three months will be sufficient from the date of its publication in the Rajasthan Gazette. I take it as the leave of the House.

श्री एच. के. व्यास—It should be at least six months.

श्री मथुरादास माथुर—(आक्षेपपूर्वक)—It should be five years.

श्री अध्यक्ष—Your view point is quite clear to the House.

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२ (क्रम में)

We should proceed with the discussion on Clause 65 of the Rajasthan Panchayat Bill. I think all the amendments were moved and now it is for the Minister-in-charge to reply.

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, इस धारा पर बहस मुबाहसा होनेपर भी सदन के सभी सदस्यों ने इस धारा के महत्व को स्वीकार किया है। खास तौर से श्री एच. के. व्यास ने भी इस धारा को स्वीकार किया है, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण में यह बतलाया कि वे पंचायतों को लोगों की अपनी संस्था नहीं रखना चाहते और उन्होंने यह बतलाया कि जमीन का किराया देनेवाले काश्तकार पंचायतों को टैक्स देने में असमर्थ होंगे और वे जमीन के मालिक भी इससे नहीं होते। मुझे तो इसमें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। किसी भी गवर्नमेन्ट के रहते हुए कोई भी व्यक्ति, जो जमीन काम में लाता है ऐसा नहीं है जो रेन्ट न देता हो और जमीन का रेन्ट देनेवाले को जमीन का मालिक नहीं समझना भूल है, वह उसी की मिल्कियत है। वह उसमें काश्त कर सकता है, उसकी पैदावार ले सकता है। वही आमदनी लेता है और वह उसी की मिल्कियत है। पंचायत का टैक्स इस वास्ते है कि इससे यह मालूम हो जाय कि फलां आदमी की कितनी हद तक पंचायत की मदद करने की हैसियत है। उसकी हैसियत के मुताबिक जितना पंचायत मुकर्रर करेगी उतना ही उसे पंचायत को देना पड़ेगा। पंचायत को मदद करने वाला अपनी खुद की मदद करता है।

किसी सज्जन ने कहा था कि सब क्लॉज (१) (ए) हटाना चाहिये। जो लोग पंचायतों के हिमायती अपने आपको समझते हैं वे ही लोग पंचायतों को जो अधिक अधिकार ग्राम शासन को चलाने के लिये मिल रहे हैं उनका विरोध करते हैं और पंचायतों के मूल पर ही आघात करते हैं और ऐसे लोग पंचायतों को उनका काम चलाने के लिये टैक्स देना पसन्द नहीं करते चाहे इससे पंचायतों का काम भले ही बिगड़ जाय। उनकी कोरी सहानुभूति में कोई तथ्य नहीं है। वे लोग इस टैक्स का मुकाबला सरकारी टैक्स से करते हैं और कहते हैं कि एग्रिकल्चरल इनकमटैक्स लगनेवाला है और सेल्स टैक्स भी लगने वाला है, तो फिर यह टैक्स क्यों लगाया जाता है? ऐसी बातें करने वालों ने यह नहीं सोचा कि इसका उपयोग क्या होगा और इसको लगाने वाले कौन हैं और वे किस गरज से लगाते हैं वे तो केवल यही सोचने लगे कि लाल रंग है इसलिये चमकना ही चाहिये, वे लाल रंग की चमक से ही डर गये और समझने लगे कि लाल रंग है इसलिये जरूर चमकना चाहिये। यह टैक्स पंचायतों को चलाने के लिये और उनके आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिये लगाया जाता है। यदि पन्चायतों को मजबूत करेंगे तो राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता में से सवा करोड़ जनता को स्वशासन के अधिकार दिलावेंगे। इसलिये मेरा खयाल है कि पंचायतों को अधिकार दिलाने में खिलाफत करने की ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें।

इस पर जो कुछ बहस हुई है उसके बाद मैं जो मन्जूर करना चाहता हूं वह निवेदन करता हूं:—

श्री एच. के. व्यास का सबसे पहला एमेन्डमेन्ट कि "In sub clause (1) line 4 retain the words decided to be deleted by the Slect Committee" स्वीकार करता हूं और चाहता हूं कि यह रहना चाहिये। आगे उनका एमेन्डमेन्ट है "Delete part (a) of sub clause (1)" मुझे नामन्जूर है। एमेन्डमेन्ट "In part (d), delete the words collings and professions" भी मुझे नामन्जूर है। अमेन्डमेन्ट 'Delete part (f) of sub clause (1) मुझे

Page No.35

[श्री एच.के व्यास]

मन्जूर हैं किन्तु ५वां एमेन्डमेन्ट "Delete part (g) of this sub-clause" मुझे नामन्जूर है। श्री भैरूसिंहजी के इस धारा के सभी एमेन्डमेन्ट मुझे नामन्जूर हैं।

श्री शंभूसिंह जी के एमेन्डमेन्ट " (1) In para (a) line (2) ,for the words 'one anna' substitute the words 'half anna "

(2) In para (b) line 3 for the words 'one anna" substitute the words 'half anna"

(3) In para (c) line 4 for the words "one anna" substitute the words 'half anna" मुझे मंजूर हैं।

श्री हरिदत्तजी का एमेन्डमेन्ट मुझे मन्जूर है।

श्री अध्यक्ष—It has not been moved.

श्री रामकरण जोशी—यह एमेन्डमेन्ट जरूरी है, यह रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Shri Tejmal Bapna.

(अनुपस्थित)

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री को संकेत करके)

This will be taken as an amendment from you.

श्री रामकरण जोशी—ऐसा ही ले लीजिये। जैसे भी हो पंचायतों का काम चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—I think this co-operative mood will continue. So I put it to vote.

श्री एच. के. व्यास-Sir, I want to know what exactly have been accepted. I have a right of reply also, Sir.

श्री अध्यक्ष—No, No. I will make it clear. I do not allow the right of reply.

श्री एच. के. व्यास—On a point of order. No, I have a right to reply. If I interrupt.

श्री अध्यक्ष—It is quite clear. The points have been thrashed out and it is not necessary to give a right of reply. When we proceed in such a cordial atmosphere you should not insist on your right of reply.

श्री एच. के. व्यास—It is my right and I will have to insist on it.

श्री अध्यक्ष—Order ! The question is that Amendment No. 70 in sub-clause (1) fourth line, retain the words decided to be deleted by the Select Committee, be acccepted.

(स्वीकृत)

The amendment is adopted.

(विराम)

The question is that part (f) should be deleted.

(स्वीकृत)

Part (f) is deleted.

(विराम)

Now the question is that the amendment about deletion of part (a) and deletion of the words "callings and professions" in part (d) be accepted.

श्री एच. के. व्यास—The rest were not moved.

श्री अध्यक्ष—The question is that these amendments be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments fail.

(विराम)

Now we come to Amendment No. 96 by Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूं सिंह—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Bhairon Singh to withdraw his amendment. Leave is granted.

(स्वीकृत)

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—सदन की आज्ञा से मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री शम्भूसिंह को सम्बोधित करते हुए)

About the proviso. You want to withdraw.

श्री शंभूसिंह—No Sir, I want to press it.

Page No.37

श्री अध्यक्ष—The question is that the proviso to sub-clause (1) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Amendments Nos. 14,15, and 16 be accepted.

(स्वीकृत)

These amendments are added.

(विराम)

The question is that Amendment No. 172 by Shri Tej Mal Bapna, that "In sub-clause (1) add the following new part (j) and the present part (j) to be renumbered as (k):—

"(j) a tax for arranging the supply of drinking water within the Panchayat Circle; and" be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now the question is that sub-clause 1 of Clause65 as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

The sub-clause (1), as amended, is accepted.

(विराम)

Now we come to Sub-clause (2).

श्री तेजसिंह—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

श्री एच. के. व्यास—Sir, I beg to move the amendment that sub-clause (2) be deleted.

[श्री एच.के. व्यास]

माननीय मंत्रीजी ने मेरे पीछे वाले अमेंडमेंट के सिलसिले में जवाब देते हुए काफी जोरों से कहा कि जिस किसान का जिक्र किया जा रहा है उसी किसान के प्रतिनिधि पंचायतों में होंगे और वह अपने खुद के हितों को जरूर देखकर जितना आवश्यक होगा और जितना वह दे सकेंगे उतने ही टैक्स लगायेंगे। उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि हमें उन चुने हुए किसानों के प्रतिनिधियों पर विश्वास करना चाहिये, केवल लाल रंग का कपड़ा देख कर हमें चमकना नहीं चाहिये। मेरा भी सदन के सामने अमेंडमेंट पेश करते हुए यह कहना है कि आप उन चुने हुए किसानों के प्रतिनिधियों में विश्वास कीजिये केवल लाल नाम से या लाल कपड़े से चमकिये नहीं। यह सब क्लॉज इसी आधार पर पैदा होता है कि आपको उन चुने हुए किसान के प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है, आपको डर है कि अमुक टैक्स तो लगादें और अमुक टैक्स नहीं लगादें, आपको डर है कि सारे के सारे टैक्स लगायें या नहीं, इसलिये आप उनपर बंधन लगाना चाहते हैं, पाबन्दी लगाना चाहते हैं अमुक टैक्स लगावेंगे तो बाकी के टैक्स भी लगाने पड़ेंगे पार्ट ए. बी. सी. में से कोई भी टैक्स लगावेंगे तो लाजमी तौर से बाकी के टैक्स भी लगाने पड़ेंगे। जबकि हम बार बार उन चुने किसानों के प्रतिनिधियों में विश्वास की दुहाई देते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे बनाये हुए कानून में उनके अधिकारों पर रोक रखना, पाबन्दी लगाना उनमें अविश्वास करना होगा। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह sub-clause (2) अन्याय पूर्ण रोक है और यह चुनी हुई ग्राम पंचायतों पर गैरवाजिब बन्धन है, सरकार की ओर से जबरदस्ती का प्रतिबन्ध लगाने का प्रतिबन्ध है; अतः इसे डिलीट करना चाहिये।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि जो १६ सदस्यों की इन्फोर्मल मीटिंग (informal meeting) थी उसमें शायद इस अमेंडमेंट को मंजूर करने की रजामंदी दी थी। इन शब्दों के साथ में यह अमेंडमेंट पेश करता हूं।

श्री **जवानसिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सब क्लॉज '२' के संबंध में सदन के सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं। ता० १६ मार्च को जो १६ सदस्यों की मीटिंग हुई थी उसमें जहां तक मेरा अनुमान है ऐसी कोई बात निश्चित नहीं की गई थी कि सब क्लॉज '२' को डिलीट कर दिया जाय, ऐसी सूरत में ऐसा हवाला देना बिल्कुल गलत है। जहां तक इसको डिलीट करने का सवाल है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसे (lacuna) या कोई ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें ग्राम पंचायतों के सदस्यों में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वार्थवश किसी वर्ग विशेष के साथ अत्याचार कर सकते हैं। तो सरकार को ऐसी परिस्थितियों के लिये अपने हाथ में ऐसा प्रोविजन, ऐसा अधिकार रखना चाहिये कि कोई वर्ग विशेष किसी वर्ग विशेष के साथ अत्याचार नहीं कर सके ऐसी परिस्थितियों के लिये यह उचित है ताकि किसी के साथ जरूरत से ज्यादा टैक्सेशन का बोझा डालकर किसी वर्ग पर अत्याचार नहीं हो सके।

यह तीनों क्लॉजेज ए. बी. और सी. जिनमें समान रूप से समान भार नागरिकों पर रखा गया है, सब पर समान भार रहे, सब बराबर टैक्स दें, परमावश्यक है। इनके नहीं रहने से ऐसा नहीं हो कि जिस वर्ग की अभी माननीय सदस्य दुहाई दे रहे हैं दूसरे वर्गों पर ज्यादा बोझा डाल दे और अपने वर्ग पर

Page No.39

[श्री जवानसिंह]
टैक्स का बोझा नहीं डाले। अगर ऐसा हुआ तो यह उचित नहीं होगा। इसको डिलीट करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होना चाहिये। अंत में मेरा सदन से यह निवेदन है कि इसे डिलीट नहीं करना चाहिये।

श्री **अध्यक्ष**—श्री तेजसिंह अपना अमेंडमेंट मूव करें।

श्री **तेजसिंह**--Sir, I do not want to move.

श्री **रामकरण जोशी (स्वयत्त शासन मंत्री)**--अध्यक्ष महोदय, सब क्लॉज २ के बारे में अमेंडमेंट पेश करते हुए बहुत सी दलीलें दी गई हैं, उन पर आपको कुछ और विचारने की जरूरत है। यह कहना कि सब-क्लॉज (२) को हटा दिया जाय क्योंकि यह सब-क्लॉज पंचायतों को जो कर वह लगाना नहीं चाहतीं लगने के लिए बाध्य करता है या पंचायतों को काम करने में बाधक होता है, बिल्कुल गलत है। जमीन पर कर, जो लोग खेती करते हैं और जिनकी हैसियत होती है कि वे कुछ कर सकते हैं उन पर लगाया जाता है। इस सब क्लॉज में तीन बातें बताई गई हैं जिनका ताल्लुक ए. बी. सी. से है।

पंचायतों के चुनाव में यह हो सकता है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुन कर आए और वह यह पसन्द करे कि अमुक वर्ग पर पड़ने वाला टैक्स तो रहना चाहिये और अमुक वर्ग उस प्रकार के टैक्स से बच जावे। इसको रोकने के लिए यह बात रखी गई है। हम यह चाहते हैं कि हमारी पंचायतें आदर्श पंचायतें हों और अच्छी तरह से स्वावलम्बी बन कर चलें, पंचायतों में लोगों को न्याय मिले। हम समझते हैं कि जब तक पंचायतें अपने ढर्रे पर नहीं चल सकती है तबतक सरकार का यह फर्ज होता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों से, जो वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित करते हैं और पंचायतों में वास्तविक न्याय नहीं होने देते हैं और अपने यहां के गांवों के वा..ावरण को खराब करते है और जो लोग मिलजुल कर अपने झगडों को आपस में निपटाने लें उनको नहीं निपटा देते और नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्तियों से पंचायत को बचावें। इसलिये यह जरूरी होता है कि क्लॉज (ए.) (बी.), (सी.) में इस प्रकार पंचायत की आमदनी बढ जावेगी और उससे उनका माप दन्ड ऊंचा उठेगा। मैं यह कहूंगा कि पंचायतों के पंचों को भी अपने पर भी उतना ही टैक्स लगाना चाहिये जितना कि वे दूसरों पर लगाना चाहते हैं।

इसलिये जो अमेंडमेंट हैं उन पर गौर फरमाया जावे और जो लोग इसको वापिस लेना चाहते हैं वापिस ले लें।

श्री **एच. के. व्यास**--Now the atmosphere is going to turn into a little fireworks and I hope you will permit me to exercise my right of reply.

श्री **अध्यक्ष**--I had seen the relevant rule. It is in the discretion of the ...r to give a right of reply. I do not think the right is needed. I put the ... to vote. The question is that Amendment No. 72 about deletion ...se (2) by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

Page No.40

[श्री अध्यक्ष]

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Sub-clause (2) to Clause 65 be added.

(स्वीकृत)

Sub-clause (2) is added to the clause.

(विराम)

Now we come to sub-clause (3). There are no amendments to sub-clause 3. I Put it to vote. The question is that sub-clause (3) to clause 65 be accepted.

(स्वीकृत)

Sub-clause (3) is added to Clause 65.

(विराम)

Now sub-clauses (4) and (5). There is only one amendment to both these clauses including the poviso. Shri H. K. Vyas.

श्री एच. के. व्यास--Mr. Speaker, Sir, I beg to move that sub-clauses (4) and (5) to Clause 65 and the provisos be deleted.

अभी तक इस क्लॉज के सवन्ध मे पंचायतों को अधिकार के बारे में और अमुक अधिकार पंचायत को होने चाहिये अथवा नहीं होने चाहिये इस सिलसिले में धाराओं पर बहस चल रही थी। अब यह हिस्सा जो इस क्लॉज का है उसका ताल्लुक राज्य सरकार के अधिकारों के साथ जोडा जाता है और इन दोनों धाराओं में यह दर्ज है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो पंचायतों को आदेश दे सकती है कि अमुक अमुक टैक्स पंचायतों को लगाने पडेंगे और जब राज्य सरकार इस प्रकार के आदेश देती है तो फिर उस पंचायतों के लिये यह बंधनकारी चीज हो जाती है। धारा के अंग (५) के अनुसार उसको टैक्स लगाना ही पडेगा। जिन पंचायतों के सिलसिले में अभी अभी इतनी जोर से जिक्र हो रहा था, अभी उन्ही पंचायतों की बहुत बडी इज्जत इन दो धाराओं द्वारा की जा रही है और वह यह की जा रही है कि वे अपने खुद के प्रयत्नों से न चले, सरकार के आदेशानुसार चलें। लगाना तय करना उनके हाथ की बात नहीं। राजस्थान सरकार के इशारे से वे कटपुतली नाचने वाली कटपुतली बनें और इस संबन्ध में मेरा यह साफ दावा है कि पंचायतों को बना सिर्फ पचायतें बनाना नहीं बल्कि टैक्स जमा कराने वाली संस्थाएं बनाना है क्यों कि पंचा गांव की मर्जी पर नहीं चल सकेंगी। उनको आवश्यकता होगी तो वे कर लगा लेंगी और न है यह बात नहीं है। अगर उनका काम नहीं चलेगा तो वहां की जनता उस पर वि

[श्री एच. के. व्यास]

जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर और चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर यह एक जबरदस्त अविश्वास है। जो मेम्बर्स इससे सम्बन्धित हैं उनसे अधिकार छीने जा रहे हैं। यह भी नहीं कि राज्य सरकार उनको कोई सुझाव दे। नहीं। आदेश, अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है और इस प्रकार के आदेश शाया हो जाते हैं कि पंचायतों को आंख मींच कर टैक्स लगाना पड़ेगा। इस प्रकार की धारा इस पंचायत के कानून में रखना मेरे खयाल से पंचायत के कानून की मखौल करना है और सरकार की इच्छा इस बात को जाहिर करती है कि उनका मकसद पंचायतों को बनाना नहीं है किन्तु लोगों की जेबों से लगातार टैक्स वसूल करके केवल कठपुतली पंचायतें बनाना है। अतः भाग (४) और (५) इस खण्ड से पूरी तरह से हटा दी जाय।

श्री अध्यक्ष--Yes Shri Bhim Singh.

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट श्री एच. के. व्यास ने रखा है और जिसमें कहा गया है कि सिलेक्ट कमेटी द्वारा पास किए गए धारा ६५ के क्लॉज(४)और(५)को डिलीट कर दिया जाय, इस संबन्ध में मुझे यह अर्ज करना है कि यह आथोरिटी, यह पॉवर, यह सत्ता गवर्नमेन्ट के पास इस बिल के तहत इसलिए रखी गई है कि [illegible] यतें गांवों में फन्कशन करेंगी, जो पंचायतें गांवों में चालू रहेंगी उन पंचायतों [illegible] लाने के लिए पूरा पैसा मिले और कहीं वे पंचायतें डिफन्क्ट (defunct) न हो जाय, [illegible] मारे पास खर्चा नहीं है। हो सकता है कि इन पंचायतों में, इन पंचायतों के सरकल्स (circles) में ऐसे व्यक्ति या इस तरह का ग्रुप आजाय कि जो इस प्रकार के टैक्सेज को वसूल करते हुए और वसूल नहीं करते हुए भी सरकार से पंचायतों को चलाने के लिए खर्च की डिमान्ड करें और क्लॉज २६ में जो (subsidy) दी गई है या मामूली खाना पूरी कर दें और जैसा कि क्लॉज २६ में सिलेक्ट कमेटी ने पंचायतों को पॉवर दिलवाए हैं कि वे पटवारी जो लगान वसूल करवायेंगे उनको दस परसेन्ट मुनाफा मिलेगा, इनको मानते हुए भी बाकी के टैक्सेज नहीं लगावेंगे और इसके अलावा पंचायतें जो फन्क्शन करेंगी और उनके द्वारा जो गांवों को सुधार होना चाहिये वह न होकर वह सुधार केवल गलियां साफ करने तक ही सीमित रह जायगा और इस पंचायत बिल से जो मकसद हल करवाना हम चाहते हैं वह नहीं होगा। अतः इस प्रकार के पॉवर्स सरकार के हाथ में रहने से बिल का मकसद पूरा हो जायगा और सिलेक्ट कमेटी का भी यही मकसद है। मेरी यह अर्ज है कि सिलेक्ट कमेटी ने ६५ वें क्लाज में जो सब क्लॉजेज (४) और (५) रखें हैं वे बदस्तूर रहने चाहियें।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, जिस नजर से यह अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है वह हमारे इस पंचायती राज्य के लिये कहां तक कामयाब साबित होगा इसमें मुझे शंका है। चुनावों में कुछ खड़े होने वाले उम्मीदवार जनता में, लोगों में, जिनसे वे वोट लेना पसन्द करते हैं अपनी तरफ से यह नारा लगवाना चाहते हैं कि आप हमको वोट दें, हम आपसे टैक्स वसूल नहीं करेंगे। केवल इस नारे में पॉलिसी ओफ अपीजमेन्ट (policy of appeasement) है कि हम टैक्स नहीं लगावेंगे, आप हमको वोट दीजिये और वे इस प्रकार लोकल बोडीज में वोट लेकर जाने का रास्ता निकालते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित

[श्री रामकरण जोशी]

करना चाहता हूं कि यह भावना जनतन्त्र की भावना के विरुद्ध है, यह भावना जनतन्त्र के मूल में आघात पहुंचाने वाली है। अगर किसी लोकल बॉडी का चुनाव होता है और जिस क्षेत्र का वहां प्रतिनिधित्व होता है तो वहां भलाई का कार्य होना चाहिये। जरूर कुछ आमदनी का जरिया होना चाहिये और उस पंचायत की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ होनी चाहियें और इसके लिये निहायत जरूरी है कि जो आमदनी का जरिया होगा वह चोरी से नहीं हो सकता, वह भीख मांगने से नहीं हो सकता ; वह तो केवल टैक्स लगाने से हो सकता है टैक्स लगा कर ही उस पंचायत की और उस क्षेत्र की उन्नति की जा सकती है। इसके विपरीत एक विचारधारा है कि चुनाव के वक्त कहा जाय कि हम टैक्स नहीं लगावेंगे। मैं यह कहूँगा कि वे उन लोगों के वोट लेकर वहां जावें और अगर वे वहां कोई टैक्स नहीं लगा सकते तो वे उस क्षेत्र की उन्नति नहीं कर सकते। उन पंचायतों की जो जिम्मेदारियां हैं वे उनको पूरी तरह से नहीं निभा सकेंगे। वे दवा वितरण का कार्य नहीं कर सकेंगे, वे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, सफाई आदि का जो जरूरी कार्य है वह नहीं कर सकेंगे और बिना पैसे के जो डिस्क्रेशनरी जिम्मेदारियां उन पर डाली गई हैं उनको वे पूरा नहीं कर सकेंगे। फिर उनकी तरफ से पंचायती राज्य का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि टैक्स लगाने के बारे में उनकी यह विचार धारा गलत है। बिना टैक्स लगाये लोकल बॉडीज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत नहीं र[illegible]कता और [illegible] को आगे बढने का मौका नहीं मिलता। सरकार की तो यह मंशा है कि पंचायतों की [illegible]ढ हो, पंचायतें स्वावलम्बी हों और अपनी उन्नति करें। सरकार की किसी प्रकार का इन्टरफियर [illegible] की कोई मंशा नहीं है और वह यह भी नहीं चाहती है कि अमुक टैक्स लगें और अमुक टैक्स नहीं लगें। इन धाराओं का मकसद तो यही है कि लोकल बॉडीज का आर्थिक संकट दूर हो और रोज मर्रा की जो कठिनाईयां हैं, यानि खर्च न चलने की जो रोज मर्रा की शिकायतें हैं वे दूर हों और ऐसी स्थिति में आप देखिये कि इन लोकल बॉडीज को चलाने के लिये सरकार के पास पॉवर्स होने चाहिये, जिनके अभाव में लोकल बॉडीज की जिन्दगी लटकी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह धारा किसी पंचायत के पॉवर्स छीनने के लिये नहीं है और अविश्वास करने के लिये भी नहीं है किन्तु यह अविश्वास तो उन सदस्यों पर है जो चुनावों में लोगों को ऐसा कह कर कि हमें वोट दीजिये हम कोई टैक्स नहीं लगावेंगे इन संस्थाओं में जाना चाहते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकल बॉडीज में जाने वाले सदस्यों को ध्यान होना चाहिये कि उन लोकल बॉडीज की आर्थिक हालत सुदृढ हो, मजबूत हो और अगर जरूरत पडे तो और धाराओं के अनुसार अपने अधिकारों को काम में लें। अतः ये धारायें जरूरी हैं और ये धारायें निर्दोष हैं जिनको स्वीकार किया जाना चाहिये और जिन सज्जनों ने अमेन्डमेन्ट रखा है वे उनको समझदारी के साथ वापिस ले लें तो मैं उनका बडा शुक्रगुजार होऊंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to quote the rule regarding my right of reply.

श्री अध्यक्ष—It is clear. No point of discussion..................

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir. On a point of order.

श्री अध्यक्ष—You want the right of reply. I have seen the rules and I do not want to enter into discussion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am seeking your permission to make a submission.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—And it is that I want to draw pertinent attention to Rule 105 which says that except in the exercise of a right of reply no member shall speak more than once. This right has been given under sub-clause (2) of this rule:—"A member who has moved a motion may speak again by way of reply ....,,and in the proviso it is written that nothing shall be deemed to give any right of reply on an amendment except in the case of amendments proposed to bills, and the right of reply exists.

श्री अध्यक्ष—Order ! It is clear. It is all discretionary with the Chair. The word "may" gives the right to the Chair.

श्री हरिकृष्ण व्यास-That discretion is with the Member, he may reply.

श्री अध्यक्ष—Then it would have been "He shall reply". The right of "may" is with the Chair. Order ! And it depends on the nature of the amendments, the nature of the discussion which follows a particular section.

(विराम)

The question is that Amendment No. 74 regarding deletion of sub-clauses (4) and (5) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments are lost.

(विराम)

Now the main question. The question is that sub-clauses (4) and (5) to Clause 65 be added to the Bill.

(स्वीकृत)

Sub-clauses (4) and (5) are added to the clause.

(विराम)

The question is that the whole of Clause 65 as amended be added to the Bill

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 65 as amended is added to the Bill.

(विराम)

There is one more amendment by way of addition to be moved by the Member-in-charge of the Bill. I put the amendment to vote before the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What exactly is the amendment Sir.

श्री अध्यक्ष—The amendment proposed is that after clause 65 of the Bill the following new clause 65A be added—

"65A. Special tax and community service—A Panchayat May, with the previous permission of the Government, impose any tax on the adult male members of the Panchayat area for the construction of any public work of general utility for the inhabitants of such area:

Provided that it may exempt any member from payment of this tax in lieu of doing voluntary labour or having it done by any person on his behalf;

Provided further that in the case of an emergency, manual labour may be compulsorily imposed without payment."

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, what is going to be the procedure now, Sir ? Do we take it as moved and is it open to the Members to express themselves on it ?

श्री अध्यक्ष—We take it as moved by the Member-Incharge because he accepts it. You have a right to oppose it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह जो एमेण्डमेण्ट जिस बकडोर (back door) तरीके से आया है और जिसे बहुत जल्दी जल्दी माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिया तो इससे ऐसा मालूम होता है कि कहीं कोई इशारे से ही तो यह अमेन्डमेन्ट नहीं प्रस्तुत किया गया है। इस बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

अब तक सभी प्रकार के टैक्स लगाने के अधिकार हमने इसे दे दिये हैं और अब किसान के पास जो चीज बची है, आखिरी, तो उसे भी टैक्स के रूप में लेने का अधिकार अपने हाथों में अथवा पंचायत के हाथों में लेना चाहती है यह सरकार और वह आखिरी चीज जो लेने से बची थी वह है उस किसान का श्रम।

उसके इस श्रम को भी नहीं छोडना चाहती यह सरकार। वॉलेंटेरी लेबर (voluntary labour) के बजाय इमर्जेन्सी में लेबर कराने का अधिकार सरकार के अथवा आम लोगों के हित में पंचायत को दे देने और इस तरह के जनरल पॉवर्स दे देने का मतलब यह होगा कि पहले तो यह

[श्री एच. के. व्यास]

अधिकार होगा पंचायतों को। अगर पंचायतों में कोई पंचायत, मान लो कि सरकार के पक्ष में नहीं हुई तो उसके ऊपर होकर भी वह अधिकार धारा (४) व (५) में सरकार ने अपने अधिकार में ले लिये हैं। आप एक और नये टैक्स लगावें और वह टैक्स इमर्जेन्सी घोषित करके आम लोगों से लेबर भी मुफ्त में लेना शुरू कर दें, यह अजीब बात है। लेकिन आज तक आमदनी पर टैक्स लिया जाता रहा, किराये पर लिया जाता रहा और अब लास्ट में यहां तक पहुंचे कि ह्यूमन लेबर (human labour) थी नहीं छोडी।

तो मेरा खयाल है यह कि इस पर बगैर सोचें और बगैर काफी गंभीरता से विचार किये इतने महत्वपूर्ण और वाइड (wide) अधिकार दे देना न सिर्फ ठीक ही है बल्कि गैरवाजिब है। इसलिये भी नहीं कि पंचायतों को ये अधिकार दे दिये गये हैं पर अगर कोई पंचायत यह टैक्स लगाना न चाहे तो उन्हें भी डंडा दिखाने के लिये यह सरकार के एक्जीक्यूटिव (executive) अधिकार इसमें मौजूद रहें, अगर वे पंच ऐसा न भी करना चाहें तो मजबूरी से सरकार द्वारा उनसे करवाया जावेगा। इस कारण से मैं इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूं और सदन से दरख्वास्त करता हूं कि इस सरकार को मजबूर किया जावे कि वह इन अधिकारों को लेने से बाज आवे।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, पंचायती बिल की बहुत सी धाराओं में हमने कई प्रकार की बातें देखीं लेकिन न मालूम एक दिन के अन्दर ही सरकार को अपनी सामन्तशाही का प्रभाव जनता पर डालने के लिये यह बेगार का नया तरीका निकालने की क्या सूझी?

मुझे सबसे बडा अफसोस तो यह हुआ कि जो बेगार का जो क्लॉज पंचायत एक्ट में इन्सर्ट (insert) किया जा रहा है वह उन्हीं मन्त्री महोदय के जरिये किया जा रहा है जिन्होंने कि चुनाव के समय अपने प्रचार के पोस्टरों के अन्दर एक गरीब किसान को दरख्त से बांध कर यह दिखाया था कि बेगार वह नहीं देता था तो ये जागीरदार ऐसे जुल्म उन पर किया करते थे। पर आज वे ही तरीके, जोकि सामन्तशाही के जमाने के गिने जाते हैं और जिनका इतना कडा विरोध हमारे ये ही मन्त्री महोदय करते थे और जिन्होंने इसको चुनाव के समय में भी एक बडा हथियार समझा था, उसीको आज वे ही मन्त्री महोदय अपने एक मित्र से इस प्रकार का संशोधन रखवाते हैं और उसके आज इस सदन में उपस्थित न होने के बावजूद भी झटसे अपने मुख से फरमाते हैं कि मैं इसे प्रस्तुत करता हूं और मन्जूर करता हूं।

मैं तो कहूंगा कि आपने इसको पेश ही क्यों किया। जैसा कि हमारे मित्र ने कह दिया है कि अगर यह पास कर दिया गया तो यह बडी गैरवाजिब चीज होगी। मैं तो कहूंगा कि यह गैर वाजिब ही नहीं पर सरकार के लिये और साथ ही हमारे सदन के सदस्यों के लिये भी एक कलंक की बात होगी

यह तो वही पुरानी सामन्तशाही के जमाने की बात हुई। इमर्जेन्सी (emergency) हुई कि पकडो गांव वालों को और चाहे जो काम उनसे करवा लो इसको बेगार के सिवाय कोई और चीज अगर साबित कर देगें तो मान लूंगा; पर मैं इस बात को हरगिज नहीं मान सकता हूं

Page No.46

[श्री मानसिंह महार]

कि यह बेगार से दूसरी कोई चीज हो सकती है क्योंकि इसमें गवर्नमेन्ट को ऐसे ओवरव्हेल्मिंग पॉवर (over wheling power) मिलेंगे कि आगे चल कर किसी भी समय वे इमर्जेन्सी डिक्लेअर कर सकते हैं और इसके बाद इस प्रकार की बेगार गांवों में चालू कर दी जावेगी। यही नहीं यह तो हमारा, अध्यक्ष महोदय, पूरा अनुभव है। जिस समय हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का विरोध कर रहे थे उस समय यही मन्त्री महोदय कह रहे थे कि विरोधीपक्ष को भी प्रतिनिधित्व दिया जावेगा। इसका नमूना मैं आपको बताता हूं कि जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में १६ आदमी नॉमिनेट किये गये हैं जिनमें से विरोधीपक्ष के केवल दो आदमियों को नोमिनेशन (nomination) के लिये छांटा गया है और वह भी ऐसों को छांटा गया है कि जो अपने कार्यों में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि मुश्किल है कि वे आधी मीटिंगें भी अटेन्ड (attend) नहीं करेंगे। बाकी १६ में से १४ सत्तारूढ़दल के हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जसवंतसिंह--ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इस जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो इलेक्टेड मेम्बर्स हैं उनमें कांग्रेस के ज्यादा हैं या विरोधी दल के ज्यादा हैं? हरेक की कितनी कितनी संख्या है यह भी आप बतादें। मुमकिन है इससे माननीय मन्त्री महोदय अपने विचारों को बदल कर सही तौर से रिप्रेजेन्टेशन कर दें।

श्री मानसिंह महार--(जारी) जयपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में १३ सीटों में से ७ तो कांग्रेस को जाती हैं और ६ पर विरोधी पक्ष के आदमी जाते हैं, यह स्थिति है। इसके बावजूद भी इस प्रकार का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो इस गवर्नमेन्ट से क्या आशा कर सकते हैं। इस पंचायत बिल में कि वह इस प्रकार के क्लॉज इन्सर्ट (insert) करके गांवों में बेगार नहीं लेगी और मैं तो इस क्लॉज के इन्सर्ट करने से, अध्यक्ष महोदय, यह मानता हूं कि अगर किसी गांव में कोई मन्त्री महोदय का दौरा होगा तो वह वहां पर इमर्जेन्सी डिक्लेअर कर देंगे और उनके स्वागत के लिये रास्ते में लाल पिट्टियां बिछवायेंगे, गांव वालों से बेगार लेकर या लाल कपड़ा बिछवायेंगे, पग पांवडे बिछाने के लिये। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस ओर बैठने वाले सदस्यों से ही नहीं बल्कि सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इस क्लॉज के इनसर्शन (insertion) पर सख्त से सख्त विरोध करें। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का काला क्लॉज इस बिल में इन्सर्ट किया जावे और मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि हम इस क्लॉज का हर तरह से विरोध करेंगे और अगर सरकार इसको पास करना चाहती है तो अपनी मेजोरिटी के बल पर ही ऐसा कर सकती है। पर हम यह नहीं होने देंगे कि हमारे जरिये हमारी ही आम जनता पर इस प्रकार का कलंकित कानून जबरदस्ती लादा जावे।

मैं इधर बैठे हुए सज्जनों से, जो ज्यादातर गांवों से आये हैं, जिनकी गांवों के प्रति ज्यादा आस्था है, अपील करूंगा कि वे इस बात को ध्यान में रखें और खासकर हरिजन भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिन परिस्थितियों को वे बहुत दिनों तक भोग चुके हैं और जिनको अब छुटकारा मिला है, इस प्रकार के कानून

Page No.47

[श्री मानसिंह महार]

के इन्सरशन (insertion) से उनको वे दिन फिर देखने पडेंगे जो दो-चार वर्ष पहिले वे भोग चुके हैं। उनको एक मत होकर हमारा समर्थन करना चाहिये। ये चन्द शब्द कहकर, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह अमेंडमेंट स्वीकार कर जो उन्होंने भूल की है उसको दुरुस्त करें और अपनी जिद्द को छोडकर सच्चे मायने में सद्भावना प्रदर्शन करते हुए अगर वे वास्तव में जनता का हित चाहते हैं तो इन्सरशन को वापिस ले लें।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के प्रति कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक इस पूरे क्लॉज का ताल्लुक है इनमें कम से कम पहिले के जितने भी वर्डिंग्ज हैं उनको कुबूल करते हुए केवल इस पोर्शन का विरोध करता हूं।

"Provided further that in the case an emergency manual labour may be compulsorily imposed."

मेरा निवेदन यह है कि ऐसी धाराएं केवल वार टाइम के अन्दर अवश्य देखी थीं जब कि किसी खास काम को पूरा करने के लिये हरेक मनुष्य को बाध्य किया जाता था कि फलां काम करना पडेगा। किन्तु इस वक्त शान्ति के समय में खास तौर से अपने गांवों में जहां उनकी तरक्की करने का सवाल है अगर हम उनके ऊपर कोई जबरदस्ती कानून थोपना चाहें तो अनुचित होगा। मेरे पूर्ववक्ता ने ठीक कहा था। खास तौर से इस सब क्लॉज को देखते हुए यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार की मंजूरी लेकर ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतों के नागरिकों पर बेगार थोपे। अगर कोई जरूरी काम है और वह इस तरह के व्यक्ति को करना पडेगा जिसके ऊपर यह भार रखा गया है तो मेरी समझ में यह कानून कम से कम शान्ति के समय का उपयोगी नहीं माना जा सकता। खास तौर से मैं इस बात का विरोध करता हूं। इसपर मिनिस्टर महोदय दुबारा गौर करें; चाहे वह संशोधन किसी खास पार्टी की तरफ से ही क्यों न पेश किया गया हो। उस सदस्य की गैर मौजूदगी में जो आपने उसे मन्जूर करने की जल्दबाजी की है उस जल्दबाजी पर आप गौर कीजिये कि वे शान्ति के समय में ऐसे कानून को पेश करना चाहते हैं जिसके अन्दर व्यक्ति विशेष को, जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, जिसका भारी भरकम शरीर होगा उस पर आप लाजिमी कर रहे हैं कि वह सडक के ऊपर जाकर दिन में आठ घण्टे काम करे चाहे वह एक घण्टे भी काम नहीं कर सकता। बेहतर होता उस आदमी की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति जाकर काम करदे और वह अपनी तरफ से मजदूरी दे दे। आठ घण्टे काम बराबर कर सकता है और उसके काम का एवजाना ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिये। ऐसी सूरत में उचित होगा कि जो आखिरी प्रोविजो है उसको खत्म कर दिया जाय ताकि वहां का कोई काम सफर (suffer) न करे और उस काम के सफर (suffer) करने का हमें आभास भी नहीं हो सकेगा और हम यह भी नहीं जान पायेंगे कि हम युद्धकाल में फंसे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रोविजो के जो आखिर में दिया हुआ है उसको डिलीट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--This amendment has been moved by the Minister Incharge. So it should be referred to the Minister and not Mr. Badri Prasad. The Minister Incharge has taken it up and it should be considered as an amendment by the Minister Incharge.

श्री मानसिंह--I hope the Members have a right to speak over this amendment.

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री मानसिंह--Mr. Deputy Speaker, This amendment relates to compulsory manual labour. If I put it succintly, this amendment goes against the fundamental rights of the Mankind.

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

It goes against the directive principles of State Policy. As long as the present social structure of the village community is there, this amendment will restrict their rights and will be highly detrimental to the interests of the scheduled castes and scheduled tribes. Their present condition refers to the social injustice in the villages. Still, with our democratic progress, we find that the old rule prevails.

If this power to graft manual labour is given, it is a power equivalent to the totalitarian state. This type of measure was taken when Russia regimented its collective programme.Therefore I do not see any necessity of this power being given to the Panchayats. That will hurt themselves. They will not be able to make any use of it. I would, therefore, like to request the Hon'ble Ministor Incharge that such amendments should be honourably withdrawn.

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्षजी, जिस वक्त सदन में यह पंचायत बिल प्रस्तुत किया गया उस वक्त राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बनाया गया था कि राजस्थान की जनता अब एक ऐसे युग में चल रही है जिसमें जनता का वास्तविक राज्य होगा। जिस वक्त भारत का विधान बना उस वक्त कॉन्स्ट्युएट असेम्बली में कई ऐसे प्रश्नों पर विचार किया गया। विचार करके यह निर्णय किया कि भारत में विधान के अनुसार किसी प्रकार की जबरन बेगार लेना मना है। अभी मेरे एक माननीय मित्र ने कन्स्टीट्यूशनला बातों पर कुछ कहा था, इसलिये मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता।

सरकार आजकल पंचवर्षीय योजना में लगी हुई है और यह समझती है कि यदि भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजना सफल हो जायगी तो राजस्थान का ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष का ढांचा अच्छा हो जायगा। उस ढांचे के कारण सारे भारत की जनता को सुख मिलेगा। उस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये भारत सरकार ने जो जो कदम उठायें हैं उनमें सबसे मुख्य चीज यह है कि लोग वालण्टरी लेबर उसमें दें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ भारत सरकार, पंचवर्षीय योजना के निर्माता, माननीय प्रधान मंत्री, इस बात की कोशिश करते हैं कि जनता में एक प्रकार के ऐसा वातावण का निर्माण किया जाय जिसके कारण लोग पंचवर्षीय योजना को फलीभूत करने के अन्दर अपने आप श्रम दान करें, किन्तु दूसरी ओर हमारी राजस्थान सरकार की यह मंशा है कि इस

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

जबरन श्रम से राजस्थान की जनता का भला हो सकेगा। वह इस बात का कानून बनाने जारही है। किसी चीज को अच्छा बनाने में नये कानून बनायें, हम कोई भी अधिकार लें, तो इसलिये नहीं कि जिससे जनता से जबरन बेगार ली जाय। एक तरफ तो वह नीयत कि इस प्रकार का वातावरण बनाया जाय, और दूसरी तरफ यह नीयत कि वातावरण नहीं, कानून बनाया जाय। तो यह दोनों चीजें कन्ट्रोवर्शियल होंगी। पंचवर्षीय योजना में वातावरण का निर्माण करने के लिये जनता से एक तरफ जब हम यह कहेंगे कि हम आपसे श्रमदान चाहते हैं और दूसरी तरफ हम श्रम के लिए उन पर हम कानून लादना चाहते हैं तो फिर इस सदन के माननीय सदस्यों को ही नहीं बल्कि माननीय मंत्रीजी को भी पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित कराते समय लज्जित होना पड़ेगा। सदन के सदस्यों को जनता की आवाज के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। जिस जनता को हमने आश्वासन दिया है, जिस जनता से हमने कहा है कि विधान के अन्दर हम उनके लिये कोई ऐसा कानून बनाने नहीं जारहे हैं जिससे कि तुम्हारे अधिकारों पर कुठाराघात हो, जिससे तुम्हारे से जबरन बेगार ली जाय उसी जनता को ऐसे कानून बनाकर धोखा देंगे। इससे गन्दा वातावरण बन जायगा। इसलिये मैं मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने अमेंडमेंट को वापस लेलें।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट तुरंत पेश होगया। इस हाउस के सामने नोटिस नहीं मिला, न हमारे पास कोई कापी आई। न मालूम वह किस तरह से आया है यह रहस्य वे बेन्चेज ही जान सकती हैं। इसका हमें कोई पता ही नहीं, क्यों उधर की बेन्चेज के एक ओर मेम्बर ने उसको प्रस्तुत किया था, वह हाजिर नहीं थे, उनके बजाय मिनिस्टर महोदय, इनचार्ज बिल, (incharge bill) ने यह प्रस्तुत किया है, क्योंकि इसको उन्होंने एक्सेप्ट (accept) कर लिया है इसलिये बहस करने का वैसे तो काफी मौका नहीं मिला, लेकिन जो कुछ मौका मिला है उसके अन्दर दो लफ्ज में भी अर्ज करना चाहता हूं।

मेरा यह ख्याल है कि यह आंख मींचकर किसी स्टेट की नकल की जा रही है। जिन महोदय ने यह अमेंडमेंट पेश किया है वह उधर की सीमा के साथ रहने वाले हैं। वह मध्य भारत की सीमा है। मध्यभारत में जहां तक मेरा खयाल है कि इस तरह की एक क्लॉज पंचायत बिल में रखी गई है कि कम्पलसरी लेबर लिया जाय और जो कम्पलसरी लेबर नहीं दे उसके बजाय वह पैसा दे। वह क्लॉज शायद राजस्थान में भी चलाने का सुझाव पेश किया गया है। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मेरे मित्रों ने बहुत सारे इस पर सुझाव दिये हैं उन्हीं बातों को मैं दुहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर अर्ज करूंगा कि जो बात आप करना चाहते हैं वह बात नहीं होगी और उसका परिणाम विपरीत होगा। पंचायतों में अभी गांवों में जो सहयोग हमें मिलता है और इमरजेन्सी (emergency) में लोगबाग हर तरह से तैयार हो जाते हैं काम करने के लिये वह भी बात जाती रहेगी। इस क्लॉज के एडॉप्ट करने से लोगबाग हर तरह से छोटे छोटे आदमियों को तंग करेंगे और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा और सरकार को इसके लिये मुमकिन है शायद कुछ नुकसान उठाना पड़े। मैं ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता। इतना ही मैं अर्ज करूंगा कि मैं समझता हूं कि मिनिस्टर

[श्री हिम्मतसिंह (अटरू)]
महोदय इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, और इसमें कम्पलसरी लेबर लेने की जो क्लाज है उसको वापिस विड्ड्रा कर लेंगे ।

श्री ईश्वरोसिंह–अध्यक्ष महोदय, पंचायतां बनावा में आज सरकार ईंकी पर आमादा हो री है कि जबरदस्ती जो पेलां का रवाज हा वे कराया जाय तो फिर पंचायतां की जरुरत नहीं है। अगर पंचायतां की जरुरत सरकार समझी ही तो पंचायतां या काम करने को जरुरत हो, जिण तरह सूं चलेगी, जिस्या तरीकासूं पंचायतां चलेगी, खर्च-वर्च करने में अगर सरकार हजारां बरसां की परथा पाले है तो फेर पंचायतां की जरुरत क्या ही ? मैं आप लोगां सूं इतो ही अर्ज करना चाहूं के काल-परसों अठे सवाल उठयो है। हरिजन भायां यहां पर सवाल उठा रा है कि गांवां में हरिजन ढोर घसीटने को काम नहीं करेगा तो मंत्री महोदय उत्तर दियो हो कि वां ने घसीटना पड़ेगा जका पेलां सूं घसीटता हा । अगर इसी बात ही तो पेलां जो काम करता हा तो फेर आप लोगां की जरुरत क्या ही । वैसा ही यह काम करने की जरुरत है। अब तो प्रजातन्त्र राज्य कह्यो जावे है तो प्रजा की राय क्यों नहीं होनी चावे । और आप लोग कुर्सियां पर प्रजा की आख्यां मांय धूल डाल डाल कर बेठया हो । (करतलध्वनि) आप लोग ६० साल सूं कहे रिया हो कि प्रजा के साथ इयांग को बरताव होगो, किसाण को बरताव होगो । बीं को छोड वासूं आगे जारिया हो। जिका किसान है टेगस दे रहया है, लगान में वे चावे हा कि प्रजातन्त्र राज्य जिको होगो तो कोई न कोई फायदो वाने भी मिलेगा ।

पचवर्षीय योजना बणी वीं में भी तमाम दुनिया में काम शुरु हुयो। पर भाई सीकर और शेखावाटी बारे में या नहीं बताई की पंचवर्षीय योजना में वहां आ चीज होली । दुनिया भर में सारा मूं चम्बल, भाखरा लाई जावेली, काफी काम करायो जावे लो, पर सीकर शेखावाटी में बतायो गयो है के एक सडक डाली जावेली । तो सडक सूं किसानों को कांई फायदो है भाई । किसानां री जमीन बिग. जायगी । सडक किसाना रे वास्ते कोई अच्छी चीज नहीं ।

दूसरी राय या ही के पंचायतां के मांय बेगार भी ली जायगी तो भला या कांई चीज है । अब काफी दुनिया या कह रही है कि दुनिया की राय ले ली जाय तो आ कांई बडी भारी चीज है। दुनिया कहे तो ठीक है । पंचायतां बनाई जाय तो पंचायतां मांय आदमी इस्या रख्या जाय जिका काम करे । पंचायत चलावा का कानून बनाया गिया । इसी पंचायतां की जरुरत नहीं । मैं तो इतनी ही अर्ज करूं ।

श्री देवीसिंह–माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी जो हाउस के सामने एमेन्डमेन्ट पेश किया गया है उसको देखने से यह समझ में नहीं आता है कि ऐसे एमेन्डमेन्ट की हमारे सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई है । आज आप देखते हैं कि एक तरफ जब जनता का राज्य हो रहा है तो उसमें जनता को ज्यादा स्वतन्त्रता मिलनी आवश्यक है, उसके विपरीत हम यह देख रहे हैं कि आज हमारे हाउस द्वारा ऐसा कानून पास किया जा रहा है जिसके द्वारा जनता की स्वतन्त्रता का अपहरण हो रहा है । आज हमारी सरकार और जो हमारे नेतागण हैं, वे कुछ ही समय पहले हमारी रियासतों की सामन्तशाही सरकारों की यह कह कर निन्दा किया करते थे कि उनकी सरकार द्वारा बेगार ली जाती है और इसलिये यह सरकार बड़ी खराब सरकार है। हमें ताज्जुब होता है और दुःख भी साथ ही साथ होता है कि वे ही

[श्री देवीसिंह]
नेतागण जो चन्द दिनों पहले इस बेगार को बुरा कहते थे आज बेगार को भला कहते हैं और यह एमेन्डमेन्ट जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा और जनता की सरकार द्वारा रखा जा रहा है, यह कितने शर्म की बात है। सरकार वही अच्छी समझी जा सकती है जो लीस्ट इन्टरफियरेन्स (least interference) करे या जनता के अधिकारों में कम से कम हस्तक्षेप करे। इसके विपरीत आज हमारी सरकार बेगार के कानून को जनता द्वारा चुने हुए नुमायन्दों द्वारा पास करवा कर जनता पर लगाना चाहती है। उनको यह चाहिये था कि जनता को इस चीज के लिये समझा बुझा कर तैयार करते कि वह पंचवर्षीय योजना या पंचायत के काम के लिये श्रम दान करें और वोलन्टियरली (voluntarily) श्रमदान देने को लोग तैयार हो जावें, ऐसा प्रयत्न किया जाता तो अधिक अच्छा होता। ऐसा मालूम होता है कि इन नेताओं को जनता को समझाने की कोई उम्मीद नहीं रही। इसका कारण यह है कि हमारे कार्य-कर्त्ता अपने आप को अयोग्य समझते हैं और वे यह जानते हैं कि वे जनता को तैयार नहीं कर सकेंगे कि वे स्वेच्छा से श्रमदान देने को तैयार हो जायं इसीलिये हाउस द्वारा यह बेगार का कानून पास कराया जा रहा है ताकि अनपढ़ या समझने वाले, चाहे कोई भी जनता के आदमी हों, उनसे जबरदस्ती बेगार ली जाय। इसलिये मेरा ख्याल है कि जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिये और इस प्रकार के गलत कानून पास नहीं करने चाहिये।

श्री रघुराजसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एमेन्डमेन्ट लाया गया है उसके द्वारा बेगार प्रथा को वापिस जारी करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस बारे में काफी कहा जा चुका है इसलिये मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशनली यह फन्डामेन्टल राइट्स (fundamental rights) के विरुद्ध पड़ता है। आर्टिकल २३ में यह साफ लिखा है:—

"(1) Traffic in human being and *begar* and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law."

आर्टिकल १३ के सब क्लॉज (२) में लिखा है कि:

"The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."

इसलिये यह एमेन्डमेन्ट बिल्कुल अनुचित है और विद्ड्रा (withdraw) होने योग्य है। मैं आशा करता हूं कि मिनिस्टर महोदय इसे विद्ड्रा (withdraw) कर लेंगे।

श्री भैरूंसिंह (केलवा)—मुझे कुछ बोलना है, पर यदि मंत्री जी इसे विद्ड्रा करलें तो समय बच सकता है।

श्री रामकरण जोशी—विद्ड्रा (withdraw) करने का कोई सवाल नहीं है।

श्री भैरूंसिंह (केलवा)—मैं यह समझता हूं कि जिन मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है उनके सम्बन्ध में बोलना एसेम्बली के मेम्बरों का कर्तव्य है नहीं, तो मौलिक अधिकार देना वाहियात है और चुपचाप बैठे रहकर सुनना वाहियात है क्योंकि ऐसी संस्था में आने के बाद भी जब हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है और हम शान्ति से बैठे सुनते रहें, यह ठीक नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि इस एक बात को सौ बार कहना चाहिये और हर एक मेम्बर को कहना चाहिये क्योंकि आप हमारे मौलिक अधिकारों पर हमला करते हैं और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के बिल्कुल विरुद्ध आप जा रहे हैं। जब हमारे यहां सामन्तशाही ढांचा था उस समय आपने गले फाड़फाड़ कर नारे लगाये और उससे बहुमत प्राप्त करके आज यहां बैठे हैं। यदि फोर्सड् लेबर का नारा नहीं होता तो शायद आज आप बहुमत में नहीं होते। आज आप उसी चीज को वापिस लगाना चाहते हैं। सरकार की यह नीति मेरे समझ में नहीं आती कि ऐसे एक्ट्स बनाने में क्यों जल्दी की जाती है। असेन्शियल सर्विसेज् एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट आदि इस तरह से लागू करना चाहते हैं जिससे मालुम होता है कि प्रजातन्त्र स्टेट को एक दम कॉम्युनिस्ट स्टेट में बदलना चाहते हैं। पंचायत बिल कितने समय पहले पेश हुआ, उस पर बहस हुई। इसके Amendment इन्फार्मेशन बराबर नहीं मिली। आप यह चाहते हैं कि यह किसी तरह से पास हो जाय और इसका ऑपोजिशन किसी तरह से नहीं हो। इसके लिये हमें सोचने का बिल्कुल समय नहीं दिया गया। इतने महत्वपूर्ण मसले के लिये भी आप समय नहीं देना चाहते। डेमोक्रेसी में व्यक्तित्व का बहुत महत्व होता है और उसके लिये पूरा ध्यान रखा जाता है। व्यक्तित्व के साथ स्टेट इन्टरफियरेन्स बहुत कम होता है। व्यक्तित्व के ऊपर जितना कम इन्टरफियरेन्स होता है उतनी ही अधिक डेमोक्रेसी की स्पिरिट मालूम होती है। टोटेलिटेरियन स्टेट या डिक्टेटरशिप में व्यक्तित्व को कम स्वतंत्रता मिलती है। जो बेगार पुराने जमाने में ली जाती थी वही आज फिर जारी करने की कोशिश की जा रही है। इसका साइकलोजीकल इफेक्ट (psychological effect) क्या पड़ेगा? इसके विपरीत यदि लोगों के दिलों में काम करने की भावना भरते तो काफी काम होता। मेरा एरिया कम्युनिटी प्रोजेक्ट (Community project) का एरिया है। वहां पर काफी लोग काम कर रहे हैं और हर कार्य को करने के लिये लोग तैयार किये गये हैं। व्यक्तियों को स्वेच्छा से काम करने के लिये तैयार करना चाहिये। लोगों की साइकोलोजी को बदलना चाहिये। बेगार के बजाय सेवाभाव से अगर काम करने लगें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप तो सामन्तशाही के जमाने की फोर्सड लेबर (forced labour) को काम में लाना चाहते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी क्या आवश्यकता है। जिस प्रथा से छुटकारा हजार साल के बाद लोगों ने पाया उसे अब फिर आप लागू करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्रीजी इसे विड्ड्रा (withdraw) करने की कृपा करेंगे और हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रयत्न नहीं करेंगे।

श्री खेतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरी खास बोलने की इच्छा नहीं है यदि मंत्रीजी इसे विड्ड्रा करते हैं तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, पंचायत बिल के प्रस्तुत खण्ड पर ऐसा लगा कि काफी गरमागरम बहस हो रही है और उसका आधार यह है कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिये गये हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तुत खण्ड इन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध

[श्री टीकाराम पालीवाल]

जाते हैं। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों के स्वरूप को समझने में शायद हम बहुत गल्ती कर रहे हैं।

जहां कोई भी कार्य समाज के हित के लिये करना जरूरी हो और उस समाज के प्रतिनिधि आम जनता के हित के लिये कोई निर्णय करते हों किसी टैक्स लगाने का या सामूहिक श्रम कराने का, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें मौलिक अधिकारों का हनन कहीं होता हो।

हमारा देश एक बहुत कठिन दौर में से गुजर रहा है। पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है और वह केवल प्रचार की चीज नहीं है। देश का पुनर्गठन, देश का आर्थिक ढांचा बदलना, उसका सामाजिक ढांचा बदलना और आमतौर से सर्वसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा करना इस योजना के अंग हैं, इस योजना का उद्देश्य है।

कोई भी काम जो सार्वजनिक हित की दृष्टि से, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये सामूहिक रूप से कराया जाय, बिना किसी भेद-भाव के, बिना किसी पक्षपात के "अमुक से कराया जायगा और अमुक से नहीं कराया जायगा" तब तो भेद-भाव हो सकता है पर किसी विशेष इलाके में वहां के लोगों के हित के लिये कोई आम काम करना जरूरी है और उस इलाके के चुने हुए प्रतिनिधियों को वैसा कराने का निर्णय करने का अधिकार हो तो मैं नहीं समझता कि इसमें किन्हीं मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मेरा निश्चित मत है, अभी ही नहीं, इस बिल के इस सदन में आने से पहले से मैं स्वयं अपने आप अलग में सोचता रहा हूं कि यदि हमें इतने बड़े विशाल राज्य का काम करना है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तालाब खुदवाना, कूए बनवाना सड़कें तैयार करना और रास्ते बनाना है तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकार किसी न किसी अधिकारी को देने होंगे चा ये अधिकार किसी तहसीलदार को दें या किसी और सरकारी अधिकारी को दिये जायं या ग्राम पंचायत को दिये जायं। किस अधिकारी को यह अधिकार दिये जायं यह सोचने का विषय है, पर ऐसे अधिकार होने चाहियें यह तो एक निश्चित बात है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। प्रतिनिधि को जरूर देख लीजिये कि किसी के साथ पक्षपात तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि जो प्रभावशाली हों उनको उससे मुक्त कर दिया जाय और जिनको बोलने की ताकत नहीं है उनसे ज्यादा काम लिया जावे। भेद-भाव नहीं हो, पक्षपात नहीं हो इसको देख लेना चाहिये। पर इस प्रकार के अधिकार हमारे संविधान में होने जरूर चाहियें यह मैं पहले से ही सोचता आ रहा हूं। पंचायतों के पास यह अधिकार हों कि अमुक काम हम अमुक एरिया में करवाना चाहते हैं तो उसके लिये एडल्ट मेल पोपुलेशन (adult male population) पर यह टैक्स लगाया जाय। यह विकल्प होना कि या तो वह श्रम देदे या उस श्रम की एवज में कीमत दे दे मुझे तो इसमें कोई कठिनाई मालूम नहीं पड़ती। मैं तो यह चाहता था कि ऐसे सार्वजनिक हित के कार्यों के लिये या तो कोई श्रम दे दे या अगर वह श्रम नहीं दे सकता है तो उस श्रम के एवज में तीन चार गुना टैक्स दे दे। इन अधिकारों के बारे में मेरा सदन से यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में गम्भीरता से सोचा जाय कि इस अधिकार के पीछे कितना वास्तविक जनहित छिपा हुआ है।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस विषय पर मेरा बोलने का विचार तो नहीं था पर एक मेरे पुराने साथी जो अगले दिन तक दूसरे रूप में बोल रहे थे और आज एक दूसरी हैसियत से बोलने

[श्री जसवन्त सिंह]
खड़े हुए थे, उनके बोलने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे भी इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने चाहिये । अभी मेरे साथी को थोडा ही समय हुवा है (पद छोड़े) अभी उनके विचार नहीं पलटे हैं । अगर एक महीने पश्चात् यह प्रश्न पेश होता तो मेरा विश्वास है कि माननीय मित्र पालीवालजी के विचार पलट जाते । संविधान में जो अधिकार हमें दिये हुए हैं इससे उन अधिकारों पर आघात हो रहा है । मेन्युअल लेबर कंपलसरी (manual labour compulsory) लेने का प्रबन्ध इसके जरिये किया गया है, प्रोविजो हटाने की भी सोचें तो भी विरोधी दल की ओर से हमें पूरा एतराज है । जनरल टेक्सेशन ६५ क्लॉज में सब पर लगाया, उसमें हमें एतराज नहीं है, पर बेगार रूप में पैसे लिये जायं, श्रम लिया जाय तो यह बेगार के रूप में होगा और संविधान में जो हमें हक दिये गये हैं उन पर आघात होगा । पालीवालजी ने कहा कि सामूहिक रूप में हमें मदद देनी चाहिये हम इसके लिये तैयार हैं । पर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसा कि हमारी मौजूदा सरकार का नैतिक स्तर है उसको देखते हुए हम किसी भी तरह उसको यह अधिकार नहीं दे सकते ।

मेरे एक माननीय मित्र ने इस सदन में बताया कि जो माननीय मंत्री इस अमेन्डमेन्ट को इस सदन में ला रहे हैं उनके नीचे जयपुर का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है जिसमें आपने १८ या १६ मेम्बर नामजद किये हैं । इस सिलसिले में हालांकि इस सदन में ८ मेम्बर चुन कर आये हैं और ६ मेम्बर विरोधी दल के चुनकर आये हैं पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आपने १६ मेम्बर कांग्रेस के और २ मेम्बर विरोधी पार्टी के लिये हैं जो उनके पिट्ठू हो सकते हैं और प्रेसीडेन्ट ऐसे व्यक्ति को रखा है जिसको विरोधी दल के एक सदस्य से चुनाव में खानी पड़ी थी और कोई हक नहीं रखते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेन्ट बन सकें ।

जहां हमारी सरकार का नैतिक स्तर इतना गिर सकता है वहां उसके हाथों में इतनी ताकत कैसे दे सकते हैं कि वह बेगार लगा सके ।

अतः इसका हम घोर विरोध करते हैं और अगर सरकार थोड़ी बहुत भी सोचने की शक्ति रखती है तो इसे वापिस ले ले । यह सत्य बात है कि संविधान के अन्दर जो हक से दिये गये हैं उन पर यह आघात है । किसी किस्म की बेगार किसी भी सरकार को लगाने का अधिकार नहीं है । इसके अलावा में एक प्रेक्टिकल (practical) उदाहरण देना चाहता हूं ।

हमारे प्रान्त में जातिवाद को उत्तेजना दी जा रही है । इस जातिवाद की बुनियाद पर एक महाशय की तरफ से एक कुआ खुदवाया जा सकता है । हालांकि यह वेलफेयर (welfare) का काम है जैसा कि कहा जाता है, मुमकिन हो कि एक गांव में कुआ खुदवाया जा रहा है और दूसरे लोग उससे सहमत नहीं है । फिर भी उनसे कम्पल्सरी लेबर लिया जावेगा और यदि वे लेबर नहीं दे सकेंगे तो उनसे पैसा लिया जावेगा । या तो वे श्रम दान दें या पैसा दें । उनसे बेगार ली जावेगी जो हम देने के लिये तैयार नहीं हैं । जैसा कि अभी हमारे मित्र माननीय श्री पालीवालजी ने फरमाया, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है । इस पर एडवोकेट जनरल की राय ली जावे । मैं यह कहूंगा कि हमें इसकी भी जरूरत है कि हम ए. जी. की राय जाने कि वे इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं । बात यह है कि यह एक बेगार

[श्री जसवन्त सिंह]
का रूप है और बेगार को सरकार खतम कर चुकी है। हमारी सरकार का नैतिक स्तर इतना ऊँचा नहीं है। हम बेगार देने के लिये तैयार नहीं हैं और यह हमारा कानूनी हक है।

श्री **खेतसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मैं, मंत्रीजी ने जो प्रोविजन रखा है, उसकी खिलाफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी थोड़े दिन पहले हमारे सामने पंचायतों के सम्बन्ध में जो आदर्श और दृष्टिकोण रखे वे सराहनीय थे। हम सब इस बात को मानते हैं कि सब को सच बोलना चाहिये, न्यायपूर्ण तरीकों पर चलना चाहिये, मेन्युअल लेबर (manual labour) देना चाहिये। यह सब कहने की बात है और वास्तविकता से दूर है। हम भारत को तभी आगे बढ़ा सकेंगे जब कि हम उच्च आदर्शों पर चलें। जैसा कि पालीवालजी ने आपके सामने कहा, आप खुद देखें कि वह क्लॉज जो पंचायत बिल में रखा गया है वास्तविकता से कितनी दूर है। आपने जो पंचायतें कायम की हैं और कर रहे हैं उसमें कितनी जातीयता भरी है। जहां जहां पर यह श्रमदान लागू होगा उसके अनुसार जो लोग कम्पलसरी लेबर नहीं दे सकते हैं वे पैसा दें। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि हर गांव में ऐसी विधवा और बुड्ढी औरतें होती हैं जो कम्पलसरी लेबर नहीं दे सकतीं। जब वे लेबर नहीं दे सकती हैं तो किसी विशेष वर्ग का पंच हुआ तो वह यह कहेगा कि लेबर नहीं दे सकते तो पैसा दो और अगर पैसा देने की हालत नहीं हो तो तुम लेबर दो। ऐसी हालत में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसको सुलझाना मुश्किल होता है और इसका इतना दुरुपयोग हो जावेगा कि जिसका चित्रण वास्तव में गांवों में ही हो सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रोवीजो को किसी भी हालत में नहीं जोड़ा जाना चाहिये। लोग इसका बहुत दुरुपयोग करेंगे और इस कदर इसका दुरुपयोग होगा कि उन लोगों को जान-बूझ कर हेरास (harass) करेंगे जिनको हेरास करने का अभी तक मौका नहीं मिला था। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इसकी वास्तविकता पर आवें और देखें तो आपको महसूस होगा कि इस क्लॉज को जोड़ने से बहुत नुकसान होगा।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—यह बताया गया है कि मन्त्री महोदय इस प्रोवीजो को छोड़ने के लिये तैयार हैं।

श्री **अध्यक्ष**—You oppose the whole clause or you have an objection to the proviso. What is your question?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—कम्पलसरी लेबर को छोड़ने के लिये मन्त्री महोदय तैयार हैं और बाकी के हिस्से को प्रेस करना चाहते हैं।

श्री **रामकरण जोशी**—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि प्रस्तुत क्लॉज को, जिसे सदन के सामने रखा है पढ़ने के बाद माननीय सदस्यों में से जिन जिन सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये उन्होंने इसको गलत समझा है। श्री पालीवाल जी ने इस क्लॉज का मतलब सदन के सामने स्पष्ट किया और मैं समझता हूं कि उसके बाद विरोधी दल के साथियों ने इसके महत्व को समझा होगा। मैं समझता

[श्री रामकरण जोशी]

हूं कि इसके बारे में स्पष्टिकरण कर दूं और उसके बाद अगर कोई सदस्य कुछ कहने की जरूरत समझें और अपने एमेन्डमेन्ट पर व्यक्तिगत विचार प्रकट करना चाहें तो कर सकते हैं और यदि वे अपने एमेन्डमेन्ट को विद्ड्रा करना चाहें तो विद्ड्रा कर लें।

आज एक बात सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि सदियों से जो लोग बेगार ले रहे थे और बेगार के पक्ष में थे वे भी आज बेगार के खिलाफ बोलते हैं। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने भी इस बात को महसूस किया है कि बेगार नहीं ली जानी चाहिये। इस क्लॉज ने उन्होंने इन भावों को प्रस्तुत किया है और यह जाहिर किया है कि उन लोगों में भी इतना परिवर्तन आ गया है। मगर उनके कहने का सेन्स (sense) जैसा मैंने समझा है उस समय की बेगार से है जो वे अपने समय व्यक्तिगत काम के लिये लोगों से जबरदस्ती लेते आ रहे थे। मगर श्रमदान का यह मतलब नहीं है और न वह बेगार इस प्रकार ली जावेगी। मगर इन्होंने तो उसी को बेगार का रूप देकर सदन के सामने श्रमदान की आलोचना इस प्रकार से की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह श्रमदान है, बेगार नहीं। यह श्रमदान इसलिये लिया जाता है कि यदि किसी ग्राम में या किसी क्षेत्र में वहां के रहने वालों के हित के लिये किसी प्रकार तालाब बनाना या दूसरी कोई विकास-योजना की जरूरत हो तो उसमें श्रम की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिये श्रम लिया जाय। यदि ऐसे कार्यों के लिये कोई दो-चार व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो इसमें सहयोग देना पसन्द नहीं करें और उल्टा विरोध करें जिसके विरोध के फलस्वरूप उस काम में बाधा पड़ती हो तो उनको रोकने के लिये यह क्लॉज है। इस पर हमें विचार करना चाहिये। श्रमदान को किसी भी व्यक्तिगत काम के लिये नहीं लिया जा सकता है। जिस प्रकार आप लोगों से घोड़ों की लीद साफ करने, पैर दबाने, झूठे बर्तन साफ करने या पानी भरने आदि के कामों में बेगार लेते थे उस प्रकार श्रमदान नहीं लिया जावेगा।

श्री हिम्मतसिंह—आप भी लीजिये।

श्री रामकरण जोशी—श्रमदान की इसलिये जरूरत है कि किसी गांव में मानलो कि पशुओं के पानी पीने के लिये तालाब नहीं है और उसको बनवाना है तो श्रमदान की जरूरत है। हर एक आदमी का फर्ज है कि वह इस प्रकार के कार्य में अपना सहयोग दे। लेकिन पंचायतों को ऐसी स्थिति में यह साफ बता देना चाहिये और साबित कर देना चाहिये कि इस क्षेत्र में काम होगा और सभी सदस्यों को चाहिये कि वे इस काम में सहयोग दें और अगर किसी तरह के झगड़ा-फिसाद की सूरत हो और लोग इसका विरोध करें और लेबर न दें तो ऐसी सूरत में कम्पल्सरी लेबर (compulsory labour) का प्रयोग होना चाहिये।

इसका विरोध करते हुए एक बात जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में कही गई और मैं यह कहना चाहता हूं कि वह बात बिलकुल झूठी कही गई है। इस तरह से झूठी बात सदन के सामने कहने का उनका क्या मतलब है? जयपुर जिला बोर्ड के निर्माण के बारे में यह कहा गया कि अमुक व्यक्ति को प्रेसीडेन्ट चुना गया, १६ सदस्यों में से १४ सदस्य कांग्रेस के हैं, जबकि चुनाव में १३ में से ७ दूसरे आदमी आये। यह झूठ है कि १७ सीटों में से कांग्रेस......

श्री मानसिंह–On a point of explanation, Sir,

मैंने सदन के सामने जिस प्रकार से ६ और ७ का रेशो (ratio) दिया है उसको मैं लिखित रूप में भी पेश करने के लिये तैयार हूं और जो मैंने कहा है वह सच कहा है। १७ सीटें तो थीं उनमें से ३ सीटें तो जयपुर शहर की हैं जिनका जयपुर जिला बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं। (करतल ध्वनि), चौथी सीट किशनगढ़ की है जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अभी तक नहीं बना है। यह झूठ में नहीं बोल रहा हूं जो मुझे झूठा बताते हैं और श्रमदान की दुहाई देने वाले हैं वही झूठ कह रहे हैं।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)–मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम जयपुर जिले का विचार करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहां जो १७ सीट्स हैं उनमें से १२ सीट कांग्रेस के कैन्डीडेट्स ने लीं और केवल छः जगहों पर गैर कांग्रेसी आये, वैसे पांच ही गैर कांग्रेसी हैं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)–बैराठ की जगह का क्या हुआ ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)–जब मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनना चाहिये और जो कुछ आपको कहना है वह बाद में भी कहा जा सकता है।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस बनने वाले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ६ आदमी ऐसे हैं जो कांग्रेस के नहीं हैं और गैर कांग्रेसी हैं और वे (कहने वाले लोग) कभी साबित नहीं कर सकते हैं कि वे गैर कांग्रेसी हैं। अगर उन्होंने यही समझ रखा है कि जिनके नाम के पीछे सिंह न हो वे ही कांग्रेसी हैं और जिनके नाम के पीछे सिंह है वे गैर कांग्रेसी हैं तो मैं समझता हूं कि वह वे चाहें उसी प्रकार समझ सकते हैं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—Is the Hon'ble Minister prepared to submit a list of persons who are non-congress men in the District Boards ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)–मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब जांच करने के बाद मालूम हो जायगा। अभी उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह अख्तियार है कि वह अपना चेयरमैन खुद चुने। कोई भी व्यक्ति नोमिनेटेड चेयरमेन नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह आपको बिलकुल गलत इत्तला दी गई है कि चेयरमैन बना दिया गया है।

जिन माननीय सदस्य का जिक्र करते हुए, जिनको गैर कांग्रेसी माना गया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रकार से हल्के दर्जे की राय सदन के सामने प्रस्तुत की गई है और कहा गया कि न्याय नहीं किया गया है, अन्याय किया गया है। मैं उनका नाम बता देना चाहता हूं। वे हैं ठाकुर श्री नरेन्द्रसिंह जी। कौन उनको नहीं जानता ? वे किसी जमाने में एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी हस्तियों के बारे में, कि जिनकी आमदनी का बहुत बड़ा

[श्री रामकरण जोशी]
भाग समाज के कल्याण में लगता है। वे एग्रीकल्चर कॉलेज चला रहे हैं। सदन में इस प्रकार की हल्के दर्जे की बात कही जाय, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि वे ऐसी बातें वापिस लें। दूसरे सज्जन के बारे में भी किसी एक्स्टेन्ट की लिमिट नहीं रही। कहा गया था कि वे चुनाव में खड़े हुए थे, चुनाव में मदद की थी। मैं आपको इनके बारे में भी बता देना चाहता हूं कि ये भी जिम्मेदार आदमी हैं और एक सभा के प्रेसीडेन्ट रह चुके हैं। अतः मैं यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बातें कहना अनुचित है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)--On a point of exlpanation, Sir......

श्री अध्यक्ष-Order ! Order !! This is not the main point of discussion.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)--इस प्रकार गलत इन्फॉर्मेशन के साथ गवर्नमेन्ट को कहा जाय तो मैं समझता हूं कि इसके लिये अफसोस प्रगट करने के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

प्रस्तुत क्लॉज का मतलब यह है कि किसी क्षेत्र के अन्दर पंचायत यह जरूरी मानती है कि अमुक आवश्यकतायें हैं और यदि मेम्बर्स यह चाहते हैं कि हम श्रमदान देगें और लेगें तो उन कामों को बेगार का स्वरूप मान लेना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और वह कॉम्युनिटिव (communitive) भावना के खिलाफ भी है जिससे देश का विकास अवरुद्ध होता है। कौन नहीं मानता कि आज कठिनाई के दिन नहीं हैं ? मैं मानता हूं कि कठिनाई के दिन हैं। फाइव इयर प्लान (Five year plan) की कठिनाई को महसूस करके अगर हम मिलजुल कर काम करें तो बहुत सारा काम किया जा सकता है और वे कठिनाइयां भी हमारी दूर हो सकती है। आज कितनी शिकायतें पंचायतों के मार्फत और कितनी शिकायतें जहां पंचायतें नहीं हैं वहां की जनता द्वारा प्राप्त होती हैं। पुरानी जागीर प्रणाली ने देश की आर्थिक दशा को तहस-नहस कर दिया है, पीने के पानी के साधन नहीं है, मवेशियों के लिये पीने के पानी के साधन नहीं हैं और आवागमन के साधन नहीं हैं। उन्होंने कोई भी साधन जनता के हित के लिये नहीं छोड़ा।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)--अब तो दूध की नदियां बहने लग गई हैं !

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--पीने का पानी नहीं था तो लोग क्या मर गए थे ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री) आपको ऐसा खयाल नहीं करना चाहिए। आपको तो समाज के कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से यह सुझाव आता है कि हमारे यहां आवागमन के साधन होने चाहिए, हमारे यहां पीने के पानी की जरूरत पड़ गई है ; यह भी जरूरत पड़ गई है कि हमारे यहां मवेशियों के लिये पीने का पानी चाहिये। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने इसके लिये प्रोवीजन रखा है और अगर हम उसको देखते हैं तो हमारे यहां साधन उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने यह प्रोवीजन रखा है कि अगर किसी बांध में सौ रुपयों का खर्चा होता है तो यदि १।३ गांव वाले, जहां कि वह बांध बंधने वाला है, देने के लिये तैयार हों तो २।३ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट दे देगी।

[श्री रामकरण जोशी]

१।३ हिस्सा अहमियत इसलिये रखता है कि अगर यह नहीं हुआ तो २।३ जो गवर्नमेन्ट देने के लिये तैयार है वह नहीं प्राप्त होगा। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन के लिये स्कूल खोलना चाहते हैं तो हमें जिस गांव में वह स्कूल खुलने वाली है उस गांव से १।३ रकम प्राप्त करनी होगी और २।३ सरकार देगी। अगर गांव वाले १।३ रकम नहीं देते हैं तो सेन्टर से कुछ रकम नहीं मिलने वाली है और उस हालत में वहां स्कूल नहीं खुल सकती और वह गांव पिछड़ा रह सकता है। अगर किसी जगह पीने के पानी की असुविधा है तो यह जरूरी मालूम पड़ता है कि इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मदद जरूर मिलनी चाहिये और वह उस हालत में मिल सकती है जब कि अगर इस काम में सौ रुपया खर्च होता है तो तैंतीस रुपया गांव वाले दें। यह तैंतीस रुपया, रुपयों की शक्ल में या श्रम की शक्ल में दे सकते हैं। यह एक दूसरी बात है किन्तु गांव वालों को मदद तो देनी ही पड़ेगी। इस तरह से मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था का सवाल है। ऐसी स्थिति में पंचायतें आवश्यकताओं को समझती हुई इन कामों को हाथ में ले सकती है। अगर यह बात हो जाय कि अमुक व्यक्ति बड़ा है, समाज में न मालूम क्या रहा है, न वह पैसा देना चाहता है और न श्रमदान ही देना चाहता है तो मैं समझता हूं वह उस क्षेत्र के साथ अवश्य अन्याय करता है। वह अपने हिस्से का काम अधिक कर सकता है क्योंकि वह बलशाली है, अधिक लोगों से उसका सम्पर्क है। हरिजन भाइयों से कहा गया है कि सदियों से चलने वाली बेगार को क्यों कायम रखे हुए हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उनका सहयोग जरूरी है, वहां के रहने वाले धनवानों का सहयोग जरूरी है, वहां के रहने वाले अच्छे आदमियों का सहयोग जरूरी है, और यदि ये सब लोग काम में लग जांय तो हमारे गांवों का, हमारे देश का शीघ्र ही विकास हो सकता है। ऐसी निर्दोष बातों से समाज की उन्नति हो सकती है, उस क्षेत्र की उन्नति हो सकती है और उस क्षेत्र की पंचायतों की भी उन्नति हो सकती है। अगर यह कहा जाय कि ये जातिवाद के आधार पर होंगी, सरपंच ऐसा करने लगेगा तो जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि ये बातें आज के युग में चलने वाली नहीं हैं। जो बातें १४ पीढियों से चली आ रही हैं वे अब इस युग में नहीं चल सकती है। आज जमाना बदल गया है और इस बदलते हुए जमाने में पुरानी जातिवादी रूढ़ियों को भी बदलना होगा। व्यक्तिगत बेगार नहीं ली जा सकती है और उस तरह आज कोई खतरा नहीं है। किन्तु यह अपने यहां के विकास के काम में आलस जरूर पैदा कर सकता है। यह धारा इसलिये रखी गई है कि कहीं ऐसी स्थिति न आ जाय कि उस क्षेत्र में दो–चार आदमी मिल जायं और वे इसका विरोध करें और सारे गांव के विकास को रोक दें। अतः सरकार ने ये अधिकार रखे हैं और पंचायतों के अन्दर वह महसूस करती है कि उसको अमुक काम लेना चाहिये, चाहे वह श्रमदान के रूप में हो या चाहे वह पैसे के रूप में हो। अतः मैं समझता हूं कि इसमें विरोध को कोई गुंजाइश नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि आप इसमें मुझे सहयोग देंगे। यह श्रमदान मर्जी का श्रमदान है। किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती नहीं करने वाला है। ये पावर्स भी पंचायतों को मिलते हैं। अगर किसी स्कीम को वह जरूरी मानती है तो वह चालू कर सकती है। अगर विन्डिक्टिव (Vindictive) होकर पंचायतें काम करती है तो वे नहीं कर सकती हैं और इसीलिये प्रीवियस सेन्कशन ओफ दी गवर्नमेन्ट (previous sanction of the Government) का प्रोवीजन रखा गया है।

Page No.60

[श्री रामकरण जोशी]

क्योंकि प्रीवियस सेन्कशन ऑफ दी गवर्नमेन्ट का प्रोवीजन आ जाता है वह इस आशंका को दूर कर देता है।

मैं निवेदन करूं, जैसा कि अभी मेरे एक साथी ने बतलाया कि यह मध्य भारत की नकल है कि पंजाब में भी यही है। यह हर जगह जहां पंचवर्षीय योजना चालू है, प्रिवेलेन्ट (prevelant) है। हर पंचायत को अपने अपने क्षेत्र की उन्नति करनी है। इसी से हम कुछ काम कर सकेंगे और इस पंचवर्षीय योजना को गांवों तक सफल बना सकेंगे। यह चीज पीछे सामने आई इसलिये इसे अब समावेश करने की बात हुई है। इसमें सरकार का कुछ भी नहीं है। आप ही लोगों को मिलने वाले अधिकार हैं। यदि आपको यह यकीन हो तो आपको मान लेना चाहिये। और दूसरी जगह भी यह बात जैसी की तैसी ही है। मैं पंजाब की बात सुनाता हूं :

"Provided further that in the case of an emergency manual labour may be compulsorily imposed without payment."

यह चीज इसमें भी है।

अगर आपका और सदन का आग्रह यही है तो यह हिस्सा हटा दिया जा सकता है। बाकी का हिस्सा जरूरी है। इससे गांवों का विकास होगा और फिर ये अधिकार तो पंचायतों को ही मिलने वाले हैं, सरकार को नहीं इस बारे में कोई गलतफहमी हो गई हो तो उस गलतफहमी को आप दूर करके इस पर विचार करें। यह तो एक श्रमदान के रूप में आवेगा, बेगार के रूप में नहीं।

श्री अध्यक्ष—So the second proviso should be deleted; i. e. "Provided further that in the case of an emergency manual labour may be compulsorily employed without payment."

श्री मानसिंह महार—On a point of information, Sir,................

मेरे बारे में कुछ कहा गया है। जो कुछ मैंने कहा वह मन्त्री महोदय को कुछ कटु मालूम हुआ और इस पर वे इस हद तक पहुंचे कि उन्होंने यह फरमाया कि मैंने जो कुछ कहा वह झूंठ है। अव्वल तो "झूंठ" शब्द अनपार्लियामेन्टरी है और मेरा तो यह कहना है कि मन्त्री महोदय ऐसे अनपार्लियामेन्टरी शब्दों के आदी हैं। मैंने जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में कहा था कि इसकी सीटें किस प्रकार से विभाजित हैं ? आमेर 'ए' और आमेर 'बी' से दो आदमी आये हैं विरोधी पक्ष के।

श्री अध्यक्ष—Not necessary. The point was raised by the Hon'ble Leader of Opposition. This is not the main question. It was something which he told and he replied. The controversy ends there.

श्री मानसिंह महार—It was not the thing अध्यक्ष महोदय, ये सारे आक्षेप मुझ पर थे।

श्री अध्यक्ष—If you want to have the burden of all this upon your own-self it is a different matter. You should end this controversy.

श्री मानसिंह महार—आपकी मरजी है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन (personal explanation) न देने पर इसमें तो मैं अन्याय ही समझूंगा ।

श्री अध्यक्ष—तो आप न्याय कर लीजिये । लीजिये फिर ।

श्री मानसिंह महार—तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सदन को बताना चाहूंगा कि आमेर 'ए' और 'बी' से दो सदस्य हैं वे दोनों विरोधी पक्ष के हैं । जम्वारामगढ, फागी और रूपनगढ और बैराठ के सदस्य विरोधी पक्ष में ही बैठते हैं ।

इसके अलावा दौसा-लालसोट से मन्त्री महोदय और एक सदस्य और दो जयपुर-चाकसू से और एक एक बांदीकुई, सिकराय और कोटपुतली से, ये इस प्रकार सात सदस्य कांग्रेस पक्ष के आये हैं । इनमें से भी कोटपुतली के अनकॉन्टेस्टेड आये हुए हैं । उनको न गिनने पर मैं तो कहता हूं ५०-५० रेशियो (ratio) जो है : इसके बावजूद भी नॉमिनेशन में १६ में से १४ का रेशियो कांग्रेसमैन के लिये जो रखा गया है वह बिलकुल अनुचित है । मन्त्रीजी किसी भी प्रकार से इसे बताना चाहते हों तो मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं और न अन्धविश्वासी ही हूं ।

श्री अध्यक्ष—Now I put the clause to vote. I take the leave of the House. The Hon'ble Minister, member-in-charge of this Bill wants to with-draw the later part of the proviso *i. e.* "Provided further that in the case of an emergency manual labour may be compulsorily employed without payment." Is it the leave of the House to allow him to withdraw?

(स्वीकृत)

Leave is granted.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं प्रोवीजो का अन्तिम भाग वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—Now the amended clause 65 A reads as under—

Clause 65- A:—"Special Tax and Community Service:—A Panchayat may, with the previous permission of the Government impose a special tax on the adult male members of the Panchayat Area for the construction of any public work of general utility for the inhabitants of the said Area ;

Provided that it may exempt any member from payment of this tax in lieu of doing voluntary labour or having it done by another person on his behalf."

So the Question is that this new clause stand part of the Bill.

(मतदान के पश्चात्)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 65................

श्री जसवन्तसिंह—NOES have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Let the Bell have it.

(११ बजे विभाजन घन्टी दो मिनट तक बजी तथा घण्टी के बन्द होने पर भी सदस्यों के आते रहने पर)

I think the Members want more time than the Divisional Bell.

(विराम)

The question is that clause 65-(A) stand part of the Bill.

(विराम)

'हां' पक्ष जीता ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Let there be a Division.

श्री अध्यक्ष—Hon'ble Members should proceed to the lobbies of their like. No convassing in the House.

(विभाजन के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष—The Division results are 'AYES' Sixty; 'NOES' forty three

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

The amendment is accepted.

(करतल ध्वनि राज पक्ष की ओर से)

and this Section 65-A is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to the discussion on Clause 81. There are several amendments to clause 81 and I think all of them were moved on that day. The heading of Clause 81 is "No Legal Practitioner to appear before a Panchayat".

I want to know whether the Hon'ble Members want to repeat the amendments or there is an agreed solution.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—पहले यह बतला दिया जाय कि माननीय मन्त्रीजी ने, जो एमेन्डमेन्ट मूव किये गये थे, उनमें से कितने मन्जूर कर लिये और कितने नहीं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—"Before a panchayat" का एमेन्डमेन्ट मैं मन्जूर करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—कौन से नम्बर पर है ? क्लॉज ८१ पर जो अमेन्डमेन्ट आये हैं उनमें से कौन से नम्बर का है ।

There are two amendments moved by Shri Haridutta and Shri Gopilal Yadav;

श्री गोपीलाल यादव—One was moved by myself.

श्री अध्यक्ष—(श्री रामकरण जोशी की ओर संकेत करते हुए) हां, बतलाइये न कि कौनसा है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—वह यादव साहब का है ।

श्री अध्यक्ष—"Clause 81 be retained as it was in the original draft and the amendments made by the Select Committee should be deleted."

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—Before a Panchayat..........

श्री अध्यक्ष—आप सारा पढ़ दीजिये ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—"No Legal Practitioner shall be allowed to appear on behalf of any party in any proceedings under this Act before a Panchayat:

Provided that any party may be permitted on reasonable cause being shown to the satisfaction of the Panchayat and a woman shall be permitted to employ any relation, dependent or friend, who is not, and who has not been previously, a legal practitioner, to appear either jointly with or in lieu of such party."

श्री गोपीलाल यादव–The words 'or a Tehsil Panchayat' be added after the words 'a Panchayat' at the end of first para.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—"Panchayat" includes "Tehsil Panchayat".

श्री रघुराजसिंह—Then there is no harm in adding the same.

श्री अध्यक्ष—"Panchayat" includes a "Tehsil Panchayat". The definition of Panchayat means "a Panchayat established under this Act."

श्री हिम्मतसिंह भटरू—"तहसील" शब्द पंचायत के आगे एड (add) करने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—If you want you can. I need not put all these amendments to vote.

श्री खेतसिंह—"be allowed to" डिलिट कर दिया था। यह occurring between the words shall and "appear" in the beginning of this clause है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—Yes.

श्री अध्यक्ष—Any other suggestion, proviso remains the same.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—So the amended clause is:—

"No legal practitioner shall appear on behalf of any party in any proceedings under this Act before a Panchayat."

श्री हरिकृष्ण व्यास—"or a Tehsil Panchayat."

श्री अध्यक्ष—"Panchayat" includes a "Tehsil Panchayat."

श्री हरिकृष्ण व्यास—Tehsil Panchayat has been separately defined under this Act.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—डेफिनिशन्स में देखिये, १३ नम्बर पर तहसील पंचायत अलग से दिखाई गई है।

श्री अध्यक्ष—You want to qualify; Put your word 'Panchayat' by "Tehsil Panchayat," "Village Panchayat"..............

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—Panchayat is used in this Act only for village Panchayat.

श्री अध्यक्ष—Panchayat means any Panchayat established under this Act.

श्री रघुराजसिंह—फिर पंचायत के पहले 'विलेज' वर्ड भी एड होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Then should we take it that Tehsil Panchayat is not a village Panchayat?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—Tehsil Panchayat established under this Act.

श्री अध्यक्ष—The same is the case with a village panchayat.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—Tehsil Panchayat is for a group of villages.

श्री अध्यक्ष—Any way so we have "before a Panchayat or a Tehsil Panchayat". The question is that clause 81, which is now as under, be accepted.

[श्री अध्यक्ष]

"No legal practitioner shall appear on behalf of any party in any proceedings under this Act before a Panchayat or a Tehsil Panchayat:

Provided that any party on reasonable cause being chown, and a woman, shall be permitted to employ any relation dependent or friend, who is not, and who has not been previously a legal practitioner to appear either jointly with or in lieu of such party."

(स्वीकृत)

Clause 81, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Schedule. There is only one schedule.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—दो शिड्यूल हैं। फर्स्ट या सेकण्ड ?

श्री अध्यक्ष—Yes, there are two schedules.

There is an amendment on the schedule by Shri Shambhu Singh.

श्री शंभुसिंह—अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं इस अमेन्डमेन्ट पर बोलूं क्या मन्त्री महोदय स्पष्टीकरण करेंगे कि मेरे व्यू पोइन्ट को स्वीकार फरमाते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—Which part of the schedule is accepted to the Hon'ble Minister.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मुझे इसका कोई हिस्सा स्वीकार नहीं है।

श्री शंभूसिंह—अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल नम्बर १ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

"The following offences at the serial numbers may be deleted and numbers may be changed accordingly :—

S. No.	Serial Number	Sections I. P. C.	Imprisonment	Fine	Remarks
1.	(18)	323	One year	1,000/-	
2.	(21)	341	One month	500/-	
3.	(23)	356	Two years	..	
4.	(24)	357	One year	1,000/-	
5.	(35)	447	Three months	500/-	
6.	(36)	448	One year	1,000/-	
7.	(37)	461	Two years	Fine	
8.	(38)	504	Two years	,,	
9.	(39)	506	Two years	,,	,,

[श्री शंभुसिंह]

अध्यक्ष महोदय, इस शिड्यूल में जो कि पंचायत के ओरिजिनल बिल (original bill) में है मुझे तरमीम करने की आवश्यकता इसलिये प्रतीत हुई कि इसमें ऐसे वजनदार ओफेन्सेज (offences) रख दिये गये हैं कि जिनके लिये पनिशमेन्ट (punishment) एक साल और एक हजार रुपयों तक का जुर्माना है। जैसे दफा ३२३ में एक हजार रुपया जुर्माना और एक साल की सजा है, दफा ३५६ में दो साल की सजा है, ३५७ में एक साल की सजा और १ हजार रुपया जुर्माना है, ४६१ में दो साल की सजा है, ५०४ में २ साल की सजा है, ५०६ में दो साल की सजा है। पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा ५०) रुपये जुर्माना करने का अधिकार है क्योंकि पंचायतों में ऐसे पढ़े लिखे या कानूनदां आदमी रखना लाजमी या जरूरी नहीं रखा गया है जो इन बड़े-बड़े ओफेन्सेज को अच्छी तरह से ट्राई कर सकें और अपराधियों को सजा दे सकें। यदि रखे भी जाते हैं तो भी उनका अधिकार ५०) रुपयों से ज्यादा जुर्माना करने का नहीं है। इसलिये मैं पंचायतों को यह अधिकार देना और कोर्टस ओफ लॉ से यह अधिकार लेना किसी भी तरह से, किसी भी हद तक अच्छा नहीं समझता इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जैसे दफा ३२३ के अन्तर्गत किसी को जान-बूझ कर कोई आदमी चोट पहुंचाता है तो उसको एक साल की सजा और १ हजार रुपया जुर्माना करने का प्रोवीजन ताजीरात हिन्द में है। लेकिन जब यह अधिकार पंचायत को दे दिया जाता है तो पंचायत के सामने ५०) रुपया जुरमाना देने पर ही अपराधी छूट सकता है। इससे अपराधियों को ज्यादा अपराध करने की प्रेरणा मिलती है। आगे इस शिड्यूल में एक अपराध ३४८ का रखा है। इसमें एक महीने की सजा और ५०) रुपया जुर्माना है। यह सीरियल नम्बर २१ पर है। इसके अनुसार यदि कोई किसी मनुष्य को अपना काम करने से रोकता है तो उसको उचित दण्ड मिलना ही चाहिये। पर इस अपराध को भी पंचायत के समायत के अधिकार में रख दिया गया है। इसी तरह से ४४७ का अपराध है। मुझे इसके वास्ते ज्यादा ऐतराज है। ४४७ का अपराध क्रिमिनल ट्रेसपास (Criminal Trespass) का है। क्रिमिनल ट्रेसपास को ट्राई (Try) करते समय पंच इस बात का ध्यान नहीं रखते कि एक्च्युल पजेशन किसका था। एविडेन्स एक्ट या वगैर जाब्ता फौजदारी को काम में लाये भी पंचायत वाले नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। इससे यह होता है कि कि एक्च्युल पजेशन (actual possession) ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाता है और इसके बजाय वे लोग टाइटल पर ज्यादा पहुंचते हैं, टाइटल के ऊपर ही अपना जजमेन्ट देने की कोशिश करते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास के मामले स्थावर जायदाद से सम्बन्ध रखते हैं और ऐसे मामलों में पंचायतें लोगों के एक्च्युल पजेशन की ओर ध्यान नहीं देती। पंचायत एक्ट के अनुसार ऐसे अधिकार पंचायतों को दे दिये गये हैं कि एविडेन्स एक्ट या जाब्ता फौजदारी की परवाह नहीं करते हुए भी पंचायत अपनी इच्छा के अनुसार फैसले दे सकती है। इससे बहुत से बखेड़े पैदा हो जाते है। इसलिये मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जितने ओफेन्सेज शिड्यूल में से निकालने का एमेन्डमेन्ट मैंने रखा है उसे स्वीकार करलें।

सीरियल नम्बर ३२ की कोई वेल्युएशन नहीं रखी गई है। इसलिये १० रुपया से २५ रुपये तक की तादाद कर देनी चाहिये, इससे सहूलियत रहेगी। पंचायतों को ५०) रुपयों तक का अधिकार

[श्री शंभूसिंह]

दिया गया है इसलिये मैं आशा करता हूं कि ५०) रुपये से उपर के मुकद्दमें रेगुलर कोर्ट्स के समायत के लिये रखे जायेंगे और पंचायतों को ५०) रुपये तक के ही मामले दिये जायेंगे।

सीरियल नम्बर ३२ में जो मिसचीफ (mischief) ओफेन्स रखा गया है उसकी कोई वेल्युएशन (valuation) नहीं दी गई है। जितनी भी मिसचीफ होगी वह सब पंचायत की तहत में चली जायगी इसलिये मिसचीफ की वेल्युएशन होना जरूरी है। इन चन्द शब्दों के साथ में आपके द्वारा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन पर उदारतापूर्वक विचार करें, रेगुलर कोर्ट्स द्वारा पार्टीज को जो इन्साफ मिलने वाला है उसमें हरजा पहुंचाने वाला यह एक्ट न हो, ऐसा कदम उठावें और मेरे एमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लें।

श्री दुर्लभसिंह—मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

"The following offences be added in the first Schedule of offences under section 28, at appropriate places in group 'A' and the items be renumbered accordingly:—

1.	Intentionally omitting to produce a document to a public servant by a person legally bound to produce or deliver such documents	175
2.	Refusing to sign a statement made to a public servant when legally required to do so	180
3.	Disobedience to an order lawfully promulgated by a public servant if such disobedience causes obstruction annoyance or injury to person lawfully employed	188
4.	Intentional omission to give information of an offence by a person legally bound to inform	202
5.	Fraudulant use of false instrument for weighing	264
6.	Fraudulant use of false weight or measure	265
7.	Being in possession of false weights or measure for fraudulent use ..	266
8.	Making or selling false weights or measures for fraudulent use ..	267
9.	A person omitting to guard against provable danger to human life by the fall of any building over which he has a right entitling him to pull it down or repair it	288"

अध्यक्ष महोदय, जो अधिकार पंचायतो को दिये गये हैं मैं यह समझता हूं कि उनके अलावा चन्द बातें ऐसी रह गई हैं कि जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये अधिकार नाकाफी हैं,

[श्री दुर्लभसिंह]

इसलिये और अधिकार दिये जाने चाहिये। गांवों में आम तौर से किसान जब बनियों से चीज लेने जाते हैं तो वे मन के बजाय ३५ सेर तोलते हैं और जब किसानों से वापिस लेते हैं तो उनका तोल कुछ और ही होता है। इस तरह की और भी कई छोटी-छोटी चीजें रह गई हैं जिनको एड किया जाना चाहिये।

६ ओफेन्सेज दफा १७५, १८०, १८८, २०२, २६४, २६५, २६६, २६७, २८८ ; ये आमतौर से ऐसी चीजें हैं कि जिनका इसमें शामिल होना जरूरी है। पंजाब का पंचायत एक्ट है उसमें ये शामिल हैं।

यह आपत्ति उठाई गई है कि पंचायतों के अधिकार कम होने चाहियें उसके बारे में मैं यह निवेदन कर दूं कि जब पंचायत के सामने लोकल मामले आयेंगे तो वे ठीक ठीक हालत में जब पंचायतों के नोटिस में आजावेंगे तो इससे आम लोगों को ठीक जस्टिस मिलेगा। अदालतों में मामलों की पैरवी वकील लोग करते हैं तो ठीक तौर से जस्टिस नहीं मिल सकता। यह बात सही है कि पंचायतों को कम सजा देने का अधिकार है तो भी मामूली कार्यवाही होकर सजा दी जाएगी तो उन लोगों की भी इस तरह ओफेन्सेज करने की जरूरत कम होगी।

मैं इतना ही कहकर माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस अमेंडमेंट को मान लें और इसे फर्स्ट शिड्यूल में और एड कर दें।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां शिड्यूल के अन्दर पंचायतों के पावर्स के कुछ सेक्शन्स रखे हैं, उनके बारे में एक महानुभाव की तो यह राय है कि पंचायतों को इतने पावर्स नहीं देने चाहिये और एक दूसरे महानुभाव हैं उनकी यह राय है कि और पावर्स बढ़ा देने चाहिये। पर अनुभव यह बताता है कि पंचायतों में ३२३ और ५०४ के ही मामले आते हैं। वैसे पंचायतों वाले अपनी कम समझ से या तोड़ मरोड़ कर मुकदमे बना लेते हैं पर साधारण तोर से ३२३ और ५०४ के अलावा कोई मुकदमें नहीं आते। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है कि इन्डियन पीनल कोड के सभी सेक्शन्स के मुकदमें पंचायतों को दे दें।

श्री अध्यक्ष—Then as a president of a panchayat you will be definitely put to advantage. The Sar-panch should be a gainer.

श्री हिम्मतसिंह—That would be a very temporary, Sir पर पंचायतें उस अधिकार का सदुपयोग करेंगी या दुरुपयोग, यह सोचने की बात है। जिस किस्म के जरायम उनके गावों में रोजाना होते हैं और जिन मामलों के पंचायत के पास रहने से उनको (गांववालों को) राहत मिल सकती है उन्हीं की सुनवाई के पावर्स पंचायतों के पास रहने चाहिये। मेरा खयाल है कि जितने सेक्शन शिड्यूल में रखे गये हैं वे काफी हैं, बल्कि उनमें से कुछ कम भी कर दिये जायं। जैसा कि शंभुसिंह जी ने कहा कि पीनल कोड में जिन जरायम की सजाएं काफी महीनों की रखी गई हैं उन्हीं की पंचायतों में सिर्फ २५) रु० जुर्माना की सजा रखी है। तो इससे लोगों को जरायम करने में प्रोत्साहन मिलेगा कि २५) रु० जुर्माना है, चलो कर लो जुर्म।

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

मेरी समझ में जो पावर इस शिड्यूल में रखे गये हैं वे काफी हैं इससे ज्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री जसवन्तसिंह—Sir, Members do not realise how important this matter is.

श्री अध्यक्ष—The House is dull but this matter is very important.

श्री रामकरण जोशी—पंचायत बिल अभी हाउस में पास होने वाला है, सब लोग इन्तजार कर रहे हैं ।

शिड्यूल के बारे में दो विचार-धारायें आई हैं । पहली विचार-धारा यह है कि पॉवर्स ज्यादा ह इसलिये कुछ धारायें निकाल दी जानी चाहिये और दूसरी विचार-धारा यह आई है कि इस शिड्यूल में धारायें कम हैं अतः कुछ और एड करदेनी चाहिये । पहले अमेन्डमेन्ट के बारे में जो श्री शंभुसिंह जी की तरफ से आया है मुझे ज्यादा निवेदन नहीं करना है, मैं यही निवेदन करूंगा कि इन समस्त धाराओं के आधार पर राजस्थान के १३,००० गांवों की पंचायतें काम कर रही हैं और वहां कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है । हां, कुछ दफाओं की पीनलकोड के माफिक सजाऐं ज्यादा होनी चाहिये उनको पंचायतें इस कानन की धारा ५६ के अनुसार कोर्ट में भेज सकती हैं । राजस्थान के १३,००० गावों की पंचायतें शिड्यल में रखी हुई धाराओं के आधार पर काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब आदि में पंचायतों के पॉवर्स में यहीं धारायें हैं । तो ऐसी सूरत में यहां होना कोई गैर मौजूं नहीं है ।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री शंभुसिंह जी अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस ले लें ।

श्री दुर्लभसिंह जी का अमेन्डमेन्ट आम लोगों की आम दिक्कतों को मिटाने के उद्देश्य से रखा गया है । आप गावों में जायगें तो आपको मालूम होगा कि लेने के बाट और होते हैं और देने के बाद और । वास्तव में इन धाराओं को एड कर देना चाहिये । यह अमेन्डमेन्ट मुझे स्वीकार है ।

श्री शंभुसिंह—माननीय अध्यक्ष, उत्तर में कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हू । माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि १३,०००गावों में यही पावर्स एक्सरसाईज (exercise) किये जा रहे हैं । गांवों में जो हम लोग रहते हैं, वे माननीय मंत्री जी से ज्यादा जानते हैं कि वहां क्या गडबड़ियां हो रही है और क्या नहीं हो रही हैं । माननीय मंत्री खुद देख सकते हैं कि पंचायतों के फैसलों के खिलाफ कितनी अपीलें दायर हुई और कितनों के फैसले हुए और कितनों के फैसले ना मंजूर हुए । इससे साफ मालूम हो सकेगा कि पंचायतों के फैसले कहां तक बहाल रहे हैं ।

इसके अलावा मैंने मिस्चीफ के वास्ते अर्ज किया । जब दूसरे ओफेन्सेज के लिये वेल्युएशन मुकर्रर की गई है, तो मिस्चीफ के लिये वेल्युएशन मुकर्रर नहीं करना, कहां तक ठीक है । इसका मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया । अब फिर अर्ज करूंगा कि इस पर ध्यान दें । मिस्चीफ के लिये वेल्युएशन होनी चाहिये, नहीं तो कोई किसी की हजारों रुपयों की मिस्चीफ कर देगा और उसका कुछ नहीं होगा ।

[श्री शम्भुसिंह]

इम्मूवेबल प्रोपर्टी (immovable property)स्थावर संपत्ति है, उसमें पंचायतें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ऐसा कहा गया है । पर आप इसी में क्रिमिनल ट्रेसपास (criminal trespass) को दे रहे हैं तो वह स्थावर संपत्ति में ही होगा और इस तरह इन्डाईरेक्टली इम्मूवेबल प्रोपर्टी (indirectly immovable property) में हस्तक्षेप हो जायगा । इससे इम्मूवेबल प्रोपर्टी के बाबत पंचायतें अनुचित हस्तक्षेप कर सकती हैं ।

मैंने पहले ही निवेदन किया है कि दफा ५० ऐसी बना दी है कि एवीडेन्स एक्ट, जाब्ता फौजदारी को मद्देनजर रखना जरूरी नहीं तो अब भी, कुछ कानून के मुताबिक काम कर सकते हैं कि नहीं, यह भी मौजूदा पंचायत की कानून की धारा ४४७ सेक्शन इसमें से निकाल देनी चाहिये । ३२३ सेक्शन में पीनल कोड में काफी सजा है परन्तु पंचायत कानून के मुताबिक इसकी सजा २५) रुपये रखी गई है । ३२३ के जुर्म के जरिये एक आदमी दूसरे आदमी को काफी चोट पहुंचा सकता है । इतनी काफी चोट पहुंचा कर भी २५) रु० जुर्माना देकर वह मुक्त हो सकता है ।

माननीय मंत्री जी इस बातको मंजूर करेंगे और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वेल्यूएशन का जहां तक सवाल है उस पर विचार करें और इस अमेन्डमेन्ट को मंजूर करें ।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामकरण की ओर संकेत करते हुए)क्या आप बोलना चाहते हैं ?

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, दस रुपये या उससे अधिक कीमत वाले जानवरों को मार डालने पर रोक रखी है । अगर कोई ५) रुपये की कीमत का जानवर मार देगा तो उसके लिये क्या होगा ? आपने उपर की लिमिट रखी है नीचे की नहीं । आपने upto Rs. 10/- रखा है यह नीचे से नीची रकम रखी है । जानवर ५ रुपये का भी हो सकता है, ८)रुपये का भी हो सकता है इसलिये इस पर विचार कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—जानवर की वेल्युएशन करिये ।

श्री गोपीलाल यादव—१०) रुपये या लेस ।

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि यदि कोई बकरी की टांग तोड़ दे तो पंचायत उसमें दखल नहीं कर सकती है ।

श्री गोपीलाल यादव—क्या टांग तोडने वाले को कोर्ट में जाना चाहिये ?

श्री रामकरण जोशी—श्री शंभुसिंह जी ने फरमाया कि पंचायतों के फैसलों की अपीलें पड़ी हैं और उनका निपटारा ठीक नहीं हुआ क्यों कि पंचायतों में पंचों का केलीबर (calibre)) ठीक नहीं । मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि पंचायतों ने १,२०,००० मामलों का फैसला किया और उसमें से २,००० निगरानियें हुईं । उनमें से ४०० का फैसला उल्टा गया और बाकी सब फैसले

[श्री रामकरण जोशी]

पंचायतों ने ठीक तरह से किये थे । यह मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि सदन में आप जो बतावें और असली रेकर्ड में कितना फर्क होता है ।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment to schedule 1 by Shri Shambhu Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the amendment proposed by Shri Durlabh Singh be accepted.

श्री रामकरण जोशी—I accept the amendment.

श्री अध्यक्ष—You accept the amendment moved by Shri Durlabh Singh. Very well, but now I am putting question in the House.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now the question is that the amended Schedule 1 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The amended schedule is added to the Bill.

(विराम)

We now come to Schedule No. 2. There are no amendments to Schedule No. 2. It is only formal.

(विराम)

The question is that the second Schedule stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Second Schedule is added to the Bill.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Now we come to clause 1, short title, extent and commencement.

There are two amendments. One by Shri Bhairon Singh and the other by Shri Jawan Singh

(विराम)

Yes, Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, इस एमेन्डमेन्ट पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। माननीय मंत्रीजी से सिर्फ़ यही कहना है कि सन् १९५२ की जगह १९५३ कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—सैकिन्ड अमेन्डमेन्ट।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—This I do not want to move.

श्री जवान सिंह:—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन खण्ड १ के उपखण्ड (२) में इस प्रकार है "The words 'and other areas................the Rajasthan Gazette' be deleted." इस संशोधन के जरिये में सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम एक सिद्धान्त (प्रिन्सिपल) को मान कर चलते हैं और वह यह कि ग्रामों को भी इतनी ही आजादी देनी चाहिये जितनी कि स्वतन्त्र भारत के आज़ाद नागरिक को है। ग्रामीण भी वही अधिकार पाने का अधिकारी हैं। यदि इस सिद्धान्त को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये अधिकार जो हर एक नागरिक को हांसिल है, ग्रामीण को भी देना चाहिये। इसलिये अगर आप ऐसी विशेष ग्राम पंचायत को अधिकार देते हैं कि वह अपने यहां ग्राम पंचायत क़ायम कर सके और उसके अधिकारों को सरकार अपने हाथ में रखे तो सही माने में पंचायत नहीं कही जा सकती। ऐसा करके सरकार उन नागरिकों के प्रति इन्साफ़ नहीं करती। बहुत बहतर यह होता कि आप तमाम गांव या ग्रामों के समह को इस क़ानून की तहत में, जिनको यह अधिकार दिये जा सकते हैं, वें; उनको किसी प्रकार से जो अधिकार दिये जा सकते हैं उन अधिकारों से वंचित नहीं रखें। मेरा संशोधन यदि आप मंजूर करलें तो यह अधिकार आप राजस्थान के तमाम ग्राम पंचायतों को दे सकते हैं, अन्यथा ऐसे अधिकार आपके पास रहेंगे कि जिस क़ानून को आप लाग करना चाहेंगे, लागू करेंगे। इसका अर्थ यह होगा कि विशेष जगह जहां-जहां आप चाहेंगे ग्राम पंचायतें क़ायम करेंगे और उन ग्राम समहों को जिन ग्राम पंचायतों की तहत में देना चाहेंगे, देंगे। ऐसा करके आप उनको उनके नागरिक अधिकारों से वंचित रखेंगे और उनको अधिकारों से वंचित रखना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। इसलिये मैंने यह एमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है। आप सबको समान दृष्टि से देखें और जो न्याय के मूल सिद्धान्त हैं वे सब जगह एक साथ एक ही तरह से लागू किए जावें तो अच्छा होगा, वरना लोग यह समझेंगे कि सरकार के मन में ऐसी बात अवश्य है जिससे कि वह कुछ लोगों को एक लैबल पर ट्रीट करना चाहती है और दूसरे लोगों को दूसरी लैबल पर ट्रीट करना चाहती है।

[श्री जवानसिंह]

इसलिये आपको मैं यह कहूंगा और एक नागरिक के खातिर भी आपको यह अर्ज करूंगा कि आप समान अधिकार दीजिये और विशेष अधिकारों को अपने पास रखने की जरुरत नहीं समझिये। इसलिये मैंने आपके सामने यह संशोधन पेश किया है।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र जवान सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को जिन अधिकारों की जरूरत नहीं है वे चेप्टर सेकन्ड में धारा तीन में दिये गए हैं और वे ये हैं :

"The State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, establish a Panchayat for a village or group of villages not included within the limits of the Municipality."

अगर गवर्नमेन्ट यह समझती है कि अमुक जगह पंचायत कायम नहीं हो सकती है तो वह वहां नहीं करेगी; जहां गवर्नमेन्ट सेंक्शन करेगी वहीं पंचायत कायम करनी पडेगी। वह गजट में भी डिक्लेयर कर देगी कि अमुक जगह पंचायत होगी और अमुक जगह नहीं ऐसी सूरत में यहां वर्ड "specifically" की जरुरत नहीं और इसे निकाल ही देना चाहिये।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री):—श्री भैरूंसिंह जी का अमेन्डमेन्ट मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष:—You will be progressive in accepting it.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—श्री जवानसिंह जी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसके पीछे आर्ग्युमेन्ट यह दिया गया है कि सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब चाहेगा तब अमुक जगह पंचायत बनेगी और नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगी। मैं आपको निवेदन करूंगा कि यह बात तो पंचायत विधान की है और किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं रहने वाली है, काम भी चलने वाला नहीं है। पंचायत विधान और पंचायतों का काम पंचायतों पर और ग्रामीण जनता द्वारा ही चलने वाला है जो कि उन गांवों में निवास करती है। इसका मकसद चाहने और न चाहने से नहीं है; दरअसल इसकी भावना को कम समझना है, जब कि यह कहा जाय कि कोई व्यक्ति जो चाहेगा सो कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब हालत बदल गई है और इस बदली हुई स्थिति में हमें विचार करना चाहिये।

एक बात और है और वह इसलिये जरूरी है कि हम बोर्डर प्रदेश में रहते हैं और वहां रहने के नाते कुछ देहातों का हिस्सा ऐसे एरिया से लगता है जहां अक्सर डिस्टर्बेन्सेज (disturbances) हुआ करते हैं और उस क्षेत्र में कई तरह की गड़बड़ियां होने के समाचार इस सदन में आते रहते हैं। तो अगर ऐसे क्षेत्र में जरूरी समझा जाय तो पंचायतें न बनें और इन्तजाम शासन का रह सकता है। इसी दृष्टि से यह क्लॉज रखा गया है और उसका मकसद चेप्टर सेकिन्ड के क्लॉज ३ से हल नहीं होता। यह युक्तिसंगत बात है और मैं समझता हूं कि श्री जवान सिंह जी इसको वापिस ले लेंगे।

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को वापिस लेने के साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि यह अधिकार हम गांव वालों को दे रहे हैं और जैसा वे चाहेंगे करेंगे और एक विशेष व्यक्ति नहीं कर पायगा तो मैं इस सिद्धान्त को मानने के लिये तैयार हूं। किन्तु मुसीबत तो यह है कि हम जिन ग्राम पंचायतों को अधिकार देना चाहते हैं वे जब तक कायम ही नहीं होंगी तो हम उनको अधिकार उसके पहले ही कैसे दे देंगे और इस प्रकार से जब वे कायम ही नहीं होंगी तो उनको अधिकार ही प्राप्त नहीं होंगे। जब हम उनको कायम करेंगे तब वे उन अधिकारों को कार्यरूप में परिणत करेंगे, यह कहना अनुचित है और गैर वाजिब है। क्यों कि यह आश्वासन दिया गया है कि हमारा राजस्थान का बोर्डर प्रोविन्स होने के नाते किन्हीं कारणों से हमारे यहाँ की ग्राम पंचायतें सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकती हैं तो वहां ग्राम पंचायतें नहीं होंगी; इसी आश्वासन पर मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Then the question is that amendment No. 82 moved by Shri Bhairon Singh i.e. 'instead of 1952, it should be 1953' be accepted.

(स्वीकृत)

Amendment No. 82 is accepted.

(विराम)

So the question is that sub-clause (1) of clause 1, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Sub-clause (1) to clause 1 is added to the clause.

The question is that the amendment moved by Shri Jawan Singh to sub-clause (2) of clause 1 be accepted.

श्री जवानसिंह—मैं अपने संशोधन को वापिस लेन की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Jawan Singh to withdraw his amendment ?

(स्वीकृति प्रदान हुई)

श्री जवानसिंह—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that sub-clauses (2) and (3) stand part of the clause

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Sub-clauses (2) and (3) are added to clause 1.

(विराम)

Now the question is that clause 1, short title, extent, commencement and Preamble form part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, short title, extent and Preamble are added to the Bill.

श्री जसवन्तसिंह—श्री अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल एक्ट के रुप में आए उसके पहले ही हम यह आश्वासन चाहते हैं कि जो पंचायतें पुराने कानून के माफिक चल रही हैं तो क्या हम उम्मीद करें कि इस बिल के पास होते ही सब पंचायतों को हटा कर नए एक्ट के माफिक पंचायतें कायम की जाएंगी।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन)—इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि कुछ हिस्सों में पंचायतों का निर्माण हुआ है और जहां काम चल रहा है इस एक्ट के माफिक ही चल रहा है।

वे पंचायतें इसी एक्ट के मुताबिक कार्य कर रही हैं। उनका चुनाव भी इसी एक्ट के मुताबिक हुआ है।

इन पंचायतों के बारे में सरकार का यह दृष्टिकोण है कि वे पंचायतें जो इस एक्ट के अनुसार कार्य कर रही हैं उनकी जब तक मियाद खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक उनका चुनाव कराना उचित नहीं मालूम होता। बाकी जो पंचायतें इस एक्ट के अनुसार निर्मित नहीं हुई हैं उनका चुनाव कराना ही है।

यह एक्ट फॉर्मर राजस्थान के पंचायत एक्ट पर आधारित और निर्मित है। इस एक्ट का जो मूल श्रोत है उसके अनुसार जो पंचायतें चल रही हैं उनका समय समाप्त होने के बाद ही उनका दुबारा चुनाव कराया जावेगा। यह सरकार का दृष्टिकोण है और यह मैं शुरू शुरू की बहस के समय भी स्पष्ट कर चुका हूं।

बाकी ऐसे क्षेत्रों में जहां अभी ग्रूप ही नहीं बने हैं इस पंचायत बिल के साथ ही साथ फिर से चुनाव होंगे।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने अभी जो कुछ फरमाया उससे हमें अधिक सन्तोष नहीं हुआ। क्योंकि जिस वक्त बहस हो रही थी मैंने निवेदन किया था और उस वक्त यह कहा गया था कि इस एक्ट के आधार पर ही नई पंचायतों को कायम करेंगे। तो जब एक्ट बना ही नहीं था, वह जो आज पास हो रहा है तब फिर इस एक्ट के आधार पर किसी भी पंचायत का कैसे चुनाव हो गया, यह समझ में नहीं आया है।

[श्री जसवन्तसिंह]

इसलिये नये एक्ट के मातहत ही दुबारा पंचायतें बननी चाहिये और उपयुक्त बात भी यही होगी। इससे हर आदमी को सन्तोष होगा। हमने इस पंचायत बिल को बनाने में बहुत कष्ट उठाया है, सब दृष्टिकोण इसमें अच्छी तरह से समावेश किये गये हैं। राजस्थान में अगर सब से बडा काम कोई होगा तो यह होगा जिसको सब प्रतिनिधियों ने मिल कर इस मेहनत के साथ इसे बनाया है और पास किया गया है, अतः अच्छा ही होगा कि इसी के आधार पर सारी पंचायतों का चुनाव हो और तब वे सब इसी के अनुसार कार्य करें।

श्री अध्यक्ष—I invite your attention to Section 92 (2) of the present Bill. "All Panchayats established under any law as repealed, in existence on the date of commencement of this Act, shall continue and be deemed to have been established under this Act but the State Government may, in any case and shall in the case of Panchayats constituted otherwise than in accordance with the principle of adult franchise, direct that any such Panchayat shall be constituted in accordance with the provisions of this Act"

श्री जसवन्तसिंह—The Elections may have taken place under adult franchise recently, but this has not been under this Act. It will go a long way to giveus satisfaction, if new Panchayats are established.

श्री अध्यक्ष—It is more or less a legal question.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—I beg to move that the bill, as amended, be passed.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill, as amended, be passed.

(स्वीकृत)

The Rajasthan Panchayat Bill, as amended, is passed.

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मिनिस्टर इन्चार्ज से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चुनाव अब हो रहे हैं और जो होने वाले हैं उनको जरा ठीक तरह से करवा दें।

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि आपका फर्ज है कहने का। मैं जब जैसा आप कहेंगे करने को आपकी सेवा में हाजिर हूं।

श्री अध्यक्ष—He seems to be partially affected.

राजस्थान भूमि संक्षेप बन्दोबस्त विधेयक, १९५२

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–Sir, I beg to move that the Bill to provide for the summary settlement of unsettled lands in Rajasthan, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री जसवन्तसिंह–We should take it when we are fresh to-morrow. We will be in a fresh mood and then there will be no trouble whatsoever.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I think we are in good mood always.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—We are vexed.

श्री अध्यक्ष—We can start a little discussion. I think there is no discussion over the principles.

श्री अवनिकुमार—I have given notice of amendments.

श्री अध्यक्ष—No. He has tabled a motion that the Bill be circulated for purposes of eliciting public opinion.

(श्री अवनि कुमार की ओर संकेत करते हुए)

Are you very keen about it ?

श्री अवनिकुमार–Because there are certain principles which are to be discussed.

मैंने इस लिये इस संशोधन को रक्खा है कि रिपोर्ट के देखने पर मुझे पता चला कि बहुत सी बातें जिन पर ध्यान देना चाहिये था उन पर ध्यान नहीं रक्खा गया है ।

जिन कारणों से यह अमेन्डमेन्ट मैंने मूव किया है उन कारणों को मैं बता दना चहाता हूं । सब से पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इसको पास करने पर इसका असर क्या होगा और किनके ऊपर होगा ।

जहां तक मेरा ख्याल है इसका सबसे बडा असर छोटे भूस्वामियों यानि भोमियों पर होगा ।

जहां जहां उनकी जमीनें हैं वहां सेटलमेन्ट की कार्यवाही पर झगड़े चल रहे हैं । पिछली बार भी झगड़े हुए थे और इस साल भी झगडे चल रहे हैं इसलिए हमें यह सोचना पडेगा कि इस बिल के पास होने पर उन पर क्या असर पडेगा । मैं कहता हूं कि इसके पास होने पर उनकी आमदनी पर बडा

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

भारी असर पडेगा क्योंकि इस कानून में रैन्ट रेट्स का निर्णय १।६ हिस्से के आधार पर किया गया है जब कि रेग्युलर सैटलमैन्ट के कानून में रैन्ट रेट्स तय करने के लिए १।३या १।४ हिस्से का आधार रखा गया है ।

अभी भी उनकी आमदनी काफी कम हो चुकी है क्योंकि अगले साल एक कानून बनाकर लगान १।६ हिस्सा निर्धारित कर दिया गया था और इस बिल में भी यह प्रोविजन है कि जो असेसमैन्ट किया जावे समेरी सैटलमैन्ट के समय वह भी छटे बांटे के आधार पर किया जावे तो इस तरह इसके लागू होते ही उनकी आमदनी पर काफी असर पड़ेगा । इसलिए इसके पास करने से पहले उनकी आर्थिक हालत पर क्या असर होगा यह अच्छी तरह से सोच लेना चाहिये । उनकी वर्तमान आर्थिक हालत अभी अच्छी नहीं है और उसके और भी बिगड़ जाने पर न्याय और व्यवस्था के ऊपर भी इसका असर पड़े वगैर नहीं रहेगा ।

दूसरा कारण यह है कि सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि इन छोटे छोटे भोमियों को खुदकाश्त की जमीन दे दी जावे । मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह समेरी सैटलमैन्ट का बिल पास कर दिया गया तो आज जो काश्तकार इन भोमियों की जमीन पर काबिज़ हैं इस बिल के अनुसार इन जमीनों के ऊपर उनका पजेशन कन्फर्म (confirm) कर दिया गया तो खुद–काश्त का प्रबन्ध उनके लिए सरकार कैसे करेगी ? ऐसे कई नमूने मेरे पास हैं और डिस्ट्रिक्ट नागोर में जहां परचे बंट चुके हैं वहां भोमियों को खुदकाश्त की जमीन आज तक नहीं मिल पाई ।

तीसरी बात यह है कि बिल के अन्दर कुछ डिफेक्टस हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

क्लाज ३ को पढ़ने से यह पता चल जावेगा । इस की परिभाषा ऐसी है कि इसमें साफ साफ नहीं बताया गया है कि जहां रैग्युलर (regular) सैटलमैन्ट की कार्यवाही की जा रही है वहां समेरी सैटलमैन्ट की कार्यवाही की जावेगी या नहीं ।

रैग्यूलर सैटलमैन्ट और समेरी सैटलमैन्ट की कार्यवाहियों के डुप्लीकेट होजाने की गुंजाइश भी रह गई है । अगर यह डुप्लीकेशन हो गया तो सैटलमैन्ट का काम अनसिस्टमेटिक हो जावेगा तो यह है मेरा तीसरा एतराज ।

चौथा यह है कि इस बिल के अन्दर यह बताया गया है कि समेरी सैटलमैन्ट का खर्चा भूस्वामियों से वसूल किया जावेगा और बाद में जब रैग्युलर सैटलमैन्ट होगा तो उसका खर्चा भी इन गरीब भू-स्वामियों से वसूल किया जावेगा । इन दोनों का खर्चा इन भूस्वामियों से वसूल करना अनुचित ही नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण भी होगा । दर असल बात यह है कि इस बिल के माफिक इसकी अर्थात समेरी सैटलमैन्ट का खर्चा अनुचित तौर पर इन भूस्वामियों से ही वसूल किया जावेगा । इसमें यह बात रखनी चाहिये थी कि जो कुछ इसमें खर्चा होगा वह सरकार करेगी । पर ऐसीबात इसमें नहीं है ।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

पांचवीं बात यह है कि यह जरूरी है कि खुदकाश्त के लिये एक कॉम्प्रीहेन्सिव लैजिस्लेशन (comprehensive legislation) इस सदन के सामने जल्दी से जल्दी रखा जावे और फिर इन दोनों बिलों को एक साथ पास कर दिया जावे, तभी खुदकाश्त की समस्या हल हो सकेगी। इन्हीं बातों को सदन के सामने रखने के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है।

श्री एच. के. व्यास:—माननीय अध्यक्ष, मैं श्री अवनिकुमारजी ने जो अमेन्डमैन्ट प्रस्तुत किया किया है उसके विरोध में कुछ कहना चाहता हूं वैसे तो मेरा ख्याल यह है कि मेरे माननीय मित्र ने इस बिल के बुनियादी सिद्धान्त को ही मानने से इन्कार कर दिया है। क्यों कि उन्होंने यह कहा कि अगर बन्दोबस्त कर दिया जायगा तो कुछ जो छोटी ज़मीन के मालिक हैं उनकी आमदनी कम होजायगी इसलिये इस बिल को पबलिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय। और जहांतक मैं समझ पाया हूं यह इस बिल का बुनियादी सिद्धान्त है कि आम किसानों को जो खर्चा हो, पैदावार हो, उसके हिसाब को लगा कर वाजिब तरीक़े का लगान कैश रेन्ट के रूप में लागू कर दिया जाय। हक़ीक़त तो यह है कि मेरे माननीय मित्र इस बिल के सिद्धान्त को ही स्वीकार नहीं करते। नतीजा यह है कि ऐसा अमेन्डमैन्ट रखा है जो बेमतलब है। जब कि चारों ओर से मांग हो रही है किसानों से कि बन्दोबस्त किया जाय, जिसके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं संघर्ष हो रहे है, और कोने कोने से किसान की यह आवाज़ आ रही है कि जल्दी से जल्दी बन्दोबस्त किया जाय सरकार पर इसबात का लांछन लगा रहे हैं कि सरकार इसके लिये देरी कर रही है तो फिर उनका संशोधन कोई मतलब नहीं रखता। जब कि सब ओर से यह आवाज़ आ रही है कि बन्दोबस्त का क़ानून जल्दी से पास हो तो मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय। जनमत तो चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि यह क़ायदा पास होना चाहिये सदियों से जो जनमत ज़ुल्मों से कराह रहा है उसको कुछ न कुछ सहायता दी जाय और जनमत के आधार पर यह क़ायदा पास होना चाहिये और जल्दी से जल्दी पास होना चाहिये इसमें खामियां हो सकती हैं, संशोधन हो सकते है लेकिन यह कहा जाय कि इसको पब्लिक ओपीनीयन के लिये भेजा जाय यह आम लोगों की तो राय नहीं है। यह जनमत के नाम पर किन्हीं निहित स्वार्थी लोगों का ज़रूर ख्याल हो सकता है जो किसानों बढ़ते हुए अधिकारों पर, जनमत का नाम लेकर, एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं और उनके अधिकारों को कम करना चाहते हैं। मेरी समझ में इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसे जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिये। इसलिये मैं माननीय श्री अवनिकुमारजी के संशोधन का विरोध करता हूं और सदन से प्रर्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को वापिस लेलें।

श्री मानसिंह महार (जमुवा रामगढ़):—माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन के सामने बड़ा अहम क़ानून बहस के लिये आया है। इसके ऊपर दो विचारधाराएं सदन के सामने आई। उसके अन्दर हमारे लाल झंडी वाले साहब ने जो कुछ फ़रमाया वाक़ई जनमत की आवाज़ में ही फ़रमाया। मैं मानता हूं कि उनकी आवाज़ बिल्कुल जनमत के पक्ष की आवाज़ थी, जनमत के पक्ष में ही क्या जनमत के कलेजे से निकली हुई आवाज़ उन्होंने सदन के सामने रखी। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार पब्लिसिटि (publicity) की कोशिश न करके

[श्री मानसिंह महार]

वास्तविकता की ओर जायें तो बहुत अच्छा होता। मैं यह मानता हूं कि सिलैक्ट कमेटी अगर थोड़ा बहुत ध्यान पूर्वक विचार करती और सदन के सामने और फिर बं ा बिल लाती तो शायद यह नौबत ही न आती और हमारे मित्र को जनमत के लिये इसे प्रसारित करने के लिये कहने का मौका नहीं मिलता। मैं इस पर बोलना तो नहीं चाहता था किन्तु हमारे मित्र ने इस संबन्ध में जो एक प्रकार के आक्षेप किये हैं जिससे कुछ लोगों को यह मालूम होने लगा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण इस बिल को जनमत के लिए भेजना चाहते हैं। इस बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमने सिद्धान्त के तौर पर जागीरदारी ऐबोलिशन को मान लिया तो समेरी सैटलमैन्ट जैसी छोटी-मोटी तुच्छ बातों के लिये हम अड़ेंगे, यह तो उनका भ्रम मात्र है; जिसको मैं दूर करना चाहता हूं। इसके अलावा पहले स्वयं जैसा कि मैंने कहा कि यदि इसको प्रीच करते तो हम कुछ अंशों में यह मान लेते कि वाक़ई कलेजे के अन्दर उनका जनमत बोल रहा है। लेकिन वे चीजें उनमें मौजूद नहीं। कहने को तो जनमत की दुहाई देते हैं लेकिन जनमत के नाम पर जो बातें कही जाती हैं उ· के अन्दर है रूसीमत। जनमत का तो नाम लिया जाता है किन्तु वह होता है रूसी मत। अभी आपको खांसी आई तो उसके लिये भी कहा गया कि यह तो रूस से इम्पोर्ट हो कर आई हैं। इसलिये मैं मेरे मित्र को कह देना चाहता हूं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वे जोधपुर शहर की बातें कह रहे हैं लेकिन गांवों के बारे में जिस अथोरिटी (authority) से हम गांव वाले कह सकते हैं आप शहर के लोग नहीं कह सकते। इसलिये महरबानी करके जहां शहर के डेवलपमेन्ट (development) आदि की जो बातें हों खूब उछल उछल कर बोलिये लेकिन जहां हम ग्रामीणों के भले बुरे सोचने की बात हो वहां पर आप लोग इन्टरफ़ीयर (interfere) न करें। हम लोग शहर की बू गांव में नहीं आने देना चाहते। इसके अलावा यह तो सदन के ऊपर है कि वह इस बिल को जनमत के लिये भेजे या दुबारा सलेक्ट कमेटी को सोंपे या योंही पास कर दे। मैं तो केवल जनमत के नाम पर जो झूठे ढकोसले का प्रचार कर रहे हैं उनको टूटे फूटे शब्दों में मैंने उत्तर देने की कोशिश की। इसलिए दो·चार शब्द कह कर मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह जो वाजिब समझे करे।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**—माननीय अध्यक्ष, माननीय श्री अवनिकुमार जी ने इस बात का प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को जनमत के लिये भेजा जाय। मैं समझता हूं कि जहां तक इस की आवश्यकता के बारे में राय का प्रश्न है तो सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि राजस्थान के अन्दर जितना जल्दी हो सके सेटलमेन्ट पूरा हो, इसकी आवश्यकता है। आपने कहा कि इस बिल का असर सब से ज्यादा भोमियों पर पडेगा। मैं यह स्पष्ट करना उचित समझता हूं कि शायद यह कहने में उनका भ्रम है। जहां भोमियों का ज्यादा इलाका है उन इलाकों में रेग्युलर सेटलमेन्ट (Regular Settlement) के जरिये कार्यवाही की जा रही है और उसी के द्वारा कार्यवाही समाप्त होगी।

दूसरी बात यह है कि इसका असर ऐसे इलाकों पर होगा जहां पर रेग्युलर सेटलमेन्ट के जरिये काम न होकर समेरी सेटलमेन्ट के जरिये कार्य होगा। खास तौर से इससे जिन लोगों पर असर पडेगा या जिस इलाके पर असर पडेगा वह है रेगिस्तान का इलाका। जिनकी समस्याओं की ओर इशारा किया गया है उनकी समस्याओं का प्रश्न इसके साथ जोडना उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिये इस बिल को पब्लिक

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

ओपीनियन के लिए भेजने की जो बात कही है वह उचित प्रतीत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि राजस्थान के अन्दर सब से बडा काम जो जल्दी से जल्दी किया जाय वह है रेकार्ड आफ राइटस् (Record of Rights) का तैयार करना कि किन लोगों को किन किन जमीनों पर खेती करने का हक है; यह है सब से आवश्यक वस्तु। इस आवश्यकता की पूर्ति बगैर सेटलमेन्ट किये हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिये यह अवाश्यक है कि जल्दी से जल्दी सेटलमेन्ट किया जाय।

माननीय अध्यक्ष, इसके अलावा इसके बारे में हमेशा प्रयत्नशील हूं और सदन के सदस्यों की राय जहां तक में समझ पाया हूं यह है कि हम १६५५ की अखीर तक राजस्थान के कोने कोने को सेटल करके वहां के सारे रेकर्ड आफ राइट्स तैयार कर लें जिससे इस प्रकार की दिक्कतें राजस्थान के अन्दर न आवें और पूरे राजस्थान का सर्वे होकर सही नकशा हमारे सामने आ सके।

जो इसका रेगुलर सेटलमेन्ट के जरिये काम किया जाता है यह हमें मुश्किल प्रतीत नहीं होता है कि इतने समय के अन्दर पूरा किया जाय, बल्कि कोशिश यही की जायगी कि जितना जल्दी हो सके करें। तो यह कहना कि इसके जरिये भोमियों की हानि होगी ठीक नहीं तथा यह भी कहा जाता है कि खुदकाश्त का पहले बिल लाया जाय फिर उसके बाद यह किया जाय। में सझमता हूं कि उसके साथ इस प्रश्न को उस उद्देश्य से चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दूसरी बात यह कहना आवश्यक है कि इसके अन्दर कुछ क्लाजेज में आज सोच-विचार कर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि काफी एमेन्डमेन्ट्स आये हैं उनके ऊपर सदन को विचार करने का काफी मौका मिलेगा। उनमें से कुछ ऐसे प्रतीत होते हैं जो माने जा सकते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा में यह नहीं माने जा सकते हैं। तो वे सारी चीजों पर, जो बहस के दौरान में अलग अलग क्लाजेज पर विचार करेंगे उस वक्त, मैं समझता हूं, आयेंगी, तो सदन के माननीय सदस्यों को पूरा मौका मिलेगा जो भी कमियां इस प्रकार की नजर आव उन कमियों को दूर करने का काफी अवसर होगा, और इसकी अहमियत को देखते हुए, सारे असर और फायदे को देखते हुए, मैं समझता हूं कि इसको अब आगे और बढाने के बजाय सदन को एकमत से यह स्वीकार कर लेना होगा कि हम उसको विचार करके इसके अन्दर जो हमें ऐसा मालूम होता है कि वाकई कोई कमी ह उनको यहां पर विचार करलें, बहस कर लें और वैसे इस पर सिलेक्ट कमेटी में काफी विचार हुआ है, सिलेक्ट कमेटी ने काफी समय दिया है, काफी छानबीन की है। इसके बाद ही यह हाउस के सामने आया है। फिर भी अगर कोई बात हो तो विचार किया जा सकता है। इस वक्त उन सारी बातों पर चर्चा करनेके बजाय जब क्लॉज बाई क्लाज यह बिल सामने आयगा उस अवसर पर ही विचार कर लेना उचित प्रतीत होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, आपके जरिये कि श्री मुकर्जी अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें और एक ही राय से हम इस पर विचार करने लगें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री **अवनिकुमार**—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा उससे मुझे पूरा संतोष ह। मुझे संतोष इस बात को जानने से हुआ है कि उस कमेटी में जिन इलाकों के भोमियों की जमीनें

[श्री अवनिकुमार मकजी]
हूं वहां पर रेग्युलर सेटलमेंट की कार्यवाही से ही काम होगा, वहां पर समेरी सेटलमेन्ट की कार्यवाही नहीं की जावेगी। इस आश्वासन के बाद में अपना प्रस्ताव वापिस ले लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow the withdrawal.

(स्वीकृत)

Leave is granted.

श्री अवनीकुमार—I withdraw.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Lands Summary Settlement Bill, 1952 be taken into consideration.

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत)

We will proceed to-morrow to consider the Bill clause by clause, and consequently we adjourn to meet to-morrow at 8. 15 A. M.

(सदन की कार्यवाही १२.३० बजे कल दिनांक २२ अप्रेल, १९५३ के प्रातः ८.१५ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन, जयपुर, २१ अप्रेल, १९५३।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रक्खे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

939. (147/P. W. M.) Shri B. N. Joshi M. L. A. (Div. No. 21) Will the Minister for Public Works Department be pleased to state:—

(a) Whether it is a fact that a number of temporary Upper Division and Lower Division clerks working in the office of the Chief Electrical Engineer, Rajasthan, have not received their monthly salaries from 18-7-1952.

(b) Is it a fact that the Department is even now not prepared to pay them in accordance with the scales of pay, which they had been drawing for some months past but is intending to pay them from the head work charges so as to deprive the clerks of a considerable amount earned by them.

Reply:—

(a) Yes, 8 employees had not drawn their pay after 18th July, 1952.

(b) Orders have now been issued for the payment of their pay.

941. (148 P. W. M.) Shri B. N. Joshi, M. L. A. (Div. No. 21): Will the Public Works Minister be pleased to state:—

(a) Whether it is proposed to undertake the construction of the Bandikui Rajgarh road so as to connect Jaipur and Alwar districts by roads in the near future ?

(b) If so, when will the work on the Bandikui-Rajgarh road can be expected to commence.

उत्तर:—

(अ) यह सवाल अभी विचाराधीन है ।

(आ) यह अभी नहीं कहा जा सकता ।

९४२. (१५०।पी. डब्ल्य. एम.) श्री छीतरसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर २८:— क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. जालौर जिले में जिला हैडक्वाटर को तहसील जसवन्तपुरा व भीनमाल को जोड़ने वाली जालौर भीनमाल सड़क व भीनमाल से जसवन्तपुरा की सड़क पक्की अभी तक नहीं बनाई गई है ।

२. क्या आइन्दा वर्ष तक इन सड़कों के निर्माण के लिये व्यवस्था की जा सकेगी ।

उत्तर।—

(१) नहीं ।

(२) आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगामी वर्ष भी इन सडकों का पक्का बनान की संभावना प्रतीत नहीं होती ।

परिशिष्ट २

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

Division List

AYES 60

Motion regarding cl. 65 of Rajasthan Panchayat Bill

Dated the 21/4/1953.

Serial No.	Divn. No.	Member's Name.
1	5	Shri Badri Lal.
2	6	Shri Badri Prasad Gupta.
3	7	Shri Balvir Singh
4	18	Shri Bhogi Lal Pandya.
5	19	Shri Bhola Nath.
6	21	Shri Bishambhar Nath Joshi
7	24	Shri Chandan Mal Baid.
8	31	Shri Chunni Lal Birla.
9	32	Shri Dalip Singh.
10	33	Shri Damodar Vyas.
11	34	Shri Deen Bandhu Parmar.
12	37	Shri Dharam Pal.
13	38	Shri Dhulji Bhai Bhawsar.
14	40	Shri Durlabh Singh.
15	43	Shri Ghasi Ram.
16	45	Shri Ghisi Singh Katela.
17	48	Shri G. C. Kasliwal.
18	49	Shri Gurdayal Singh Sandhu
19	51	Shri Hans Raj Arya from Bhadra.
20	52	Shri Hans Raj Jatia from Bari.
21	53	Shri Hari Deo Joshi.
22	56	Shri Hari Shankar Sidhant Shastri.
23	58	Sardar Harlal Singh.
24	59	Shri Hazari Lal Sharma.
25	70	Shri Kanwar Lal Jalia.
26	71	Shri Kapil Deo Agarwal.
27	72	Shri Kastur Chand.
28	80	Shri Ch. Kumbha Ram Arya.
29	82	Shri Lal Bahadur.
30	84	Shri Lalu Ram.
31	85	Shri Laxman Hirat.
32	91	Shri Mahadav Prasad N. Pandit.
33	92	Shri Mahadeo Prasad Banka
34	94	Shri Dr. Mangal Singh from Bari.
35	95	Shri Manna Bhil.
36	99	Shri Mathura Das.
37	101	Maulvi Mohammad Ibrahim.
38	102	Shri Mohan Lal Sukhadia.
39	104	Shri Mota Ram.
40	106	Shri Moti Lal Chaudhri.
41	109	Shri Narayan Chaturvedi.
42	110	Shri Narayan Lal.
43	112	Shri Narsinha Kachhawaha.
44	113	Shri Nathu Ram.
45	116	Shri Prabhu Dayal.
46	124	Shri Ramji Lal Yadev.
47	125	Shri Ram Karan Joshi.
48	126	Shri Ram Kishore.
49	127	Shri Ram Lal Bansiwal.
50	128	Shri Ram Ratan Tikkiwal.
51	130	Shri Roshan Lal Sharma.
52	133	Shri Sampat Ram.
53	138	Shri Shah Alimuddin Ahmad.
54	141	Shri Sri Bhan Singh.
55	143	Shri Srigopal Bhargava.
56	145	Shri Sohan Lal Bhatnager.
57	146	Shri Soma Wala Bhil.
58	147	Shri Sugan Chand Jain.
59	149	Shri Tej Mal Bapna.
60	153	Shri Tika Ram Paliwal.

Page No.86

Noes. 43

Serial No.	Divn. No.	Member's Name.
1	1	Shri Abani Kumar Mookerji
2	2	Lt.-Col. Shri Rajadhiraj Amar Singh.
3	8	Shri Belji.
4	11	Major Th. Bhairon Singh from Sojat-Desuri.
5	13	Shri Bhairon Singh from Rajsamand-Relmagra.
6	14	Th. Shri Bhanu Pratap Singh.
7	16	Shri Bhairon Singh from Danta-Ramgarh.
8	17	Shri Th. Bhim Singh.
9	30	Shri Chittar Lal Sharma.
10	35	Kr. Shri Devi Singh.
11	39	Lt.-Col. Shri R. Dileep Singh.
12	41	Shri Ganga Singh.
13	46	Th. Shri Gopal Singh.
14	47	Shri Gopi Lal Yadav.
15	50	Shri Hanwant Singh.
16	54	Shri Hari Datta.
17	57	Shri Hari Singh.
18	61	Shri Raj Himmat Singh from Atru.
19	63	Shri Ishwar Singh.
20	64	Shri Jagat Singh Jhala.
21	66	Kr. Shri Jaswant Singh.
22	67	Shri Jawan Singh Solanki.
23	69	Shri Kan Singh.
24	74	Th. Shri Kesri Singh from Nagaur-West.
25	75	Maharaj Shri Kesri Singh from Patan.
26	76	Shri Kesri Singh from Mandalgarh.
27	77	Shri Khet Singh.
28	83	Shri Lal Sinha Saktawat.
29	97	Rawat Shri Man Singh.
30	115	Shri Partap Singh from Chittor.
31	117	Shri Pratap Singh from Sujjangarh.
32	120	Major Th. Raghubir Singh.
33	121	Major Apji Raghuraj Singh.
34	131	Pt. Roop Narain Shastri.
35	132	Capt. Sajjan Singh.
36	134	Shri Sangram Singh.
37	135	Maharawal Shri Sangram Singh.
38	136	Shri Santosh Singh Kachhawaha.
39	137	Rao Raja Sardar Singh.
40	139	Rawat Shri Shambhu Singh.
41	140	Maharaj Shri Sheo Dan Singh.
42	151	Shri Kr. Tej Singh.
43	160	Shri H. K. Vyas.

———